खण्ड-184, अंक-8
सोमवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1879
(29 जुलाई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ जुलाई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२९०)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री

छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
दयाराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धूलाल, श्री
बुद्धू सिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेरीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरहसनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री

मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महेशसिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री

शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ जुलाई, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में चीनी मिल खोलने के लिए प्रार्थना

*१--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले की छाता तहसील से छाता व आझई रेलवे स्टेशन से लाखों मन गन्ना डवरा मिल (ग्वालियर) के लिये जाता है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--जी नहीं, ऐसा नहीं होता ।

*२--श्री रामहेत सिंह--क्या यह सही है कि आगरा-मथुरा क्षेत्र में कोई भी चीनी मिल नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां ।

*३--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार उक्त कारणों को देखते हुये मथुरा जिले में चीनी मिल खोलने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं, इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि छाता और आझई रेलवे स्टेशन से डवरा मिल के लिये गन्ना जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कोई सर्वे ऐसा सरकार ने कराया है कि कितने एकड़ रकबे में गन्ना होता है ?

श्री रऊफ जाफरी---कितने एकड़ में गन्ना होता है यह तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन इतनी बात कही जा सकती है कि मथुरा में गन्ने की कोई बहुत ज्यादा खेती नहीं है और वहां सिंचाई के भी ऐसे साधन नहीं हैं कि उसकी खेती ज्यादा बढ़ सके।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यदि मिल के लिये उपयुक्त गन्ना वहां मिल सके तो इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि वहां चीनी मिल खुल सके ?

श्री रऊफ जाफरी---बात यह है कि इस वक्त तो हमारे यहां चीनी मिलें खोलने के लिये चार कोआपरेटिव और एक प्राइवेट फैक्ट्री की इजाजत हो गई है। इससे ज्यादा इस फाइव ईयर प्लान में हमारे लिए है नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां कि खास चीज जो पैदा हो सकती है वह गन्ना ही है। तो पहले अगर इसका सवाल होगा तो उन जिलों में चीनी मिलों के खोलने का होगा। मथुरा जिले का सवाल इसलिये अभी विचाराधीन नहीं है।

*४-६---श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*८---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---[१२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।)

लखनऊ की प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री के आय-व्यय---लेखे की मांग

*१०---श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)---लखनऊ की Precision Instrument Factory में सरकार की लागत क्या है ? उसने गत वर्ष कितने मूल्य का माल तैयार किया है और कितने मूल्य का उसमें से बिका ? क्या उद्योग मंत्री जी गत वर्ष का उसका आय-व्यय का लेखा मेज पर रखेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---लखनऊ की गवर्नमेंट प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री की लागत ३१ मार्च, १९५७ तक लगभग १३, ८४,७३८ रु० है। गत १ वर्ष में ११,५०,१५० रु० का माल तैयार किया गया जिसमें से १०,८०,००० रु० का माल बिका। फैक्ट्री का १९५६-५७ का आय-व्यय का लेखा अभी तैयार नहीं हुआ है।

*११-१२---श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*१३---श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को क्या महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी--रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन पर मिलने वाली महंगाई भत्ता की दरें इस तरह हैं :

६० रु० मासिक पेंशन तक .. .. ५ रु० मासिक
६० रु० से ज्यादा और १०० रु० मासिक पेंशन तक .. ६ रु० मासिक।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इतनी कम महंगाई इनको देने का कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो एक बात है कि कम है। लेकिन इस कम होने पर भी यह महंगाई भत्ता जो है वह केन्द्रीय सरकार का जो भत्ता है उससे ज्यादा ही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या भत्ता कम मिलने के बाद उनको बाजार से अनाज सस्ता मिलता है ?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसी कोई इत्तला मेरे पास तो है नहीं।

विधायक निवासों के कर्मचारियों को स्थायी करने तथा उन्हें वर्दी देने की प्रार्थना

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं पर अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--विधायक निवासों के ५५ कर्मचारी अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं।

*१५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास के कर्मचारियों को वर्दी आदि देने की जो योजना विचाराधीन है वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--विधायक निवास के स्थायी कर्मचारियों को वर्दी देने की योजना करीब-करीब पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि इस गर्मी में उन्हें वर्दी दी जायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ५५ कर्मचारी अभी स्थायी नहीं किये गये हैं उनको स्थायी न करने का कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--कोई खास कारण नहीं है। अब की मर्तबा शेड्यूल आफ न्यु डिमांड्स में उसे रख दिया गया है। बजट पास होने पर वे स्थायी हो जायंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १५ का यह उत्तर दिया गया है कि इस गर्मी में वर्दी दे दी जायगी, तो सन् ५८ की गर्मी में या सन् ५७ की गर्मी में वह दी जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--सन् ५७ की गर्मी चल रही है इसी सन् ५७ में दी जायगी।

श्री भगवती सिंह बिशारद--जब तमाम योजना पूरी हो चुकी है तो माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जाड़े की वर्दी क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--पहले गर्मी की दी जायगी, जब जाड़ा आयेगा तो जाड़े की भी दी जायगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो वर्दी दी जायगी इसमें क्या-क्या मिलेगा और एक वर्दी की मियाद क्या होगी ?

श्री रऊफ जाफरी--वर्दी के मिलने के जो नियम सब जगह हैं वही यहां भी लागू होंगे। उसकी तफसील इस वक्त नहीं बतला सकता।

खटीमा तहसील में सिंचाई के पानी की कथित कमी

*१६--श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि खटीमा तहसील में सींचने के पानी की भारी कमी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--खटीमा तहसील में सींचने के पानी की कमी नहीं है वरन् वहां सीचने के पानी की मांग बहुत कम है, क्योंकि इस तहसील का अधिकतर भाग ऊंचे उद्गम सतह क्षेत्र के भूकटिबन्ध एवं अधिक वर्षा के क्षेत्र में पड़ता है।

*१७--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

केसर शुगर मिल, बहेड़ी, जिला बरेली में गन्ने की कीमत

*१८--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केसर शुगर मिल, बहेड़ी, जिला बरेली ने इसी शुरू सीजन में काश्तकारों को गन्ने का भाव एक रुपया सात आने के बजाय एक रुपया दो आने दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि नवम्बर में जब फैक्ट्री चालू की गयी तो उस समय गन्ने का निर्ख क्या रखा गया था ?

श्री रऊफ जाफरी--फैक्ट्री जब नवम्बर में चालू हुई तो वहां यह तय हुआ था कि रिकवरी के हिसाब से उसको कम कर दिया जायगा, लेकिन रेट ५ आने से ज्यादा कम नहीं हो पायेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार यह घोषणा इस प्रश्नोत्तर में करेगी कि केसर शुगर मिल, बहेड़ी के क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने से कम नहीं होगी ?

श्री रऊफ जाफरी--१ रु० ७ आने तो मिनिमम प्राइस होती है। यह तब होता है जब कि वहां जो केन यूनियन है उनमें मामला तय हो जाता है तो उसके बाद यह हुआ था कि शुरू में चालू कर देंगे और गन्ना यहां लेने लगेंगे ताकि उधर मई-जून में जब गन्ना सूख जाता है तो उसकी रिकवरी होने की वजह से गन्ने का दाम कम मिलता है तो वह घटाया न जा सके। चूंकि ३।। आना कम कर के उनको देना पड़ा इसलिये उनको कम दाम मिला, लेकिन उनका सब गन्ना पेरा गया और उनको आसानी रही।

*१९-२१--श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न १८ श्री बाबू राम ने पूछा।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के राप्ती पार उत्तर भाग में नल कूपों की आवश्यकता

*२२--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में डुमरियागंज (बस्ती) तहसील के राप्ती पार उत्तर में नलकूप बनाये जाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में नलकूप बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

*२३--श्री झारखंडे राय--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में पेराई के लिए गन्ना

*२५--श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार बतायेगी कि लखीमपुर-खीरी जिले में जो १ करोड़ मन गन्ना खड़ा है उस को पेरने के लिये सरकार क्या कोई विशेष प्रबन्ध कराने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--लखीमपुर-खीरी जिले का सीजन १९५६-५७ का सब available गन्ना पेरा जा चुका है और गन्ना बच रहने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

*२६--श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)--[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८-२९--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०-३२--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

तराई-भावर के सरकारी कर्मचारियों का तराई एलाउन्स बन्द करना

*३३--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से तराई-भावर में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले तराई-भावर एलाउन्स को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--हां। तराई-भावर एलाउन्स जलवायु की अस्वस्थता के कारण निर्धारित किया गया था और अब इसलिये बन्द कर दिया गया है कि वहां के जलवायु में अस्वस्थता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी के पास वहां की जलवायु में अस्वस्थता न होने के आंकड़े भी हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--सब बातें आंकड़ों से ही साबित नहीं होती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास इस बात का भी कोई सबूत है कि तराई-भावर में अब अस्वस्थता समाप्त हो गयी है ?

श्री रऊफ जाफरी---वहां जब काम शुरू हुआ था तब मलेरिया बहुत फैला करता था। मलेरिया का कंट्रोल होता रहा और अब वहां पर मलेरिया का वह इंसीडेंस नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह तराई-भावर का जो एलाउन्स है वह कोलोनाईजेशन की जब से अंग्रेजों ने शुरुआत की तब से ही चला आता है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अंग्रेजों की बातें तो अब हमें भूल जानी चाहिएं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस एलाउन्स के खत्म हो जाने से कर्मचारी घाटे में वेतन पा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---यह एलाउन्स खास वजह से दिया गया था। वहां पर मलेरिया ज्यादा होता था, इसलिये वहां जाने के लिये लोगों को इंड्यूसमेन्ट देने के लिये यह एलाउन्स रखा गया था। जब यह एलाउन्स तय हुआ था तब ही यह भी तय किया गया था कि ५ वर्ष बाद इसको समाप्त कर दिया जायगा। सन् ५० में इसको बन्द करने के बारे में सोचा गया लेकिन तब तक मलेरिया पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ था, इसलिये उस वक्त इसको जारी रक्खा गया। अब चूंकि पूरी तरह से उस पर कंट्रोल हो गया है, इसलिये उसको बंद कर दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब कि सरकार की नीति इस समय लोगों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की है तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार इस एलाउन्स को भी रेस्टोर करने की सोच रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---वह नीति तो सरकार की चलती ही रहेगी।

*३४---श्री नारायणदत्त तिवारी---[१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३५---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

पलिया, जिला खीरी में चीनी मिल खोलने के लिए एकत्र धन

*३६---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पलिया भीरा क्षेत्र, जिला खीरी के गन्ना के किसानों ने कितना रुपया पलिया में गन्ना मिल स्थापित करने के लिये गन्ना में कटौती करवा करके इकट्ठा कर लिया है ?

श्री रऊफ जाफरी---लगभग १७ लाख रुपये।

*३७---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार पलिया में एक सहकारी गन्ना मिल खुलवाने के ऊपर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या उद्योग मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो १७ लाख रुपया ग्रोअर्स का इकट्ठा हो चुका है उसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है या कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगवाने का सरकार का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी---१७ लाख जो रुपया है यह अभी यूनियन के पास है। कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगाने के लिये उन्होंने इसको इकट्ठा किया है लेकिन यह बात भी ठीक है कि बोर्ड की एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म से गुफ्तगू चल रही है। कोई रुपया वहां चला गया ऐसी बात नहीं है।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार बतलायेगी कि वह रुपया कितने वर्षों से जमा किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी---जाहिर है कि १७ लाख रुपये कई वर्ष में जमा हुए होंगे।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की कोई सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है कि पलिया में फैक्ट्री की आवश्यकता है ?

श्री रऊफ जाफरी---ये जितने मामले हैं उन पर अभी गौर हो रहा है ।

*३८-३९---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों के अतिरिक्त मुनाफे में भाग

*४०---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को किस-किस शुगर मिल से कितना-कितना धन अतिरिक्त मुनाफे (excess profit) के रूप में सीजन १९५३-५४ में दिलाया गया था ?

श्री रऊफ जाफरी---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

*४१---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजन १९५४-५५, १९५५-५६ के अतिरिक्त मुनाफे को गन्ना किसानों को दिलवाने में प्रदेशीय सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस मामले का सम्बन्ध भारत सरकार से है जिन्होंने १९५४-५५ और १९५५-५६ सीजन की एडिशनल केन प्राइस (additional cane Price) के लिये अभी कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। इसके लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री, प्रदेशीय सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---भारत सरकार से कारेस्पांडेंस हो रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पिछले ३ पूरे सीजन हो जाने के बाद भी अब कितना समय और लगेगा जो सन् १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ का अतिरिक्त मुनाफा या एडीशनल केन प्राइस किसानों को मिल सकेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---यह बतलाना मेरे लिये बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मामला मुताल्लिक भारत सरकार से है।

एटा जिले की अलीगंज तहसील में नलकूपों का निर्माण

*४२---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले की तहसील अलीगंज में कुछ नलकूपों का बनाना बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---अलीगंज तहसील में ६२ नलकूप बनाने का प्रस्ताव था। उपयुक्त भू-स्तर प्राप्त करने के लिये ६९ जगहों पर बोरिंग की आवश्यकता पड़ी, जिनमें से ६२ बोरिंग सफल हुई और उन पर नलकूप निर्माण किये गये। शेष ७ जगहें अनुपयुक्त मिलीं और उन्हें त्याग दिया गया।

*४३-४४—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८-४९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सेल्स टैक्स अफसरों को स्थायी करने के लिए कमेटी की बैठक

*५०—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५४ में कितने Sales Tax Office, Temporary (अस्थायी) थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५४ में ६४ सेल्स टैक्स आफिसर अस्थायी (टेम्पोरेरी) थे।

*५१—श्री शिवराज सिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या उनको स्थायी करने हेतु सरकार ने कोई कमेटी बैठाई थी? यदि हां, तो उस कमेटी का personnel क्या था और उस कमेटी की सिफारिशें क्या थीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, उस कमेटी में सरकार के वित्त विभाग के वित्त विषयक आयुक्त तथा वित्त सचिव (कमिश्नर फार फाइनेन्शियल एफेयर्स कम सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट) न्याय विभाग के सचिव और सेल्स टैक्स कमिश्नर थे। वित्त विभाग के उप-सचिव (डिप्टी सेक्रेटरी) कमेटी के सेक्रेटरी थे। कमेटी की सिफारिशों को बतलाना जन-हित में उचित नहीं है।

दोहरीघाट पम्प नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*५२—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट पम्प नहर में जो जमीनें ली गई हैं उनका मुआवजा अभी तक खेतिहरों को नहीं मिला है ?

श्री राममूर्ति—दोहरी घाट पम्प नहर में जो जमीन ली गई है उसमें से कुछ जमीन का मुआवजा खेतिहरों को दिया जा चुका है और शेष भाग का मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही हो रही है।

*५३—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो सरकार खेतिहरों को मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जितनी भूमि ली गई है उन सब के लैंड प्लान बन चुके हैं। उनके नोटिफिकेशन तथा मुआवजा की जांच व वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कुल कितने खेतिहरों को मुआवजा अब तक दिया जा चुका है और कितने बाकी हैं ?

श्री राममूर्ति—इस सिलसिले में २,०२० एकड़ जमीन का मामला है जिसमें से ४२० एकड़ का मुआवजा दिया जा चुका है और १६०० एकड़ का नहीं दिया गया है। किसानों का नम्बर मेरे पास नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितनी रकम अब तक मुआवजे में दी जा चुकी है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलियां)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन कब ली गयी थी ?

श्री राममूर्ति—जब से नहर का काम शुरू हुआ।

श्री गौरीशंकर राय—यह उत्तर तो बड़ा अस्पष्ट है, किस सन् में नहर का काम शुरू हुआ, जब जमीन ली गई ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास सन् तो है नहीं, लेकिन जमीन एक वक्त में सब नहीं ली जाती है, ज्यों-ज्यों काम बढ़ता जाता है जमीनें ले ली जाती हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है उस जमीन की मालगुजारी आज भी किसान सरकार को देता है ?

श्री राममूर्ति—पिछले दिनों तक ऐसा होता रहा था, पिछले महीने से ऐसे आर्डर निकाल रखे हैं कि जो लोग मालगुजारी दे रहे हैं, वह न दें।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि मुआवजे का रेट बहुत कम है, उसमें परिवर्तन करने का सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मुआवजे का रेट तो प्रान्त भर में जमीन की हैसियत के मुताबिक है और जिले-जिले में उसी के मुताबिक लिया जाता है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरा हिसाब लगा लेने के बाद जो किसानों ने लगान दिया है उसका मुआवजा उनको मिलेगा या लगान वापसी उनकी होगी ?

श्री राममूर्ति—जितना लगान उन्होंने दिया है वह सब लगान उनको वापस दिया जायगा और हमने यह भी तरीका सोचा है कि अवसर यह हो सकता है कि कुछ लोगों को लगान वापस न दिया गया हो तो यह सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट उस रुपये को उनकी अगली मालगुजारी में एडजेस्ट कर दे ताकि उनको आने-जाने की दिक्कत न हो और उसमें करप्शन होने के चांसेज न रहें ?

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई स्कीम है कि जो जमीन सरकार नहर के लिये लोगों से लेती है उसका बाजार रेट से मुआवजा दिया जाय ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि बाजार रेट का सवाल इसलिये पैदा नहीं होता है क्योंकि जो सर्किल रेट होता है उससे मुआवजा दिया जाता है। बाजार रेट अलग-अलग हो जाता है और घटता बढ़ता रहता है, इसलिये इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

*५४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६—श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[वापस लिया गया।]

विधान सभा के सामने वाली सरकारी कोठी का शिव मन्दिर

*५८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस कोठी में डिप्टी मिनिस्टर श्री जगनप्रसाद रावत लखनऊ में रहते थे उसमें एक पुराना शिव मन्दिर है ?

श्री हाफिज मुहम्मदइब्राहीम--जी हां।

*५९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मन्दिर में आम जनता पूजन, भजन आदि करने आती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*६०--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मन्दिर को चारों ओर से नई दीवाल उठा कर घेरा जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*६१--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (अनुपस्थित)--[अस्वीकार किया गया।]

आजमगढ़ तथा बलिया जिलों के लिए सीमेंट

*६२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री ७ मई के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में सीमेंट का उत्पादन कम होने के कारण आजमगढ़, बलिया जिलों को दिया जाने वाला सीमेंट का कोटा १/३ कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं।

पीलीभीत ललितहरि शुगर फैक्ट्री एरिया में गन्ने की बोआई

*६३--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत ललितहरि शुगर फैक्ट्री एरिया में सन् १९५५-५६ में अर्ली-विरायटी गन्ना तथा अक्तूबर सोयंग कितने-कितने एकड़ बोया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पीलीभीत शुगर फैक्ट्री के सुरक्षित क्षेत्र (Reserved area) में सन् १९५५-५६ में अर्ली वेराइटी गन्ने का area ११,५१४ एकड़ और अक्टूबर बोआई के गन्ने का area ३५४ एकड़ था।

*६४--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)--सरकार ने उपर्युक्त किस्म के गन्ने को समय से पेरे जाने के लिये क्या प्रबन्ध किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पिराई के लिये इन गन्नों को priority दी गई। पिराई सीजन के पहले दो महीनों में "पेड़ी" गन्ने के साथ सिर्फ यही गन्ने मिल को पिराई के लिये दिये गये।

वार कास्ट सरचार्ज लेने वाली बिजली कम्पनियां

*६५--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय कौन-कौन सी बिजली कम्पनियां ऐसी हैं जो उपभोक्ताओं से अब भी वार कास्ट (war cost) सरचार्ज लेती हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, बलरामपुर, लक्ष्मी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, हरदोई, तथा ईस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, गाजीपुर उपभोक्ताओं से वार कास्ट सरचार्ज लेती है, परन्तु अब यह आदेश जारी किया गया है कि वार कास्ट सरचार्ज का लिया जाना पहली अगस्त, १९५७ से बन्द कर दिया जाय।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कम्पनियां वार कास्ट को साधारण रेट में शामिल करने के लिये विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, हो सकता है। बात यह है कि वार कास्ट सरचार्ज चार्ज किया जाना इसलिये शुरू किया गया था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और चीजों के दाम भी बढ़ गये थे। अब वार तो बन्द हो गई है लेकिन गरानी जारी है। यह सरचार्ज गलत नाम से था इसलिये कम्पनियों से कहा गया है कि वह इससे ज्यादा नहीं, इसी हद तक रेट बढ़ा सकती है।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद भी यह क्यों लिया जाता रहा ?

श्री रऊफ जाफरी---मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि चीजें उसी तरह से गिरां हैं और मजदूरी भी बढ़ रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे प्ररित होकर सरकार ने इसे बंद क्यों नहीं कराया ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि मैंने कहा कि लड़ाई खत्म होने के बाद यह गलत मालूम होता था। लेकिन पिछला ऐक्ट जो पास हुआ है उसमें कम्पनियों को लिख दिया है कि वह ६० दिन का नोटिस देकर रेट बढ़ा सकती हैं जितना कि सरचार्ज लेती थीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे प्रेरित हो कर इस आने वाले अगस्त से पहले सरकार ने सरचार्ज बन्द क्यों नहीं कराया ?

श्री रऊफ जाफरी---देर हुई, इसकी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन वह चल रहा था, खयाल हुआ कि यह गलती हो रही है, इसलिये इसको बन्द कर दिया जाय।

मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कर्मचारियों के मामले का निर्णय

*६६---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब २९ मई, १९५६ को ही एक सरकारी आदेश के द्वारा मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कर्मचारियों के भारी असन्तोष और हड़ताल के निर्णय की निवृत्ति के लिये उनका केस एडजूडिकेशन के लिये श्री जे० प्रसाद, डिप्टी लेबर कमिश्नर को सौंप दिया था तो क्यों सम्बन्धित अधिकारियों ने अब तक भी उस विवाद की निवृत्ति के लिये कोई कदम नहीं उठाया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और उसके कर्मचारियों के केस में निर्णय हो चुका है और वह ३० मई, १९५७ से लागू भी हो गया है।

*६७---**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने बिजली के मूल्य में ६ पैसा प्रति यूनिट वृद्धि कर दी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने बिजली के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की है।

*६८---**श्री यमुनासिंह**---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले के सराय ग्राम में नल-कूप लगाने की मांग

*६९--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार गाजीपुर जिले के सराय ग्राम में नल-कूप खोदने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जिले के प्रस्तावित ८० नलकूपों में से एक नलकूप इस ग्राम के समीप खोदने के लिये निश्चय किया गया है बशर्ते कि क्षेत्र उपयुक्त हो।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले का सराय गांव रबी एरिया का गांव है और नलकूप की लाइन करीब आ गई है ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही हो सकती है ।

*७०--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७१--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़) --[१२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) --[१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पन्नीजी शुगर मिल क्षेत्र जिला बुलन्दशहर का गन्ना

*७३--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पन्नी-जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में अब तक किसानों का गन्ना नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके क्रय करवाये जाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर कुल उपलब्ध (available) गन्ने को पेर कर तारीख १६ जून, १९५७ को बन्द हो गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित यू० पी० गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट्स की लाभ-हानि का लेखा

*७४--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित यू० पी० गवर्नमेंट हैण्डीक्राफ्ट्स में अप्रैल, सन् १९५२ से मार्च सन् १९५७ के बीच में प्रति वर्ष कितना-कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री रऊफ जाफरी--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५२ पर ।)

श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ से भी आगे घाटे के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--घाटा तो इसमें शायद है नहीं ।

श्री नागेश्वरप्रसाद--सन् १९५४-५५ के मुकाबले में ५५-५६ और ५६-५७ में उत्तरोत्तर घाटे का मुख्य कारण क्या रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी--बिक्री कम हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास लखनऊ स्थित य० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं और इसी कारण यह घाटा बढ़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी बात नहीं है कि इस वजह से घाटा हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स में बहुत से ऐसे फैंसी काम हो जाते हैं, जैसे ताजमहल बन गया और फिर बाद में उसे बन्द कर दिया गया और इसी वजह से घाटा बढ़ रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—मुझे ऐसा मालूम नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री गत तीन वर्षों का आय-व्ययक हाउस के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जवाब में सूची दे दी गई है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को सूचना मिली है कि यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स में बहुत बड़ा गबन हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—बहुत बड़ा गबन हुआ, ऐसी सूचना नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री एक दिन हजरतगंज में इस दूकान को देखने जाने की हमारे साथ तकलीफ गवारा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह आप उनके कमरे में जाकर पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी ने पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी और उसकी सब-कमेटी की रिपोर्ट देखने की मेहरबानी की है ?

श्री रऊफ जाफरी—वह जो कमेटी बनी थी, उसमें जो बातें हुई थीं उन सबको देखा और विचारा गया है।

श्री गेंदासिंह—क्या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने स्पेशल मैनेजर के विरुद्ध शिकायत नहीं की है कि पिछले १० वर्षों में इनका रखा जाना मुनासिब नहीं था और परचेजिंग कमेटी न बनाने की भी शिकायत थी ?

श्री रऊफ जाफरी—हो सकता है कि इसमें यह हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मैं यह चाहता था कि मंत्री जी कृपा कर यह बतलावेंगे कि गत ३ वर्षों में आय-व्यय के आंकड़े क्या हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जो आंकड़े इसमें दिये हैं वही मेरे पास हैं। अगर किसी ज्यादा सूचना की जरूरत है तो वह बाद में दी जा सकती है।

*७५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*७६-७७—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

मूंज व बानों को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*७८—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ४ मास में उनके पास बहजोई कस्बा व देहात (जिला मुरादाबाद) से इस प्रकार के स्मृति-पत्र आये हैं जिनमें मूंज व बानों को बिक्री-कर से मुक्त करने की मांग की गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*७९--श्री बुद्धीसिंह (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उन स्मृति-पत्रों पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग विभाग के गजटेड अफसरों के स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

*८०--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिले में जो गजटेड पदाधिकारी जैसे डिविजनल सुपरिण्टेंडेंट तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर, उद्योग विभाग होते हैं उनके एक स्थान पर रहने की अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कितने समय बाद इन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी---(क) जी नहीं ।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या जैसे और गजटेड आफिसरों के लिये अवधि निर्धारित होती है उनके लिये भी होने में कोई सरकार को कठिनाई प्रतीत होती है ?

श्री रऊफ जाफरी---ये जगहें ज्यादातर ऐडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हैं, बल्कि इनमें विशेष योग्यता की जरूरत होती है । इस वजह से यह बहुत मुमकिन नहीं है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाया करे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पदों के लिये क्या विशेष योग्यताएं हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---वह तो एक बहुत लम्बी फेहरिस्त होगी, लेकिन जैसे मान लीजिये हैंडलूम के लिये कपड़ों के सम्बन्ध में और लेदर के लिये लेदर से वाकफियत होना जरूरी है । इसी तरह से सभी कामों में जरूरत होती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या इन विशेष योग्यताओं के प्रदेश में और भी कर्मचारी हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---यह हो सकता है कि हों । जहां ऐसा होता है और जरूरी होता है तो वहां पर उनकी अदला-बदली भी की जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इन पदों में और इन विभागों में भी समान योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---इस पर जरूरत अगर समझी जायगी तो जरूर विचार होगा ।

*८१-८३---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोविन्द बांध से ललितपुर तहसील का सींचा जाने वाला क्षेत्र

*८४---श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला झांसी तहसील महरौनी व ललितपुर में माता टीला बांध तथा गोविन्द बांध से कितने क्षेत्रफल में सिंचाई होने की सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति---झांसी जिले के महरौनी व ललितपुर तहसील के किसी भी क्षेत्र का सिंचन माताटीला बांध से नहीं हो सकेगा । गोविन्द सागर बांध से ललितपुर तहसील में प्रति वर्ष १७,१५३ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । महरौनी तहसील में गोविन्द सागर से कोई भी सिंचाई नहीं होगी ।

*८५—श्री गज्जू राम (अनुपस्थित)—[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

झांसी जिले की महरौनी तहसील में देवरीघाट जमुना नदी पर बांध योजना

*८६—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सरकार ने जिला झांसी तहसील महरौनी में देवरीघाट जमुना नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होना था और कितना क्षेत्रफल सींचा जा सकता था ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ऐसी योजना का प्रस्ताव किया गया था । इसकी लागत लगभग २ करोड़ रुपये थी और इससे लगभग ४०,००० एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकती थी ।

आजमगढ़ जिले में बने नलकूपों पर व्यय

*८७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ की मुहम्मदाबाद, लालगंज और फूलपुर तहसीलों में सरकार की ओर से कितने ट्यूबवेल अब तक बनवाये गये हैं और इनके निर्माण में कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जिला आजमगढ़ की मुहम्मदाबाद, लालगंज और फूलपुर तहसीलों में अब तक ७४ नलकूप बनाये गये हैं। उनके निर्माण में २९,५०,००० रु० व्यय हुये हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार द्वारा इन तहसीलों के विशाल क्षेत्र को देखते हुये जहां नलकूपों की संख्या बहुत कम है वहां नलकूप लगाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—३ तो अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लग चुके हैं। आशा की जाती है कि २० नलकूप और लगाये जायेंगे ।

आजमगढ़ जिले में कारखाने खोलने की प्रार्थना

*८८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला में वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कारखानों के खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के इन्डस्ट्रीज आफिसर ने वहां कुछ कारखाने खोलने के लिये सरकार को लिखा है ?

श्री रऊफ जाफरी—कारखानों के खोलने के लिये सबसे बड़ी बात यह है कि फारेन एक्सचेंज की जरूरत है जो अवेलेबिल नहीं है और दूसरे बड़े कारखानों के जहां तक खोलने की बात है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार होते हैं और पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई कारखाना आजमगढ़ में खोलने के लिये सोचा नहीं जा रहा है ।

बदायूं जिले की केन सोसाइटी द्वारा किसानों को पर्चियों का वितरण

*८९—श्री टीका राम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि केन सोसाइटी, जिला बदायूं सेन्टर, बदायूं के किसानों की पर्चीं उनके गांव में जाकर बांटी जाती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—जिला बदायूं की केन सोसायटी अपने क्षेत्र के सेण्टरों के किसानों के गांवों में अपने आदमी भेजकर गन्ने की पर्चियां बंटवाती है ।

श्री टीकाराम--क्या पर्चियां बंटवाने के कोई दस्तखत भी लिये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिटेल की बात है नोटिस चाहिये ।

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में शुगर मिल खुलवाने की मांग

*९०--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी क तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के किसानों की एक मांग शुगर मिल खुलवाने की काफी समय से चल रही है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद तहसील के किसानों की इस मांग पर सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--विचार तो हम हर जगह के सिलसिले में करते हैं, लेकिन जैसा बतलाया गया कि नयी मिलों को खोलने के सिलसिले में बाहर से सामान मिलने में दिक्कत होती है । लेकिन इस मांग पर विचार हो रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद म एक मिल खोलने के सिलसिले में सरकार द्वारा जो जांच हुई उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री रऊफ जाफरी--इस सिलसिले में भारत सरकार से कुछ खतोकिताबत हो रही है, उनकी कुछ बिल्डिंग्स हैं उनको लेने के सिलसिले में ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मांग किसानों ने सहकारी समिति के तरीके से की है या व्यक्तिगत तरीके से ?

श्री रऊफ जाफरी--यह मांग कोआपरेटिव की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी सरकार ने नयी शुगर मिल्स खोलने के लिये नियुक्त किये हैं वह तहसील सिकन्दराबाद में भी इस स्थान को देखने के लिए गये थे, जहां शुगर फैक्ट्री लगाने का विचार है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट की ?

श्री रऊफ जाफरी--इस वक्त मैं यह तो नहीं बतला सकता कि वह गये थे या नहीं, लेकिन गये होंगे इसलिये कि यह प्रश्न विचाराधीन है ।

*९१-९३--**श्री रघुनाथसहाय यादव** (जिला फतेहपुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

हथकरघा-उद्योग सहकारी समितियां

*९४--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ तक हथकरघा उद्योग समितियों की प्रान्त में कुल कितनी संख्या थी और उनके कुल कितने सदस्य थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सन् १९५६ के अन्त तक इस प्रदेश में हथकरघा उद्योग सहकारी समितियों की कुल संख्या १,०२० थी और उनकी सदस्य संख्या १,०३,३३८ थी ।

*९५--**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि क्या सरकार न मेरठ में कोई सहकारी कताई मिल खोलने का लाइसेन्स दिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

*९६--श्री महीलाल (अनुपस्थित)--[६ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न १०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हमीरपुर जिले के तालाबों को गहरा करने की प्रार्थना

*९७--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि हमीरपुर जिले के चन्देल युग के बड़े-बड़े तालाबों को जिनसे नहरें निकाल कर अब भी सिंचाई की जाती है गहरा करवा कर उनमे अधिक पानी एकत्र करने की योजना पर वह विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न में उल्लिखित तालाबों को गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि अगर यह तालाब गहरे कर दिये जायं तो उनमें ज्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है और ज्यादा सिंचाई की जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार ने इन तालाबों को गहरा करने की स्कीम क्यों नहीं बनाई ?

श्री राममूर्ति--इंजीनियरों का कहना यह है कि पानी तालाबों की बाटम में ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, बल्कि ऊपर होता है । इसलिये अगर उनको गहरा कराया जायगा तो उसमें खर्च ज्यादा होगा और उतना पानी उनमें नहीं आयेगा । इस तरह से खर्च ज्यादा होगा और उससे लाभ कम ।

*९८--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले के लिए नलकूप योजना

*९९--श्री राजेन्द्र सिंह यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में नलकूप लगाने की योजना है ? यदि हां, तो किस क्षेत्र में ?

श्री राममूर्ति--जी हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में २५ नलकूपों के निर्माण करने का प्रस्ताव है इनका प्रस्तावित वितरण इस प्रकार है :--

फर्रुखाबाद तहसील	..	..	५
छिबरामऊ	..	..	९
कन्नौज	..	..	११

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन तहसीलों में किन जगहों पर यह नलकूप लगाये जायंगे और कब तक ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास ग्रामों के नाम तो नहीं हैं, लेकिन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के यह नलकूप हैं और जैसा प्रोग्राम चल रहा है उसी हिसाब से यह लगाये जायंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कि नलकूल किस सन में फर्रुखाबाद में लगाये जायंगे ?

श्री राममूर्ति--अभी केन्द्रीय सरकार से रुपया प्राप्त नहीं हुआ । रुपया प्राप्त होने के बाद फिर संख्या जो है निर्धारित की जायगी ।

फर्रुखाबाद जिले को बिजली देने की योजना

*१००--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की जनता को गृह-उद्योग तथा निजी कार्यों के लिये बिजली कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री रऊफ जाफरी--फर्रुखाबाद जिले के देहाती क्षेत्रों को बिजली मैनपुरी वाष्प विद्युत् स्टेशन के चालू हो जाने पर दी जा सकेगी ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो पावर हाउस मैनपुरी में बना है यह कब तक चालू हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी--बहुत जल्द ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में बिजली कब तक आ जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--यह मैंने फर्रुखाबाद की बात ही तो बतलायी ।

अतारांकित प्रश्न

भारत सरकार का मितव्ययता के लिए कथित पत्र

१--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने हाल ही में मितव्ययता के विषय में कोई परिपत्र भेजा है ? यदि हां, तो क्या वे उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय रक्षक दल को समाप्त करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव कुंवर श्रीपालसिंह जी का है जो इस प्रकार है --

"बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात् सरकार द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल को समाप्त कर देने से एक बहुत बड़ी संख्या में आदमी बेकार हो जावेंगे जिससे जनता में घोर असन्तोष है और बेकार आदमियों द्वारा प्रदेश में अशान्ति होने का डर है । देश की वर्तमान स्थिति का ध्यान करते हुए जब पाकिस्तान जिहाद की धमकियां बराबर दे रहा है, ऐसे समय में सैनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए लगभग एक लाख से अधिक व्यक्तियों में असन्तोष फैलने से प्रदेश में अशान्ति उत्पन्न हो रही है । अतः इस गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस पर बजट के आम विवाद के समय विवाद हो चुका है, इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है । दूसरी बात यह है कि अभी वह विभाग भी सामने आने वाला है, इसलिये कामरोको प्रस्ताव के रूप में मैं इसको स्वीकार नहीं करता । लेकिन माननीय मंत्री जी, जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर वे कोई खुलासा इसके बारे में देना चाहें तो दे सकते हैं, इतनी मैं इजाजत दे सकता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मेरे पास इसका नोटिस नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है, दूसरे किसी रोज यदि वे सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध के विषय पर कार्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामायणराय जी का है, वह इस प्रकार है--

"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में छात्रों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध के विरोध स्वरूप श्री सतीशकुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स, जो उस विद्या-मंदिर तथा समूचे देश के सर्वोच्च छात्र-नेता हैं, उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया है। फल-स्वरूप शिक्षा जगत् तथा शिक्षित वर्ग में ऐसे नेता के जीवन के सम्बन्ध में घोर चिन्ता व्याप्त हो गयी है। साथ ही सरकार तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। अतः इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की ओटोनोमी (स्वतंत्रता) से संबंधित यह चीज है। इस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रस्तावित प्रक्रिया नियमावली* पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष--अब श्री उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रस्तावित प्रक्रिया नियमावली पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री रामनरायण त्रिपाठी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूं।

इस वक्त जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है, वह भारत के संविधान के आर्टिकिल २०८ (१) के अनुसार २८ सितम्बर, १६५१ को उत्तर प्रदेश विधान सभा के जरिये स्वीकृत की गयी थी और तब से ही लागू है। इस नियमावली के पुरानी हो जाने और समय-समय पर नियमों में कुछ कमी का अनुभव होने की वजह से सन् १६५४ के पहले के मेम्बरान इन नियमों में कुछ बढ़ाने और कुछ बदलने का अनुभव कर रहे थे। इसमें संशोधन के लिये माननीय अध्यक्ष ने यह हुक्म दिया था कि नियमों में संशोधन करने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव लाने के बजाय सदन की एक कमेटी बनायी जाय, जो संशोधन संबंधी सारे मामलों पर विचार करे। इसलिये विधान सभा ने अपनी १३ सितम्बर, १६५४ की बैठक में एक राय से माननीय अध्यक्ष को यह अख्तियार दिया कि वे नियमों में संशोधन करने के लिये एक समिति बना दें। उसके अनुसार १८ अक्तूबर, १६५४ को श्री अध्यक्ष ने सदन की राय से विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में संशोधनों का सुझाव देने के लिये नियम पुनरीक्षण समिति बनायी। इस समिति के नीचे लिखे सदस्य थे:--

१--श्री हरगोविन्द पंत, उपाध्यक्ष .. .. सभापति
२--श्री सम्पूर्णानन्द,
३--श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
४--श्री चरणसिंह,
५--श्री मंगलाप्रसाद,
६--श्री रामप्रसाद देशमुख,
७--श्री लक्ष्मीशंकर यादव,
८--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (इनकी मौत के बाद श्री मोहनलाल गौतम २-११-१६५५ से)

---

* छापी नहीं गयी।

९—श्री रामसुमेर,
१०—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी,
११—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी,
१२—श्री लीलाधर अष्ठाना,
१३—श्री सुल्तान आलम खां,
१४—श्री केशवगुप्त,
१५—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य,
१६—श्री नारायणदत्त तिवारी,
१७—श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह,
१८—श्री जोरावर वर्मा,
१९—श्री रामनारायण त्रिपाठी।

२—इस कमेटी ने सन् १९५४ से अनेक बैठकें कीं और अपनी ७ अगस्त, १९५६ की बैठक में संशोधित नियमों का एक ड्राफ्ट मंजूर किया।

३—उसके बाद नियम पुनरीक्षण कमेटी के जरिये प्रस्ताव के नियमों के ड्राफ्ट पर आखिरी तौर पर विचार करने के लिये २० अक्तूबर, १९५६ को एक प्रवर समिति बनायी गयी। इस प्रवर समिति में लगभग वही मेम्बर थे, जो पहले वाली कमेटी में थे, केवल डाक्टर सम्पूर्णानन्द, मुख्य मंत्री जी की जगह पर श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल प्रवर समिति के सदस्य बना दिये गये थे। इस प्रवर समिति ने बहुत जल्दी ही अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन विधान सभा के विघटन हो जाने की वजह से संशोधित नियम सदन के जरिये पास न हो सके।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सब को पढ़ने की तो विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती। इन तमाम चीजों को आप उपस्थित तो कर ही रहे हैं। आप इस सम्बन्ध में अपना कोई विशेष आब्जरवेशन करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय, इस नियमावली के बनाने की विशेषता यह है कि सभी दलों के लोगों का इसके बनाने में विशेष सहयोग रहा। इस नियमावली के बन जाने से इस सदन की भी मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है और मुझको यह कहते हुए खुशी होती है कि उस पुनरीक्षण समिति के सभी सदस्यों ने एकमत से उसको स्वीकार किया और इसके लिये काफी परिश्रम किया। इस नियमावली में ऐसी हर बात का ध्यान रखा गया है ताकि इससे सदन की मान और प्रतिष्ठा बढ़े। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से कमेटी ने इसको एक मत से स्वीकार किया है, उसी तरह से सम्भव हो सके तो सभी दलों द्वारा एक मत होकर जल्दी से जल्दी सदन में स्वीकृति मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्रतिवेदन जो सदन के सामने उपस्थित किया गया है, जब इस पर विचार करने के लिये समय आयेगा तो नियमानुसार उसके ऊपर राय ली जायगी और विचार होगा।

पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब प्रदेश की, विशेष कर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर विवाद होगा।

उसके ऊपर खाद्य मंत्री जी अपना कोई स्टेटमेंट देंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, इस सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं पेश्तर इसके कि माननीय खाद्य मंत्री जी अपना वक्तव्य आरम्भ करें। साधारणतौर पर संसदीय प्रथा यह है कि जो माननीय सदस्य किसी प्रश्न को उठाते

[श्री त्रिलोकीसिंह]

हैं और उस पर वादविवाद के लिये अध्यक्ष से आज्ञा मांगते हैं, वही उस वादविवाद की शुरुआत करते हैं। वह सदन को बताते हैं कि उनकी शिकायत क्या है और क्या संकट है और उसके बाद माननीय मंत्री जी वादविवाद में हिस्सा लेकर उसका उत्तर देते हैं। भारतीय लोकसभा की पद्धति यह है कि जो माननीय सदस्य किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर वादविवाद चाहते हैं और जब माननीय अध्यक्ष उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उस वादविवाद की शुरुआत उन्हीं माननीय सदस्य के द्वारा होती है। श्री गेंदा सिंह जी ने इस वादविवाद की प्रस्तावना की थी। यदि श्रीमन्, उचित समझें तो हमें इस प्रश्न को समझने में आसानी होगी यदि श्री गेंदासिंह को अपनी दिक्कतों और दुश्वारियों को रखने का पहले अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह प्रथा यहां तब चल सकती है जब कोई डिबेट स्वयं मांगे। यहां तो यह प्रश्न पहले कामरोको प्रस्ताव के रूप में आया था और उस समय वह कामरोको प्रस्ताव नामंजूर हो गया, लेकिन उसी वक्त मैंने यह सुझाव दिया कि उस समय तो नहीं, लेकिन कोई और समय मंत्री जी इस डिबेट के लिये दें और वह डिबेट ओपन करेंगे। दूसरे यहां की प्रथा भी यही रही है कि जब इस तरह से कामरोको प्रस्ताव पर डिबेट होता है तो उसकी मालूमात मंत्री जी से लोग पहले हासिल कर लेते हैं, ताकि जो सरकारी कार्यवाही उस वक्त तक हुई है और जो मौजूदा परिस्थिति है वह सरकार बता दे। यह पूर्वपक्ष हुआ, फिर उसके बाद जो दिक्कतें लोगों को होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं उन पर लोग प्रकाश डालते हैं, उस सब का मौक़ा श्री गेंदा-सिंह को वाद-विवाद प्रारम्भ करने में या जवाब देने में होगा। इसलिए फैक्ट्स की शक्ल में या स्टेटमेंट की शक्ल में सरकार की ओर से वस्तुस्थिति पहले आ जानी चाहिये। उसके बाद वादविवाद गेंदा सिंह जी प्रारम्भ करेंगे।

***न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**--अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश की खाद्य समस्या जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् ५२ तक ऐसी थी कि हमने यहां कंट्रोल जारी रखा और जितने हमारे यहां के खास तौर से बड़े-बड़े शहर थे उनमें कंट्रोल के द्वारा अन्न बंटता था और पहुंचाया जाता था, लेकिन सन् ५२ के आखिर में हमारा ख्याल हुआ कि हमारे यहां की खाद्य समस्या अच्छी हो गई है और अब किसी तरह के कंट्रोल की जरूरत नहीं है, चुनांचे उस वक्त कंट्रोल खत्म कर दिये गये और उस के बाद से अनाज आमतौर से बाजारों में बिकने लगा और लोग उस को खरीदते और इस्तेमाल करते रहे। यह सूरतेहाल सन् ५६ तक रही, लेकिन उसी साल जुलाई के महीने में मुजफ्फरनगर में ४० घंटे में ३६ इंच बारिश हो गई और उसकी वजह से सारे प्रदेश की स्थिति खराब होना शुरू हो गई और उसके बाद केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जी को वहां जाना पड़ा और उन्होंने वहां जा कर वादा किया कि हम यहां अनाज पहुंचायेंगे, चुनांचे करीब २० हजार मन गेहूं उस वक्त वहां भेजा गया और १४ रु० फी मन के हिसाब से वहां उस की बिक्री हुई।

सन् १९५२ और ५६ के बीच में एक जमाना वह भी आया कि यहां अनाज इतना सस्ता हो गया था कि सरकार को इस बात की जरूरत हुई कि वह प्राइस सपोर्ट की स्कीम जारी करे। चुनांचे प्राइस सपोर्ट की स्कीम चालू की गई और उसके जरिये से इसकी कोशिश की गई कि एक मखसूस दाम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिकदार में अनाज सरकार खुद खरीद ले, ताकि काश्तकारों को ज्यादा नुकसान न होने पावे। मगर जब अगस्त में यह सूरत हुई तो यह जरूरत पड़ी कि खाली मुजफ्फरनगर में नहीं, बल्कि और जगहों पर भी फ्लड्स से जो नुकसान हुआ था उसका इलाज कुछ किया जाय और मुख्तलिफ शहरों में फेयर प्राइस शौप्स सरकार की तरफ से और फ्लड रिलीफ शाप्स यह दोनों खोली गईं और इसके जरिये से काफी मिकदार में अनाज हमने पहुंचाना शुरू किया। हमारे जो मुखतलिफ शहर थे उनमें तो अप्रैल तक सूरतेहाल अच्छी हो गई, क्योंकि जब नई फसल आनी शुरू हुई तो वहां के निर्ख दुरुस्त हो गये। लेकिन पूर्वी जिलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की हालत वैसी ही बिगड़ी रही और जो फेयर प्राइस शाप्स और फ्लड रिलीफ शाप्स खोली थीं उनको बराबर अब तक जारी रखा और वक्तन-फ़वक्तन जैसी जरूरत हुई उनको बढ़ाते रहे।

इस सिलसिले में कुछ आंकड़े अगर मैं पेश कर दूं तो शायद उससे माननीय सदस्यों को यह पता चल जायगा कि बहुत काफी मिकदार में अनाज इस वक्त तक इन दूकानों के जरिये से तकसीम किया जाता है। मसलन अगस्त सन् १९५६ से और जून १९५७ तक ३ लाख ३३ हजार ७६२ टन गेहूं हम मुख्तलिफ़ दूकानों के जरिये से अपने सूबे में तकसीम कर चुके हैं और इसकी वजह से बहुत कुछ जो कमी थी उसको हमने पूरा किया है और अब भी जो हम चन्द महीनों से जितना गेहूं दूकानों के जरिये से तकसीम कर रहे हैं तकरीबन २१ हजार टन का एवरेज पड़ता है हर महीने में।

(इस समय १२ बजे श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

इस २१ हजार टन को मुख्तलिफ दूकानों के जरिये से, ज्यादातर क्या बल्कि खाली पूर्वी जिलों में तक्सीम कर रहे हैं। दूकानों की तादाद जो इस वक्त पूर्वी जिलों में खुली हुई हैं वह कुछ दिन पहले, मसलन मिर्जापुर में ५१ थीं, लेकिन अब बढ़ाकर ११२ कर दी गयीं। इसी तरह से वाराणसी में १४३ दूकानें थीं जो अब बढ़ा करके २१८ कर दी गयीं। जौनपुर में १३७ थीं अब १४६ हो गईं, गाजीपुर में १२१ दूकानें थीं अब १२४ हो गयीं, आजमगढ़ में १४५ थीं अब २१६ हो गईं, बलिया में ७९ दूकानें थीं जो अब १०६ हो गईं और ३९ दूकानें और इसके बाद जब से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब गये वहां पर दुकानें और बढ़ जायंगी। इसी तरह से देवरिया में १२० दूकानें थीं जिनको बढ़ाकर १७१ कर दिया गया था, लेकिन अब यहां पर भी २० दूकानें और बढ़ जायंगी। गोरखपुर में १५५ के बजाय १८७ कर दी गई थीं। यहां पर भी २० दूकानें और ज्यादा खोली जायंगी और इनमें भी अनाज मिलने लगेगा और बस्ती में १०१ थीं इनको बढ़ाकर के १६९ कर दिया गया। इसके अलावा हमको यह भी मालूम हुआ कि बाज-बाज जिलों में गो कि वहां पर अनाज की ज्यादा कमी नहीं है पूरे तौर से, लेकिन बाज हिस्से उन जिलों के ऐसे हैं जहां वही हालत है जो करीब-करीब पूर्वी जिलों में है। इस तरह के जिले फैजाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़ हैं। इनके बारे में इत्तला मिली कि बाज-बाज हिस्सों में काफी अनाज की कमी हो रही है और वहां लोगों को ठीक दाम पर अनाज नहीं मिल रहा है। चुनांचे १० दूकानें फैजाबाद में, १२ गोंडा में और १० प्रतापगढ़ में खोली जा चुकी हैं। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त तक काफी मिकदार में गेहूं तक्सीम किया जा चुका है।

अब जो मौजूदा सूरते हाल है वह यह है कि हमारी कोशिश है कि ये सब दूकानें जितनी खुली हैं इनमें कम से कम ३० मन अनाज योमिया सब दूकानों में पहुंचाया जाय और वह अनाज इन दूकानों के जरिये से लोगों को बेचा जाय। इसमें ज्यादातर तो वह अनाज है जो हमको केंद्रीय सरकार से मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी हमने कुछ थोड़ा सा मोटा अनाज हासिल कर लिया है, खरीद लिया है, और उसको भी अब हम पहुंचा रहे हैं। इस तरह से जो कमी केंद्रीय सरकार के अनाज के आने में होती है उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस मोटे अनाज से, जो कि हमारे पास ५० हजार टन के करीब मौजूद है अभी तक तो यह जो मोटा अनाज है वह जहां खरीदा गया था, पश्चिमी अंजला के बड़े बड़े मारकेट्स से वहीं था, लेकिन अब हम इसे पूर्वी अंजला में पहुंचा रहे हैं, ताकि वहां जमा रहे और जैसे जैसे जरूरत हो वहां पर यह दिया जाय। जहां तक केंद्रीय सरकार का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि वह बराबर हमको इसमें सहायता दे रहे हैं और कोआपरेशन उनका रहा है, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें पड़ गयीं कि जिनकी वजह से वह भी मजबूर हो गये और जितना उन्होंने वादा किया था उतना अनाज वह हमारे यहां नहीं पहुंचा सके। मसलन् मई के महीने में १० हजार टन का कोटा था हमारे सूबे के लिये। मगर उसमें से सिर्फ दो हजार टन आ सका। आठ हजार टन जो था वह जून में आया। इसी तरह से जून का जो कोटा था, उसमें से सिर्फ ४ हजार टन आ सका और बाकी जो आठ हजार टन था वह हमारे पास जुलाई में आया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जुलाई का २७ हजार टन का कोटा है हमारे लिये, लेकिन इस २७ हजार में से सिर्फ ७ हजार टन जो सेंट्रल रिजर्व में पहले से जमा है हमारे सूबे में वही हमारे पास पहुंच सका और जो हमको और एलाटेड है पोर्ट्स से, बम्बई से, विशाखापटनम से और कलकत्ते से वह अभी तक नहीं पहुंच सका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो मैं बताने जा ही रहा था। आपने बीच में सवाल कर दिया। तो जैसा मैं कह रहा था कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास काफी अनाज आवे, जो कोटा है वह पूरा हो, लेकिन बम्बई में जैसा आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कुछ थोड़ा सा स्ट्राइक वगैरह का सवाल उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जहाज इन सब पोर्ट्स पर एकदम आ गये। पहले स्वेज कैनाल बन्द होने की वजह से बहुत सारा सामान रुका पड़ा था और अब उसके खुलने से वह कुल सामान एकदम से इन सब पोर्ट्स पर पहुंच गया। इसकी वजह से इनके उतारने में देर हो रही है। जिस तेजी से उतरना चाहिये उस तेजी से वह उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से जहाज एक साथ हार्बर में आकर खड़े हो गये। ६ जहाजों के लिये एक वक्त में जगह रहती है सामान उतारने के लिये। तो इस वजह से बावजूद इसके कि यह जहाज लदे हुये खड़े हैं, लेकिन उनका सामान उतर नहीं पाता है। इससे थोड़ी सी रुकावट हो रही है, लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि जितना हमने वादा किया है उसको हम पूरा न करें। केंद्रीय सरकार का २० हजार टन का रिजर्व हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा रिजर्व है, जो हमने कोर्स ग्रेन खरीदा है, उसके जरिये से जो हमने कमिटमेंट किये हैं और जो दूकानें खोली गई हैं उनमें सब में अनाज बराबर पहुंचाया जा रहा है और हम नहीं समझते कि किसी किस्म की कोई ऐसी कमी होगी या कोई ऐसी सूरत पैदा हो जायगी जिसका कि हम मुकाबिला नहीं कर सकेंगे या किसी किस्म से इन जिलों के लोगों को कोई खास तकलीफ होगी। वैसे एजीटेशन तो बहुत काफी किया गया। यह भी कहा गया कि कुछ भुखमरी भी हो रही है।

एक मामला आजमगढ़ का पेश किया गया कि साहब आजमगढ़ में एक हरिजन बच्चे की मृत्यु हो गई, परन्तु इसके मुताल्लिक सरकार की तरफ से तहकीकात हुई और कलेक्टर की रिपोर्ट आई तो मालूम यह हुआ कि वहां पर हरिजन औरत के ५ बच्चे थे। उनमें से दो बच्चे जुड़वा थे और उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। जुड़वा बच्चों में एक बच्चा कमजोर था। टिकटस की बीमारी जुड़वा बच्चों में से एक को हुई। साढ़े ५ वर्ष की उसकी सिन थी और उस बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे तमाम कलेक्टरों को कुछ रुपया भेज दिया गया है कि जहां कहीं ऐसी गरीबी की हालत हो, लोग परेशानी में हों तो वे उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। चुनाँचे कलेक्टर वहां गया। उसको वहां जाकर मालूम यह हुआ कि इस बच्चे को असल में टिकटस की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका इन्तकाल हो गया, यह नहीं कि वह कोई स्टारवेशन से मर गया। उसका इलाज देहात में नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन दवाइयों की उसे जरूरत थी वे वहां उसे नहीं मिल सकती थीं। दूसरा बच्चा अब भी है। उसके लिये कलेक्टर ने सहायता दी। औरत की भी कुछ न कुछ सहायता कर दी गई, ताकि वह दूसरे बच्चों को ठीक से खाना खिला सके और खुद खा सके। इस तरह की फिर एक ही औरत नहीं है। बहुत से ऐसे हरिजन लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने से जो कुछ मिलता है उससे शाम को खाते हैं और अपनी जिन्दगी उस पर गुजारते हैं। इसी तरह उसकी भी गुजर होती है, क्योंकि शौहर नहीं है। चुनांचे उसे ज्यादा दिक्कत होती है। बहरहाल जो बच्चे हैं वे पल रहे हैं गरीबी की हालत में। यह किसी ने फिर दावा भी नहीं किया कि

हमारे मुल्क से गरीबी दूर हो गई या सब लोग खुशहाल हो गये और ऐशो इशरत की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। गरीबी तो है ही, लेकिन यह कहना कि अनाज की कमी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से डेथ हुई यह तो बात को ज्यादा बढ़ा कर कहना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—गढ़वाल में हुई।

श्री सैयदअली जहीर—गढ़वाल के केस की इत्तिला मुझको नहीं है, न वहां की रिपोर्ट मैंने मंगाई। गढ़वाल में जो अनाज की कमी है वह बहुत पुरानी कमी है और उसके लिये वहां ४८४ दूकाने खुली हैं और उनके जरिये से सस्ता अनाज पहाड़ी इलाकों में बराबर तकसीम हो रहा है।

जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया इस वक्त हमारे पास काफी मिकदार में अनाज मौजूद है और २४ जुलाई को जितना अनाज बंट रहा था मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ दूकानों के जरिये से, वह मैं आप के सामने बतला दूं कि इतना इतना अनाज बराबर तकसीम हो रहा है इन दूकानों के जरिये से। देवरिया में गेहूं १५ मन, मोटा अनाज १० मन; गोरखपुर में गेहूं १५ मन, मोटा अनाज १५ मन; बलिया में गेहूं १० मन, मोटा अनाज १० मन; गोंडा में गेहूं २० मन, मोटा अनाज १० मन; आजमगढ़ में गेहूं २० मन, मोटा अनाज १० मन; जौनपुर में गेहूं १० मन, मोटा अनाज १० मन; वाराणसी में गेहूं २० मन, मोटा अनाज १० मन; बस्ती में गेहूं २० मन, मोटा अनाज १० मन। ज्यादातर दूकानों पर ३० मन दिया जा रहा है, कहीं पर २५ मन और कहीं पर २० मन भी दिया जा रहा है। यह भी आर्डर्स हो चुके हैं कि देवरिया, बलिया और जौनपुर में बढ़ा दिया जाय और जो उनके यहां कम तकसीम हो रही है वह कमी पूरी कर दी जाय।

इस प्रकार आप देखेंगे कि जो इस वक्त सूरते हाल है वह ज्यादा बुरी नहीं है। मैं यह जरूर समझता हूं कि पारसाल के मुकाबले में मैंने जो फीगर्स निकाले हैं वह मुझको मालूम हुआ कि मई के महीने में, मैं समझता हूं कि सन् ५६ में जो निर्ख था, उससे बाजार का निर्ख कुछ ज्यादा था। गेहूं की २ रु० ४ आना ११ पाई कीमत ज्यादा थी। इसी तरह से चने की १ रुपया १३ आने, बार्ले की २ रुपया २ आने ज्यादा थी। लेकिन अब, यानी जून के महीने में जब उनका मुकाबला किया गया कि क्या कीमतें थीं और १९५३–५४ में क्या थीं, तो मालूम हुआ कि गेहूं में १ रु० ११ पैसे का फर्क है, चने में १ रु० १८ पैसे का फर्क है और बार्ले में १ रुपये १२ पैसे का फर्क है। तो ज्यादा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिये उसके लिये कोशिश कर रहे हैं और हजारों का गेहूं बराबर फेयर प्राइस शाप पर हर साल बिक रहा है। लेकिन बारिश, जहां तक इत्तला मिली है, अच्छी तौर से हुई है और काफी काश्तकार खुश हैं और अब खेती करने जा रहे हैं और उन्हें यह उम्मीद बंध गयी है कि आइंदा फसल अच्छी होगी और उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वह उम्मीद है कि हफ्ते, दो हफ्ते बाद दूर हो जायगी।

बहरहाल, बारिश के जमाने में जहां एक तरफ उम्मीदें बंधती हैं, दूसरी तरफ जो अनाज देहातों में पड़ा रहता है, वह बाजार में नहीं आता और निर्ख भी इस वजह से बढ़ता रहता है। हम यह सोच रहे हैं कि अगर अनाज की कमी हुई या देहातों से जो अनाज आने में दिक्कत होती है तो उसके लिए हर मुमकिन तदबीर अख्तियार की जायगी। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारे सूबे की खाद्य स्थिति है उसमें किसी तरह से घबराहट और परेशानी की बात नहीं है।

मैं एक इस्तदुआ और करूंगा कि खाद्य का मामला बहुत अहम मसला होता है और बगैर इसके कोई सूबा और देश तरक्की नहीं कर सकता। यह एक बुनियादी चीज है। तो कम से कम इसको अगर पोलिटिकल प्रोपेगंडे के लिये इस्तेमाल न किया जाय तो बहुत अच्छा है। हमारा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिये। लोगों को जो जो तकलीफें खाने के मुताल्लिक हैं, अनाज के मुताल्लिक हैं उन सब को एक साथ मिल कर के, एक दूसरे को समझ बूझ के हल

[श्री सैयद अलीजहीर]

करना चाहिये। हम भी यही चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ दूर हो और सही दामों पर उन्हें गल्ला मिले, और आप का भी यही मंशा है। अगर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जायगा तो लोगयह समझ कर कि कमी है, कमी है, अनाज का आना ही बन्द हो जाता है। निर्ख बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आप को कोई दिक्कत हो तो हम से आप पूछें कि कितना हमारे पास अनाज है, तो हम आप को पूरे इत्तलाआत देंगे, फिगर्स देंगे और जो हम कर रहे हैं वह बतलायेंगे। आप जो सुझाव इस सिलसिले में देना चाहेंगे, उन पर जहां तक होगा हम अमल करेंगे।

आप जानते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी इसी काम के लिये बना दी है, अशोक मेहता साहब उसके प्रेसीडेंट हैं और उनके क्वेश्चनेयर वगैरह आ गये हैं और आवेंगे और इस स्थिति पर वह गौर करेंगे और मुझे यकीन है कि जो-जो बातें उनकी कमेटी तजवीज करेगी, उसके ऊपर हम गौर करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे।

बहरहाल, सूरतेहाल यह है और इससे आप को अन्दाजा होगा कि हम इसको कोई पार्टी क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते जहां तक खाद्य का सवाल है। तो हमारी आप की बड़ी जिम्मेदारी है और हर आदमी को जो इस सूबे में बसता है, उसका फर्ज है कि वह कोशिश करे कि खाद्य की स्थिति दुरुस्त हो और लोगों को पेट भर खाना मिलने लगे और कोई भूखों न मरे। अगर आप इसमें मुत्तफिक हैं तो कोई वजह नहीं है कि हमारे आप के अन्दर इख्तलाफ हो।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाता हूं कि कोई चीज इस वक्त किसी किस्म की परेशानी और घबराहट की नहीं है। हर अख्तियारी तरीका जो हो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये और हल करने के लिये हो सकता है वह हमने ले लिया है और जहां तक हमें उम्मीद है कोई तकलीफ आइंदा भी पैदा नहीं होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मेहरबानी कर के अगर माननीय मंत्री जी यू० पी० में कितनी दुकानें खुली हैं, एक जगह, बतला दें, तो बड़ी सुविधा हो जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--यह तो सारी पापुलेशन पर फैला करके दिखाया जायगा कि कितनी-कितनी है।

श्री सैयद अली जहीर--१४४९ इस वक्त हैं और १५६० थोड़े दिनों में हो जायंगी। पहले १०६२ थीं और अब वह १५६० हो जायंगी। यह तो मैं जहां के गेंदा सिंह जी हैं वहां का जिक्र कर रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह.....

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपको इजाजत नहीं दी। आप कैसे बोलने लगे। यह प्रश्नों का समय नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ही का दिन बहस के लिये दिया गया है और काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये यदि समय तय हो जाता तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने श्री गेंदा सिंह जी को पुकार लिया है अब इनके विचार आ जायं तब इस पर विचार कर लेंगे। भाषणों का समय यदि निश्चित हो जाय तो ठीक होगा।

*श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से माननीय खाद्य मंत्री जी को सुनने की चेष्टा की और उनके बयान से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री की हैसियत से वह नहीं बोल रहे हैं, वह कहीं दूसरे देश के रहने वाले हैं और कुछ कही सुनी बातें उन्होंने सुन रखी है, और दूसरी बातें उनको सुनने के लिये दूसरी तरह से मिली हैं, इस तरह की बात मुझे लगी। उनका बराबर यह दुहराना कि हमने ऐसा प्रबन्ध कर लिया है कि कोई मुसीबत नहीं आ पायेगी। यह बात तो कोई आदमी महल में रहकर ही कह सकता है। जहां पौने दो करोड़ आदमी मुसीबत में फंसे हुये हैं, वहां कभी भी कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि इस तरह की बात करे।

मुझे दुख है इस बात का कि जिन लोगों के बारे में मैं बहुत अच्छी राय रखता हूं और उनके सम्बन्ध में कुछ व्यक्तिगत तौर पर कहने में मुझे संकोच होता है, उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनता हूं, तो मुझे अपने कर्त्तव्य को निभाने के लिये बड़ा साहस करना पड़ता है कि ऐसी बात कहूं। आज क्या अवस्था है इन नौ जिलों में गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के और फैजाबाद के कुछ हिस्सों में, आज आप ऐसे स्थान पर मेरे गवाह के रूप में भी पेश नहीं हो सकेंगे, लेकिन आज खाद्य मंत्री जी समझने की कोशिश करें कि फैजाबाद के टांडा और अकबरपुर में क्या यही अवस्था है? नहीं है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह लाखों आदमियों की जान से खिलवाड़ न करें। राजनीति माननीय मंत्री जी के साथ मैं करता हूं, तारकेश्वर पांडे जी करते हैं, खाद्य मंत्री जी के साथ, जितने विधायक हैं वह भी करते हैं, कांग्रेस कमेटी भी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी करती है, यह मैं मानता हूं और जन संघ करता है यह भी मैं मानता हूं, सोशलिस्ट पार्टी करती है, यह भी सही है, और मैं भी करता हूं, इससे मैं इंकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो उनके अंग हैं वही करते हैं। ऐसे लोग जो उनके अभिन्न अंग हैं वही उनका अविश्वास करने लगें तो इसका कोई कारण है या नहीं, हमें सोचना चाहिये। मैं उपदेश करना नहीं चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक दोस्त आज की बहस में हिस्सा ले सकें, इसलिये मैं अपनी बात जल्दी ही कहकर निवेदन करूंगा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं और की जायंगी तो इस आदत को छोड़ना चाहिये और वस्तुस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश की जाय और कबूल करने की कोशिश की जाय। अगर कबूल की जायगी तो सरकार की इज्जत नहीं घटेगी। सरकार का कोई दोष नेचुरल कैलेमिटी में नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी "नेचुरल कैलेमिटी" है, लेकिन उस पर कब्जा पाने के लिये सरकार है। यदि पूरा नहीं पा सकती तो महात्मा गांधी के शब्दों में कहना है कि नैचुरल कैलेमिटी कोई ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों की या पहाड़ के लोगों की मानोपली नहीं है। सारे देश के लिये है और अगर सारे देश के लिये नैचुरल कैलेमिटी है तो उसको स्वीकार करके फेस करना चाहिये और उस दिशा में कुछ भी करना पड़े तो उसमें सचेष्ट होना चाहिये और उससे इंकार नहीं करना चाहिये।

मैं सरकारी कागजों के आधार पर ही निवेदन करूंगा कि सरकार ने उस नेचैरल कैलेमिटी को किस तरह से माना है। उन जगहों पर तो उसने माना है जहां पर सदन से बजट को स्वीकार कराना पड़ता है, लेकिन जब बजट पास हो गया तो उसके बाद सरकार फिर उसी "नैचुरल कैलेमिटी" को इंकार करने में अपनी बड़ी मर्यादा और अपनी बड़ी इज्जत समझती है। बजट स्पीचेज जो फाइनेंस मिनिस्टर की हुआ करती हैं उनकी बड़ी सैंक्टिटी है और मैं समझता हूं कि वह बहुत समझ बूझकर दी जाती है और मैं आपकी इजाजत से अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सब स्पीचेज को नहीं पढ़ूंगा और वक्त ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कुछ को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। इधर लगातार कई वर्षों से इन लोगों ने बराबर इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में बड़ी भारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

कमी है और इन प्राकृतिक आपदाओं ने तो हमें तबाह कर रखा है । मैं समय बचाने के ख्याल से यह सोचता हूं कि ५२–५३ से इधर की बात पेश कर दूं। ५२–५३ की स्पीच के पेज १६ पर उन्होंने लिखा है—

"Members are aware that this state has suffered from aesuccession of agricultural calamites during the last four years."

मैं इतना ही पढ़कर स्थगित करता हूं और माननीय मंत्री जी इसे पढ़ लें। माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब का यह पवित्र भाषण है और पवित्र भाषण में इसे इसलिये कहता हूं कि जब बजट पर फायनेंस मिनिस्टर बोलता है तो यह मैं नहीं समझ सकता कि वह झूठ बोलता होगा। मैं समझता हूं कि वह सच बोलता होगा और उसको सच मानकर कहता हूं। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि सक्सेसिव फोर इयर्स से हम नैचुरल कैलेमिटी से सफर कर रहे हैं। यह तो उन्होंने उस वक्त कहा। फिर ५१–५२ में भी उन्होंने कहा था। ५१–५२ के बजट भाषण में उन्होंने बड़ा पैथेटिक सीन दिखलाया है। लेकिन उसको नहीं रखता हूं। अब ५५–५६ को कृपा करके देख लें। इसमें उन्होंने शुरू में ही पहले पन्ने पर फरमाया है —

"Many parts of the country were in the grip of near-famine conditions."

इसमें वे कहते हैं कि बिल्कुल अकाल के चंगुल में हमारे देश के कुछ हिस्से हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि वही हिस्से जो पहाड़ के और पूरब के हैं ये दोनों ही हिस्से बताये गये हैं। बदकिस्मती कहूं या खुशकिस्मती कहूं कि आगे चलकर उनको होश आया और अपने ५६–५७ के भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि "राज्य सरकार ने गल्ले के उत्पादन में बहुत उन्नति की है और सिर्फ यही नहीं कि .६८३ मिलियन टन गल्ले की पैदावार का वह लक्ष्य जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था उसे पूरा किया गया, बल्कि उत्पादन ३.६३ मिलियन टन और अधिक हुआ। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सन् १६५५–५६ को मयारी साल मानते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २ मिलियन टन्स गल्ले का और उत्पादन किया जाय।" सन् १६५६–५७ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यह फरमाते हैं और इन्हीं वर्षों में आप देखिये कि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या फरमाता है। आज ही हमारी टेबिल पर एक किताब रखी गई है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की १६५६ की कार्यवाहियों का विवरण दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि बाढ़ से ६१,८३,१६१ एकड़ भूमि को क्षति पहुंची। काफी पापुलेशन एफेक्टेड हुई और ४,००,००० घर गिर गये। सरकारी तखमीना यह है कि २२ करोड़ रुपये की क्षति हुई फसलों आदि की और १५५ आदमी और २५६५ पशु मर गये। इसके पहले सन् १६५४ की यह रिपोर्ट है। ३३,००,००० एकड़ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र रहा और इसमें खेती १८,००,००० एकड़ बरबाद हुई और इसी तरह से आगे मृत व्यक्तियों की संख्या है और मृत मवेशियों की संख्या है। यह भी सब काफी बड़ी तादाद में है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप लोगों की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि यह भाग पहले से ही, पुराने जमाने से ही काफी परेशान रहा। रेवेन्यू विभाग की एक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि गोरखपुर, बनारस आदि के हिस्सों को अंग्रेजों ने कोल फील्ड्स के लिये और चाय बागानों के लिये मजदूर प्राप्त करने के लिये समझ रखा था और इसके लिये वे समझते थे कि इन भागों में गरीबी का रहना जरूरी है। यह बात मैं रेवेन्यू विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। यह इसलिये कि अगर गरीबी नहीं रहेगी तो मजदूर नहीं मिल सकेंगे। इसके अलावा अंग्रेजों को कुछ इस हिस्से से बैर भी था।

ऐसी शत्रुता थी कि वे उसे निभाना भी चाहते थे। इस भाग में कुछ ऐसे काम हुये कि जो मुल्क के नाम पर तो भले ही गौरव के रहे हों लेकिन शासनकर्त्ताओं को परेशान करने वाले थे।

सन् १८५७ की नेतागिरी का भी कुछ सौभाग्य इस प्रदेश को प्राप्त हुआ। मैं यह नहीं कहता कि नेता यही प्रदेश था, इसकी वजह से सन् ५७ का गदर हुआ। गदर तो मेरठ में शुरू हुआ, लेकिन शुरू करने वाले लोगों में अंग्रेजों ने पहचाना कि यह लोग भी थे और इसलिये स्वाभाविक था कि वे नाराज होते। चम्पारन में जो सबसे पहले आन्दोलन हुआ वह इसी नार्थ बिहार में था और इस यू० पी० के इलाके से मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण उसका असर हम पर भी पड़ा।

सन् २२ में, उस वक्त की भाषा के हिसाब से भले ही हमने गलती की हो, हो सकता है, लेकिन हमने चौरीचौरा का थाना फूंका और अंडमान जाने का काम किया। ७२ आदमियों को फांसी हुई और बाद में फांसी की सजा को बदल कर उनको अंडमान की सजा मिली।

सन् २२ के बाद सन् ३० में, धरने के जमाने में जो कुछ गोरखपुर, बनारस, छपरा और नार्थ बिहार ने किया उसका मैं अपने नेताओं को स्मरण दिलाना चाहता हूं। मैं अपने को उस क्षेत्र को ऊंचा उठाने की बात नहीं कहता, लेकिन जो परिस्थिति है उसे आपके सामने रखना चाहता हूं।

सन् १९४२ में गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बनारस ने क्या किया उसकी याद अभी ताजा है। ऐसी हालत में हमारा कसूर आप मानने लगें, जो देश के नाम पर मरे तो फिर जरा मुश्किल हो जाती है।

अंग्रेज की बात हम समझ सकते थे। उसको तो कोलमाइन्स और चाय बागान के लिये मजदूरों को भेजना था लेकिन जिन लोगों के पुकार पर, उस इलाके के लोगों ने अपनी जान को जान नहीं समझा। क्या उनको यह हक नहीं है कि आज वह इतनी मांग करें कि हमको पेटभर अनाज दो ? आप कहते हैं कि लोगों को भीख मांगने की आदत न सिखाइये। मैं कहता हूं कि हमारी केंद्रीय सरकार अमेरिका के सामने हाथ पसारती है कि हम भूखों मर रहे हैं हमको अन्न दो उसमें हमारी इज्जत नहीं घटती है। हमारे फारेन मिनिस्टर और हाई कमिश्नर उनके सामने हाथ पसारते हैं उससे इज्जत नहीं घटती है। जब हम आपके सामने कहते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं हमको रोटी दीजिये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम लूटना नहीं चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते हैं हम अपने हक को समझकर आते हैं कि हमें अन्न दीजिये। तो यह कौन सी बात है कि हम भीख मांगने की आदत डाल रहे हैं।

हम जानना चाहते हैं माननीय चरणसिंह जी से कि वे हमको समझा दें कि हम उन अपने निर्वाचकों को क्या सलाह दें जो हमारे पड़ोस में भूखों मर रहे हैं। क्या हम उनसे कहें कि तुम बच्चे कम पैदा करो या अंडमान जाओ या हम उनको यह सलाह दें कि तुम इन्टेन्सिव खेती करो। यह सलाह दी जा सकती है कि तुम अपनी मेहनत पर खड़े हो और मेहनत करके जो तुमको मिट्टी ढोकर २,४ आना मिलता है उस पर अपनी गुजर करो और रात में अपनी बदनीयती मत करो यह हमारी देशभक्ति कहती है लेकिन दूसरे देशों की देशभक्ति क्या कहती है इसको मैं और आप सब समझते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं केवल एक बात और याद दिलाना चाहता हूं।

यहां पर अन्न मंत्री जी मौजूद हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आप इसको हल नहीं कर सकते। अगर यह मसला हल हो सकता है तो सारे हिन्दुस्तान की सरकार हल करें तो हल हो सकता है। आपको क्यों उस हिन्दुस्तान की सरकार के सामने शर्म आती है। अभी तुंगभद्रा डाम के उद्घाटन के समय श्री पाटिल ने कहा था कि १६

[श्री गेंदा सिंह]

अरब रुपया पिछले १० साल में इस डैम्स के बनाने पर खर्च हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब बतायें कि इस १६ अरब रुपये में से कितना रुपया आपने लिया, सिवाय रिहन्ड डाम के जो कि शायद सन् १९६१ में पूरा होगा, आपने और यहां क्या किया। यू० पी० का छठा हिस्सा होता है तो इस १६ अरब में आपने कितना लिया। आपको वहां से मिलता नहीं है और वह इसलिये नहीं मिलता है कि आप कहते हैं कि हमारे यहां की सब समस्यायें हल हो गयीं। हमारे पास अन्न इतना है कि आपने अपनी जरूरत को पूरा कर लिया और जरूरत पूरी कर लेने के बाद आप गवर्नमेंट आफ इंडिया को आफर करते हैं तो फिर आपको क्यों मिले। आपको नहीं मिल सकता है। वे लोग उनसे पायेंगे जो आज हाथ उनके सामने फैलाये हैं और अपनी वस्तु स्थिति को कहने के लिये तैयार हैं। वह अपनी जनता को रिप्रजेन्ट करते हैं और अपनी जनता को रिप्रजेन्ट करके उनसे लेते हैं।

एक बात मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह नमक का हिसाब है। मद्रास और बम्बई इन दोनों प्रदेशों से आपकी जनसंख्या ज्यादा है। इसमें यह फिगर दिया हुआ है कि सन् ५४–५५ अगस्त तक कितना नमक किसको मिला। बम्बई को १९५४–५५ में १ करोड़ २ लाख १७ हजार मन मिला और मद्रास को १ करोड़ ४ लाख ५८ हजार मन मिला। उत्तर प्रदेश को ८३ लाख २६ हजार टन मिला।

श्री सैयद अली जहीर—कमी तो नहीं पड़ी।

श्री गेंदासिंह—जब मौत हो रही है तब भी कमी आप नहीं मानते हैं। आप जरा पता तो लगाइये कि नमक क्या भाव बिक रहा है। ८ पैसे सेर से कम नमक कहीं नहीं मिल रहा है। किस भाव नमक मिलना चाहिये, यह भी उनको जानकारी होनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—आपने कभी कहा नहीं।

श्री गेंदासिंह—मैंने एक मर्तबा नहीं, दर्जनों मर्तबा कहा है और कहा है कि कन्ट्रोल उठाइये। लेकिन कन्ट्रोल हटाने पर आपने मोनोपली रखी कि आपका नामिनी ही नमक मंगा सकेगा। मैंने इस बात की चर्चा इसलिये कर दी कि मैं जानता हूं कि यू० पी० से मिनिस्टर सेन्टर के लिये चाहिये। हमारी मिजरी और मौत को कौन रिप्रेजेन्ट करे? आपको मिनिस्ट्री चाहिये और उसके लोभ में करोड़ों आदमियों की भूख को आप इंकार करते हैं। आखिर, आप बनारस, गोरखपुर और कुमायूं डिवीजन को तो देखिये कि उनके पास खेती कितनी है। राजस्व मंत्री जी जरा बतलावें कि क्या यह सही नहीं है कि सब से अधिक छोटे खाते वाले बनारस और गोरखपुर डिवीजन में बसते हैं। आधे और १ एकड़ से कम के १८ लाख खाते के करीब बनारस और गोरखपुर डिवीजन में हैं। उसमें भी बराबर लगातार १० साल से नेचुरल कैलमिटी बरबाद करती रही है, चाहे वह सूखा या बाढ़ या पत्थर के रूप में हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि वह हमारी फसल बरबाद करती है बल्कि पचासों वर्ष से बने हमारे झोपड़ों को और फूस की दीवारों को बरबाद करती है। फरवरी से लेकर जुलाई तक हम भोजन भी नहीं बना सकते हैं और अगर खाना बनावें तो गांव जल जायगा। इस साल हजारों गांव और आदमी जले। गांवों की अवस्था में जो कांग्रेस वाले ताड़केश्वर जी कहते हैं उसे स्वीकार कीजिये। मैं तो आपका राजनैतिक शत्रु हूं। सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता हूं लेकिन जो आपके बगल में हैं वे तो आपको मजबूत करना चाहते हैं। अपने चुननेवालों की जिम्मेदारी उन्हें करनी होगी। मैं नहीं मानता कि उस जगह बैठने की वजह से जो कुछ भी सरकार कहती रहेगी उसे वे भी कहते रहेंगे।

श्री चरणसिंह—'एजैन्ट प्रोवोकेट्योर' का शब्द आपने सुना है?

श्री गेंदासिंह---अगर कांग्रेस वालों के लिये मैं "एजैन्ट प्रोवोकैट्योर" का काम कर सकूं तो अपने को धन्य समझूंगा ।

रबी के लिये इस साल कहा जाता है, और मैं भी कहता हूं, कि रबी की फसल रुपये में १२ आना नष्ट हो गई है और यू० पी० कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, ८० फीसदी बरबाद हुई है । हो सकता है कि मैं तो उनके साथ राजनीति खेलता हूं लेकिन क्या कभी उनकी ताड़केश्वर पांडेय जी से भी अकेले में बात हुई है कि क्यों भाई, राजनीति वालों को यह खूराक क्यों देते हो । लेकिन सही बात यह है चाहे उसे ताड़केश्वर जी कहें चाहे और कोई कहे, कि रबी की फसल बरबाद हुई है । रबी की थोड़ी सी बाल अभी मेरे पास रखी हुई हैं जिसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा । बाल लगी हुई है लेकिन दाना नहीं है । आज माननीय राजस्व मंत्री जी हमें रेवेन्यू मैन्युअल रटवाते हैं, फेमिन कोड रटवाते हैं, दूसरों से मदद लेकर पढ़ता हूं । लेकिन मैं पूछता हूं वे तो रेवेन्यू मैन्युअल को देखते ही होंगे लेकिन क्या कलेक्टर और लैंड रिफार्म्स कमिश्नर भी उसको देखते हैं या नहीं । जरा वह मुझे बतायें । इसके पैरा १५९ और १६० को मेहरबानी करके वह देखें । पैरा १५९ में यह लिखा हुआ है—

"159. The Collector is directly responsible for bringing such deterioration to the notice of Government at an eary stage, and for taking timely action to recommend a reduction of the demand."

इसमें 'टाइमली' लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है । मैं जानना चाहूंगा टाइमली के माने क्या हैं । जिस वक्त रबी में कोई नुकसान पहुंचे, गेरुआ लगे, ज्योंही नुकसान पहुंचे कलेक्टर को चाहिये कि वह वहां जाकर उसका पता लगाये । पैरा १६० में इसको साफ तौर पर उसकी चीफ ड्यूटी लिखा हुआ है । पैरा १६० में लिखा हुआ है—

"160. The Collector's chief duty in this most important matter is to carry out adequate touring of his district himself, and to see that his Sub-Divisional Officers, Tahsildars, and subordinate revenue staff also tour adequately, so that a constant watch is kept over the agricultural condition of every part of his districat particularly that of the poorer and more precarious areas."

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर इसको फालो करता है । १५ मार्च को रेवेन्यू मिनिस्टर को मैंने एक चिट्ठी लिखी, पहले भी लिखी थी और उनमें उनको बताया कि आज भी फसल खलिहान में पड़ी हुई है, कुछ खड़ी हुई है इसकी जांच करा ली जाय नहीं तो बाद में ऐसा वादविवाद उठेगा कि जिसका अंत न हो सकेगा । मैंने कहा कि किसी एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट को भेज दिया जाय ताकि इस बात की जांच हो जाय कि फसल कितनी हुई है । रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबनी करके दो लाइन्स लिखीं और लिखा यह कि "इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।" अब मैं क्या कहूं मैं उनसे कुछ दबता हूं, बड़ी उम्र होने के नाते या ज्यादा पढ़े लिखे होने के नाते । उन्होंने मुझसे ज्यादा रेवेन्यू मैन्युअल पढ़ी होगी और जब मैं दुतकारा गया तो मैंने भी उसको पढ़ना शुरू किया । मैं पूछना चाहता हूं क्यों १५ मार्च के बाद असेसमेंट के आर्डर भेजे गये और मैंने असेस करने का जो तरीका कहा था वह क्यों मंजूर नहीं किया । रेवेन्यू मिनिस्टर साहब वहां गये । प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या कुछ कहना है तो मैंने कहा कि मैं उनके काम में अड़ंगा लगाना नहीं चाहता, इस वक्त उनको एम्बरेस करना नहीं चाहता । उनको जाने दो । चरण सिंह साहब की आंख और मेरी आंख और मेरा दिल और उनका दिल दो थोड़े ही हैं । लेकिन उन्होंने इसका उचित लाभ उठाया इसकी जरूर मुझे शिकायत है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात उन तक पहुंची भी या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—अखबारों में छपा था और यह मुझे मालूम है कि वे मुझको कम से कम पढ़ने की मेहरबानी करते हैं और मैं उनको पढ़ता हूं लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ में किया, मैं समझता हूं मैं वह डिजर्व नहीं करता, लेकिन हुआ, बदकिस्मती है हमारी।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी-जल्दी दो एक बात आपसे कह दूं। हम फूड प्राब्लम पर कई वर्षों से बहस करते चले आ रहे हैं। हम शाम तक बहस करते हैं और बहस करने के बाद एक लब्ज है "टाक्ड आउट" यानी बात खत्म हो गयी और उसकी ऐसी बुरी तरह से समाप्ति होती है कि फिर दूसरे वर्ष की हम तैयारी करते हैं। यह सही है कि रिलीफ मेजर्स में कुछ तकावी बांटी जाती है, कुछ और चीजें भी हो जाती हैं, प्रेच्युटस रिलीफ भी दी जाती है और सरकार करोड़ों रुपये इस मद में खर्च करती है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है और जिन लोगों को हम मदद करना चाहते हैं, उनकी भी मदद नहीं कर पाते और कोई भी सरकार मदद नहीं कर सकती जब तक कि वहां की जनता अपने पैरों पर स्वतः न खड़ी हो जाय। कोई भी सरकार इस तरह से किसी को नहीं खिला सकती है ...

श्री चरणसिंह—यही तो हमारा जुर्म है।

श्री गेंदासिंह—यहां पर आपने जुर्म नहीं किया है, लेकिन आपने दूसरी जगह जुर्म किया है जिसको आप स्वतः ही कहेंगे। मैं क्या कहूं? यहां की जनता को आप से यह बात कहने का हक है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन हम लड़खड़ा गये हैं, जरा बांह लगा दीजिये, जरा सहारा लगा दीजिये। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था और बराबर कहता रहा हूं कि जब कि यहां के लेबर्स कोल माइंस में जा कर मर सकते हैं, पूरब के मजदूर मैन्युअल लेबर करने में अपनी शानी नहीं रखते हैं और ये सारे देश में फैले हुये हैं....

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, आप की इजाजत से मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वे लफ्ज "पूरब" यहां बिलकुल न कहें तो अच्छा होगा। वे यह कहें कि हमारे सूबे के, हमारे देश के गरीब आदमी मजदूरी करने से नहीं हिचकिचाते हैं।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन जब यह बात कहता हूं तो वह इसलिये कि जब अन्न समस्या के हल की बात होती है तो उस वक्त मिनिस्टर साहब पूरब को भूल जाते हैं, कुमायूं को भूल जाते हैं। इस देश की मिनिस्ट्री के सामने भी पूरब के ९ जिले और कुमायूं के जिले रहने चाहिये, इसी से मुझे पूरब, पूरब, पूरब, दसों बार कहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त मैं पूरब की बात न करूं तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि मुझे पूरब कहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चूंकि हम अभावग्रस्त इलाके से आते हैं इसलिये मैं अभावग्रस्त इलाके ही कहूंगा।

जहां तक भुखमरी का सवाल है, सरकार की ओर से कहा जाता है, कि हमारे सूबे में ऐसी कोई समस्या नहीं है। माननीय खाद्य मंत्री ने आप के सामने ही कहा है कि भूख से कोई मर नहीं सकता है। बड़ा बढ़िया प्रबन्ध कर रखा है, ऐसा बढ़िया प्रबन्ध कर रखा है कि कोई भूख से नहीं मरने पायेगा। खाद्य मंत्री जी के कहने पर मुझे ऐसा कहने की जरूरत पड़ी है, नहीं तो मैं नहीं कहता।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर क्या हो? और किससे कहा जाय? अगर सरकार इजाजत दे तो हम लोग एक गिरोह बना लें और गिरोह बना कर इस यू० पी० सरकार से यह बात न कह कर समूचे देश में घूम-घूम कर कहते फिरें कि हम भूखों मर रहे हैं। सरकार हमको ऐसा करने की इजाजत दे, नहीं तो वह हमारी बात सुने और सुनने के बाद इस पर गौर करे।

मैं यहां पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह झगड़ा हमारे और आप के बीच का है। जो इधर बैठे हुये हैं या उधर बैठे हुये हैं या आप की तरफ बैठे हुये हैं, सभी कहते हैं कि भूख से मृत्यु हुई है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में भूख से मृत्यु हुई है, बलिया

में भूख से मृत्यु हुई है और देवरिया में भी मृत्यु हुई है, लेकिन उस मृत्यु को आप कबूल नहीं करते हैं। मेरे पास अभी एक चिट्ठी आयी है जिसको मैंने जानबूझ कर आप के सामने नहीं रखा है। एक सभापति की चिट्ठी तमकुही से आयी है कि वहां एक आदमी की भूख से मृत्यु हुई है लेकिन चूंकि मैं वहां गया नहीं हूं इसलिये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। जब मैं खुद जाऊंगा और देख कर आऊंगा तब ही मैं बतला सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है .... इसलिये अभी मैं उसको सही नहीं मानता। मैं दावे से यह कह सकता हूं कि मिर्जापुर में जो इतनी बड़ी मृत्युएं हैजे से हुई हैं उनमें भूख से मरने वालों की संख्या अधिक है। गाजीपुर में जो हैजे से मौत हुई हैं उनमें भूख से मरने वालों की संख्या ज्यादा है और जो संख्या आज हाउस को बताई गई उसमें चेचक की बीमारी, आंख की बीमारी, कोढ़ की बीमारी और हैजे आदि की बीमारी उन्हीं भूखग्रस्त लोगों में ज्यादा हुई और उन्हीं जिलों में ज्यादा हुई जहां लोगों में ताकत ही नहीं रह गई।

जब बीमारी का सम्बन्ध खाने-पीने से है तो सरकार को मान लेना चाहिये और बंगाल फेमीन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यहां की लाइब्रेरी में मौजूद है, वह वहां रखी रहने को नहीं आई है, उस को माननीय वित्त मंत्री, अन्न मंत्री और माल मंत्री को कई-कई बार पढ़ना चाहिये और कम से कम उस हिस्से को तो जरूर पढ़ा जाना चाहिये कि जो इस समस्या से सम्बन्धित है। अंग्रेज जो बड़ा बदमाश था और जो देश के लोगों को बदनाम करता था उस ने भी बड़ी खूबसूरती से मंजूर किया कि यह पेट के रोग, अतिसार और यह ग्रेस्ट्रोइनटाइटिस से जो लोग मर रहे हैं इन तमाम रोगों का कारण भूख है और यह मर्ज सब भूख से पैदा हैं। यह सब फेमीन डिजीज हैं। इस रिपोर्ट के महीन अंग्रेजी के शब्द हैं मुझे पढ़ने में जरा दिक्कत होगी, अगर वह थोड़ा बहुत बैठ कर पढ़ना चाहें तो मैं पढ़वा दूंगा, लेकिन मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा उनको पढ़ाने की क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय माल मंत्री जी और माननीय अन्न मंत्री जी पढ़े लिखे आदमी हैं और यह कोई छिपी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ें।

आप मिर्जापुर की मौतों के बारे में डाक्टरी जांच बैठावें और मैं साबित करूंगा कि वहां मौतें भूख से ही हुई हैं। मिर्जापुर में जिरगाबांध से बीमारी शुरू हुई और वहां पर वह बलिया, आजमगढ़ वगैरह के भूख से मरने वाले लोग इकट्ठा थे जो वहां पर मिट्टी ढोकर पेट भरने आये थे, उनमें बीमारी पैदा हुई और कहा जाता है कि वहां वह बीमारी चन्द्रग्रहण और सूर्य ग्रहण से पैदा हुई और वहां से जो लोग अपने-अपने गांवों में जहां-कहीं भी पहुंचे उन्होंने बीमारी फैलाई। मैं जानता हूं कि यह कन्टेजस डिजीज हैं लेकिन क्या यह कन्टेजस डिजीज अली जहीर साहब को या मुझको भी सताते हैं, हमें क्यों नहीं सताते? हम लोग भी रोज खराब खाना खाते हैं और खराब रास्ते से चलते हैं, यह कन्टेजस डिजीज हमें क्यों नहीं दबाते, लेकिन वह बेकसूर मारा जाता है, वही उनका शिकार होता है जो कोई पाप नहीं करता, सिर्फ वह एक पाप यह करता है कि वह भूखा मरने से अपने को बचाने के लिये मेहनत मजदूरी कर के कमाने निकलता है। हमें इस दशा पर उस को विचार करना चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातों को छोड़ देता हूं, वहां की आफतों से मेरा दिल भरा है। मैं यहां एक गुप्ता जी की किताब को ले आया हूं, इसमें बड़ी खूबसूरती से कबूल किया गया है कि यू० पी० के कुमायूं के हिल डिवीजन की ऐसी बुरी अवस्था है कि वहां इतने लाख मन अनाज जाना चाहिये और इतने मन दिया गया है। कहा जाता है कि ६० लाख या ८० लाख आदमियों को आसटेरिटी प्राविजन स्कीम में अनाज पहुंचाया गया लेकिन उस मुसीबत से आज की यह मुसीबत तीव्रतर है लेकिन वह आज कहते हैं कि यू० पी० में १५०० दूकानें हैं और ४०० पहाड़ में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी यह भी देखने की कोशिश की कि केरल ने, पश्चिमी बंगाल ने और बिहार ने कितनी दूकानें खोल रखी हैं,। केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार और मैं स्मरण नहीं कर पाता हूं एक और सूबे में, हां मदरास में, इन चार सूबों में करीब २३ हजार दूकानें खुली हुई हैं और इस तरह से नहीं है जैसे हमारे यहां दूकानें चलती हैं कि १० दिन अनाज मिला तो ५ दिन बन्द रहीं। ऐसी हालत नहीं है। उन २३ हजार दूकानों

[श्री गेंदासिंह]

को अनाज मिलता है और मैं फूड मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि अभी-अभी ८,१० रोज पहले जो सूचना फूड मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में दी थी कि ५,७०० दूकानें केरल में, साढ़े पांच हजार बंगाल में, साढ़े पांच हजार बिहार में और साढ़े पांच हजार के लगभग मद्रास में हैं, और हम बड़े जोम में हैं कि हमने १४०० दूकानें खोल लीं। तो मेरा आज कहना है और इस कहने को अब आप क्षमा करें, आज तक मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन आज कहता हूं कि आप का इरादा कोई है, हमको भूखों मारने का आपका इरादा है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं इस बात को कि मालूम नहीं क्यों इस यू० पी० की सरकार का इरादा है भूखों मारने का? मैन मेड फ़ेमिन है। इसलिये यह जो सारी बातें कही हैं इस सूरत में कि हमारी रबी की फसल बर्बाद हुई, आप कहते हैं मालगुजारी वसूल करेंगे और उससे वसूल करेंगे जो आदमी आज १ रु० बिना अपना खेत परती छोड़ रहा है। १ रु० आप मुल्तवी नहीं कर सकते? मैंने यही कहा था कि आप ५ आदमियों की एक कमेटी बनायें जो पश्चिमी जिलों के हों, पूर्वी जिलों के सो भी नहीं, और वे वहां जा कर देखें कि क्या हालत है। मैं जानता हूं पश्चिमी जिलों के लोग जिस निगाह से देखते हैं, वे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब थोड़े ही हैं, वे दूसरे लोग हैं और मुझे विश्वास है कि अगर वे जाते हैं तो हमारी मुसीबत में हंसी नहीं उड़ायेंगे। उनके दिल में हमारे लिये दर्द है। वह ५ आदमी जो रिलीफ़ देने को कहें वही आप दीजिये, लेकिन एक बात कर दीजिये कि मालगुजारी वसूल करना मुल्तवी कर दीजिये। साफे में बांध कर कलेक्शन अमीन जो गरीब किसानों को घुमाता है गांव में, उसको बन्द कर दीजिये। मैंने अभी रेवेन्यू मैनुअल में देखा है कि इसका हिसाब रखा जाता है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि उस कागज का हिसाब कहां रखा गया है और एक रुपया दो रुपया के लिये उसको मुर्गा बनाया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर ५० लाख रुपया बकाया रह जाय जब कि आप करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं और जो अभी चर्चा की उस चमार की आजमगढ़ के, जो इस अवस्था में है कि जिस समय चपरासी मालगुजारी मांगने के लिये जाता है तो उसके दिल से पूछिये कि उसका दिल क्या कहता है, उसको फूड मिनिस्टर साहब कभी रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसके दिल से पूछिये। उन ५ आदमियों को भेजे होते जो ८, १० गांवों में घूमे होते तो समझे होते कि किस मुसीबत में हैं। इस मुसीबत में कम से कम मालगुजारी मुल्तवी कर दी जाय, मैं माफ करने को नहीं कहता हूं। अब मैं आपसे फिर कहता हूं कि सरकार ने ज्यादती की, सरकार ने पाप किया, सरकार को जो कुछ नहीं करना चाहिये था, वह किया। लेकिन हमारे कहने से मत करो मैं उन कांग्रेसी लोगों के कहने से कहता हूं जिनकी बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर वे उस कुर्सी को खींच लें तो आप वहां बैठ नहीं सकते। उनके कहने के मुताबिक वह आज मेहरबानी करके, राजनीति के नाते नहीं, आज तो कम से कम यह ऐलान करें, हालांकि मालगुजारी वसूल हो चुकी, कि अब वसूल नहीं होगी। लेकिन आज भी नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, मैं जानता हूं। उनको मजा आता है इसमें। अब हम क्या कहें किसान बांधा जाता है, परेशान है, वह चाहे मरे, अपने खेत को परती छोड़े, लेकिन लोटा, थाली बेच करके मालगुजारी अदा करे। यह रोब, रुतबा और सम्मान है सरकार का। मैं इसको सम्मान नहीं समझता।

अन्त में मैं यह कहूं कि इस विवाद का अन्त कहीं होगा? मैं कहता हूं कि यह स्थिति है और मैं ही नहीं कहता हूं बहुत से लोग कहते हैं। तो इसका अन्त कैसे होगा? इसका अन्त इसी प्रकार हो सकता है कि आप कोई कमीशन बैठाइए। और जैसा कि राजस्व मंत्री जी कहते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कि भाई यह बीमारी तो क्रानिक-बीमारी है। मैं भी मानता हूं कि क्रानिक बीमारी है। तो इस क्रानिक बीमारी को दूर कौन करेगा? अगर बीमारी है तो इस बीमारी का डाक्टर कौन है? बीमारी के डाक्टर तो आप बैठे हुए हैं, यह सरकार है। तो मेहरबानी करके उसका निदान कीजिए और निदान करके उसका इलाज कीजिए। आप अपने आलस के मारे कहते हैं कि नहीं, बीमारी ही नहीं है। तो

अगर बीमारी आप नहीं समझते हैं तो हम इस बीमारी को अब आपके दरवाजे पर बैठाकर आप का चलना फिरना दुश्वार कर देंगे। बीमारी को आपके दरवाजे पर बैठा कर हम चल देंगे। यही तरीका अब हमारे पास रह गया है। आप या तो बीमार को दवादारू करेंगे या वह वहीं मरेगा। हमारे लिए और कोई चारा अब नहीं है।

मैं जरूर चाहता हूं कि रिलीफ का काम हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस वक्त कोई सुझाव हम रिलीफ का नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हमारे रिलीफ के सुझाव दूसरों से कम हो सकते हैं। मैं अब भी विश्वास करता हूं जो कोई भी वहां की स्थिति को देखेगा सिवाय मिनिस्टरों के, मिनिस्टरों के ऊपर अब मेरा विश्वास नहीं रह गया है, उनके दिल नहीं रह गया है, उनके सिवाय और जो कोई भी देखेगा उसके दिल तो जरूर होगा, तो उस दिल से मेरी गवाही हो सकती है और उसके जरिये जो रिलीफ का काम बताया जाय वह रिलीफ का काम किया जाय।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चवन्नी पर हमसे टेस्ट वर्क कराया जाय और तीन-तीन हफ्ते तक मजदूरी न दें, इसलिए तीन हफ्ते तक न दें कि अब भी यह काम छोड़ के भाग जाय, तो कहां जाय भाग के? जाय कहां? यह तो बताइए? यह हजारों आदमी जो चार आने, तीन आने की मजदूरी पर काम करते हैं जब कि ऐग्रीकल्चरल लेबर इन्क्वायरी कमेटी जो बैठी थी उसने बताया है कि ११ आने ऐग्रीकचरल लेबर की मजदूरी है, तो चार आने की मजदूरी पर आदमी काम करे और काम करने के बाद उसको मजदूरी न मिले, भाग जाय तो यह समस्या ऐसी है कि चाहे फेमिन कोड को देखिए, चाहे रेवेन्यू मैन्युअल को देखिए और नहीं तो अपने दिल को जरा टो कर देखिए, इसका इलाज कुछ तो होना चाहिए। अपने दिल को टो कर जरा इस बात को सोचिए कि इस खित्ते को चाहे वह कुमायूं का पहाड़ी खित्ता हो, चाहे वह पूरब के नौ जिले हों, और फैजाबाद के आधे जिले को मैं बारबार दोहराता हूं, यों डेफिसिट जिले और भी हैं लेकिन उनमें वह मुसीबत नहीं है जो कि यहां है, तो कमीशन जो बैठेगा वह इस मुसीबत को देख कर कुछ उपाय बतलायेगा और कोई मैं थोड़े ही बैठूंगा उस कमीशन में, सम्भव है कि माननीय चरणसिंह जी उसमें बैठें, माननीय अलीजहीर साहब उसमें बैठें, या और एक्सपर्ट लोग उसमें बैठेंगे तो वह बैठकर के वहां की समस्याओं को देखें, जनसंख्या को देखें, जमीन को देखें, उपज को देखें और तमाम चीजों को देख करके इस मुसीबत को दूर करने की कोशिश तो करें। इंडस्ट्री तो हमारी सब छिन गई है। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर इन जिलों में शुगर की इंडस्ट्री गांव-गांव में फैली हुई थी, वह बरबाद हो गई। वह इंडस्ट्री अब नहीं रही। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के आ जाने के बाद सब चीजें समाप्त हो गई। तो आखिर कहीं तो उनको जिन्दा रहने के लिए स्थान देंगे। आपका लेबर डिपो है गोरखपुर में, मेहरबानी करके आप उसी से पूछकर देखिए कि क्या यह सही नहीं है कि आज मजदूर वहां आते हैं और लौट कर चले जाते हैं, उनकी भर्ती नहीं होती। जिस भर्ती के लिए कि लड़ाई के जमाने में ठेकेदार रखे गये थे और उनको कुछ पैसा भी मिलता था भर्ती कराने के लिए, वही आज मजदूर जाकर लौट आते हैं। मैंने खुद देखा, एक रोज गाड़ी से उतरा, वहां उन्होंने कहा कि भाई भर्ती करा दो। कोल माइन्स में जाने के लिए तथा और ऐसी जगहों में भर्ती के लिए जिसे कि लोग नरक समझते हैं, वह जाते हैं, लेकिन उसमें भी उनका ठिकाना नहीं लगता है। तो ऐसी हालत में आप अपने सूबे के एक टुकड़े को बचा लें जिसमें कि ऐसी मुसीबत है। दूसरे लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, घर में गरीबी से रहना बड़ा दुखदायी मालूम होता है। एक मर्तबा एक साहब दिल्ली से आये और विकल जी के घर पर बटवारे के सम्बन्ध में मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा क्यों करें। उन्होंने कहा कि एक्नामिक्ली पूर्व वाले इतने बैकवर्ड हैं कि पश्चिम वाले बहुत दिनों तक साथ नहीं रहेंगे, अलग हो जायंगे। मैंने कहा कि हमको आप अपने साथ ले चलने की कोशिश कीजिये। हम चाहते हैं कि हमारे सब भाई धनी हों, लेकिन हम सिर्फ अपनी रोजी चाहते हैं। हम चोरी नहीं करना चाहते

[श्री गेंदासिंह]

और १०९ व ११० के मुजरिम पैदा करना नहीं चाहते। हम मेहनत करना चाहते हैं। आप चाहें हमें कहीं भी भेज दीजिये जहां तक भेजने की बात है, चाहे लखीमपुर में भेज दो या पीलीभीत में या अंडमंड में भी, हम वहां चले जायंगे। लेकिन हमने वहां कोई काम नहीं किया वर्ना चले जाते।

रिलीफ का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कहता हूं कि आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। अनाज का असली वक्त जुलाई, अगस्त व सितम्बर है। मैं फूड मिनिस्टर साहब से पूछूंगा क्या जुलाई, अगस्त में उनकी दुकानें काम करती रहीं। गुप्ता जी के विभाग की रिपोर्ट है, साफ-साफ लिखा हुआ है अप्रैल व मई में फूड मिनिस्टर व चीफ मिनिस्टर ने दौरा किया था और तय किया कि आस्टेरिटी प्राविजन स्कीम को चालू किया जाय। अप्रैल मई अनाज का हार्वेस्टिंग टाइम है। खरीफ ग्रोइंग टाइम होता है, रबी उस वक्त होती नहीं तो खुदा मियां आसमान से कोई चीज गिराते हैं जिससे लोग खा कर रहते हैं। मजदूरी मिलती नहीं, बाहर जाने का जरिया नहीं तो फूडमिनिस्टर व रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बतला सकते हैं कि कौन सी चीज खाकर वे रहते हैं। इमीडियेट रिलीफ की जरूरत है।

दूसरी चीज जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे बच्चों की फीस नहीं दी जा सकती जिससे वे पढ़ नहीं सकते। उनकी फीस माफ की जाय।

तीसरे रिलीफ के लिये फौरन टेस्ट वर्क शुरू किये जायं। कितने आदमी कहां-कहां मिल सकते हैं, यह पैमाना होगा, कितनी तकलीफ है। हां, टेस्ट वर्क जो शुरु किये जायं वे जरा मनुष्यता के दृष्टिकोण को रखते हुए किये जायं, कितने में भोजन मिल सकता है। हिन्दुस्तान में सिवा यू० पी० के कहीं भी १० आने से कम मजदूरी टेस्ट वर्क्स पर नहीं है। तो हम यहां पर ४ आने क्यों रक्खें ?

चौथे पशुओं के चारे के सम्बन्ध में भी हमको इन्तजाम करना है। लाखों पशु आदमियों की तरह भूखे रह रहे हैं। मध्य प्रदेश से सैकड़ों वैगन्स घास मंगाई गई है, उसी तरह से हम दूसरी चीजें भी मंगा सकते हैं।

कीमतें भी चीजों की बढ़ रही हैं। हापड़ में आज बनिया लूट मचाये हुये हैं। कोई चीज हमको नहीं मिलती जिससे हम गुजर कर सकें। सीरा जो २ रुपये मन बरेली में बिकता है वह ७ रुपये मन बलिया में बिकता है और उस पर वहां के लोग गुजर कर रहे हैं। फूड मिनिस्टर साहब चले गये हैं। उन्होंने एक जबाव में यह फरमाया था कि बनारस से मंहगे दामों पर मेरठ में गेहूं बिक रहा है। यह जबाव उन्होंने परसों दिया था। उन्होंने फरमाया कि मेरठ रीजन में १६ रुपये ६ आने मन पर गेहूं बिक रहा है जबकि बनारस में १६ रुपये मन पर बिक रहा है। भगवान जाने इसमें कहां तक तथ्य है। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने इसे देख लिया है या नहीं, उन्होंने कहा कि हां देख लिया है। मेरी जानकारी में तो व्हीट जोन से ५० प्रतिशत ज्यादा कीमत है, बनारस गोरखपुर, बलिया व आजमगढ़ में। और कालपी में ५० प्रतिशत है। तो कौन इस बीमारी को दूर करेगा। यह मैन-मेड फैमिन है या नहीं ? मैं कहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट किसके हाथ में है ? कौन अनाज वहां पहुंचायेगा ? तो इन बातों को कहते हुए मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि कोई पालिटिक्स इसमें नहीं है और पालिटिक्स में हमको संतोष है। ५ वर्ष के भीतर कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है। ५ वर्ष तक, संभव है कि यह सारी बात जो हो रही है वह सब भूल जायं और मालूम नहीं क्या गलती सही हो जाय। चुनाव के समय हमने ज्यादा इसलिये नहीं कहा कि लोग यह कहेंगे कि यह "वोट कैचिंग डिवाइस" है।

मैं अन्त में यह निवेदन करता हूं कि सरकार इस बात को पालिटिक्स में न बदले। वस्तुस्थिति को देखें और फूड कमीशन अप्वाइन्ट करे। इमीडिएट रिलीफ का बन्दोबस्त करे। ये तीन चीजों के करने की जरूरत है। अगर ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया तो मैं,

उपाध्यक्ष महोदय, क्या कह सकता हूं, लेकिन किसी भी ईमानदार पब्लिक वर्कर का जो काम हो सकता है उसको अदा करने के लिये हमको मजबूर होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय झारखंडेराय, आप जो समय का प्रस्ताव रखना चाहते थे, इस संबंध में क्या सुझाव है आपका ?

श्री झारखंडेराय--मेरा सुझाव है कि हर माननीय सदस्य को, जो बोलना चाहते हैं, १५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--मैं चाहता हूं कि १० मिनट का समय रखा जाय जिससे सब लोगों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा सुझाव १० मिनट का है। हमारे यहां ५ नेता और ५ उपनेता हैं। इन १० ही में समय निकल जाता है। नेता और उपनेता जब तक चाहते हैं तब तक बोलते चले जाते हैं। सारा इतिहास पढ़कर जब तक यहां नहीं सुना दिया जायगा तब तक नेता नहीं बैठेंगे। नेतावादी यहां ज्यादा हैं और मेंबर कम हैं। हम सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--१० मिनट का आपका सुझाव है ? मैं समझता हूं १० मिनट दो तीन सदस्यों ने कहा, तो कहीं कहीं माननीय सदस्यों को आवश्यकतानुसार समय दे दिया जायगा, लेकिन आम तौर से १० मिनट का समय रहेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य लोग वादविवाद में भाग ले सकें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री रणबहादुर सिंह**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने खाद्य मंत्री द्वारा जो बयान सदन के सामने दिया गया है, उसको गौर से सुना और उसके बाद माननीय गेंदासिंह जी ने जो बयान दिया है उसको भी गौर से सुना है। उनके बयान में जो यह कहा गया है कि पूर्वी जिलों की वस्तु स्थिति इस समय क्या है ? उसका मैं बहुत अंशों में समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक उन्होंने यह कहा है कि आज सरकारी पक्ष का ऐसा इरादा हो चला है, उनकी नीयत हो चली है, कि वह जनता को भूखों मारना चाहते हैं, मैं उनके इस अंश का कड़ा विरोध करता हूं और माननीय गेंदासिंह को बतलाना चाहता हूं कि वह ऐसा क्यों सोचने लगे हैं ? आज से पहले जब कभी मुझे समाचार पत्रों में आपके बयान देखने को मिलते थे तो मैं यही समझता था कि विरोधी दल में होते हुये भी माननीय गेंदासिंह जी जो कहते थे उसका एक सम्मान है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि जो उन्होंने इस प्रकार का आरोप माननीय मंत्रियों पर लगाया है, उससे मुझे अत्यन्त दुख हुआ है।

मैं इस विवाद को छोड़कर वस्तुस्थिति जो इस समय पूर्वी जिलों की है उसकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्वी जिलों की हालत लगभग ४, ५ साल से कभी अति वर्षा से, कभी कम वर्षा से और कभी ओले से इस प्रकार की हो गई है कि आज वह जंजर से हो चुके हैं। इन जिलों के अन्तर्गत लगभग दो करोड़ निवासी रहते हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। आज मैं आंकड़ों के द्वारा आपके सामने अधिक नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने जिले के बारे में रोशनी डालेंगे ही। मैं बस्ती जिले की हालत आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं। बस्ती जिले की लगभग २४ लाख जनसंख्या है और घाघरा, राप्ती और बानगंगा आदि नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और बाढ़ का प्रकोप जब आता है तो सारा जिला उसमें पड़ जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुर सिंह]

दूसरी तरफ पिछले साल जब सूखा पड़ा तो ८० फी सदी हमारा जिला प्रभावित हुआ और इसके अलावा, एक तहसील जहां से मैं चुनकर आया हूं उसकी आबादी ३,८६,६१२ है, और उसमें १,५८९ गांव पड़ते हैं, और पिछली मर्तबा १,४७२ गांव सूखा से प्रभावित रहे और उससे पहले बाढ़ से ६५० गांव प्रभावित हुये थे। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जो किसान खेती के ऊपर बसर करते हैं उनकी हालत यह होती है कि जब उनकी एक फसल मर जाती है तो उनका रहना बड़ा कठिन हो जाता है। जब लगातार ४-५ फसलें इस तरह से बरबाद हो रही हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि किस प्रकार से जनता आज भी ऐसी दशा में है।

श्रीमन्, मैं यह कहने से इंकार नहीं कर सकता हूं कि सरकार द्वारा, जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ी है, वह दी गई है। तकावी बैलों की और तकावी मकान की तथा पैसों की सरकार द्वारा दी गई है और इसी तरह से दी गई है जैसे कि रिलीफ मेजर्स लिये जाते हैं। यह करोड़ों रुपये हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में सरकार काम करती है, उसके भी सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। लेकिन हमारे मित्र गेंदा सिंह जी अपने धैर्य को खोकर वेदनापूर्ण शब्दों में कह रहे थे, वह मैं समझता हूं कि सचमुच जो उन जिलों की वास्तविक स्थिति है उस को कह रहे थे, लेकिन हम सब जो माननीय सदस्य सदन में आते हैं, हमारी केवल यही तो जिम्मेदारी नहीं है कि हम वर्तमान स्थिति को सदन के सम्मुख कह दें परन्तु उसका प्रबन्ध कैसे होगा यह न सोचें, तो हम अपने दिमाग को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जहां आप स्थिति का अवलोकन करें वहां आपको सुझाव भी रखने चाहियें जिससे सरकार उनको मान सके और उन पर चल सके।

अब मैं माल विभाग से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे माननीय माल मंत्री जी अभी हमारे जिले में गये थे और उन्होंने काफी ध्यानपूर्वक हम लोगों की बातें सुनीं और समय दिया और इसके लिये मैं अपनी तरफ से और अपने जिलों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। जब कि मेरे जिले बस्ती में चारों तरफ से आवाजें भुखमरी की आ रही थीं तब मैंने १३ जून को उन्हें एक पत्र लिखा था कि आपका आना बहुत आवश्यक है और इसी के साथ-साथ अगर पूर्वी जिलों में भी आप जायं तो बहुत अच्छा होगा। मंत्री जी आये और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन उनके जाने के पहले माननीय गेंदासिंह जी ने जैसा बताया कि उनके जिले में साफे में बांध कर उसकी पीठ पर पत्थर और ईंट रखे जाते हैं, वैसे ही मैं भी दावे से कह सकता हूं कि माननीय माल मंत्री जी के जाने के पहले हमारे यहां वसूली स्थगित हो चुकी थी और इसलिये कोई शिकायत नहीं थी लेकिन मैं अब यह निवेदन करना चाहता कि हरैया तहसील में लगभग १७ दूकानें खुली हुई हैं। वहां की जनसंख्या ४ लाख है। अभी २२ तारीख को इत्तिला आयी है कि एक दूकानदार बहुत बुरी तरह से मारा गया है और दूसरा दूकानदार भी घिरनेवाला है। गल्ले का वहां अभाव हो चुका है और मुझे पता चला है कि ३७ आदमी जबरदस्ती गल्ले को लूट लेना चाहते थे। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी तहसील में दूकानें न बढ़ायी गयीं तो इसका असर अच्छा नहीं होगा और अराजकता फैलेगी।

इसके अतिरिक्त वहां आज ऐसे आदमी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। हमारे जिले में टेस्ट वर्क्स अभी तक नहीं चले और न चल रहे हैं। जिनके पास कोई राजी नहीं है उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं है। चाहे बैल की और चाहे बीज की, जो भी तकावी दी जाती है, वह भी ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिनके पास खेत हैं, और जो भूमिहीन हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्रीमन्, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसकी क्या हालत है। जो विद्यार्थी इस वक्त प्रवेश पा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? मैं स्वयं वहां के इंटरमीडियेट कालेज का संचालक हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले १ महीने के भीतर माननीय खाद्य मंत्री ने इस सदन में हम लोगों के ऊपर टनों की बौछार दो बार की हैं। पिछली बार जो बौछार हुई थी उसका भार इतना अधिक था कि ३० अप्रैल का दिन इस सदन के इतिहास में स्मरणीय दिन बन गया है। दूसरा दिन आज का है।

हमने बड़े गौर से दोनों भाषणों को सुना है और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा यह कहना चाता हूं कि इन दोनों ही भाषणों से जो टनों का भार हमारे ऊपर पड़ा उससे हम ऊपर से पिसते हुए तो जरूर महसूस करने लगे लेकिन जब हमने अपना पेट टटोला कि माननीय मंत्री जी के टनों ने हमारे पेटों के अन्दर कितना अन्न उड़ेला, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि एक तोला से भी कम फी आदमी अन्न हमारे पूर्वी जिलों के लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर यह सच है तो अब इससे ज्यादा हम आप के सामने कुछ रो कर कहें, कुछ जोर और जोश के साथ कहें, तो आप दोनों तरफ से हमारा मुह बंद कर देते हैं। मैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा इस सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार को यह आदत पड़ी हुई है कि किसी भी बात की असलियत को वह समय रहते स्वीकार नहीं करती है और अगर किसी मंत्री के वक्तव्य में उसको कुछ थोड़ी बहुत झलक उस बात की मिल भी जाती है तो उसके लिये कोई कदम समय रहते नहीं उठाया जाता है। वह कदम तब उठाया जाता है कि जब उस बात से पूरा नुकसान हो चुकता है।

हमको याद है सन् ५२ का वह जमाना और प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना का वह ऐतिहासिक अनशन भी और उसके साथ सरकार की हठधर्मिता भी। उस समय भी, कुछ हेरफेर के साथ जो मंत्रीगण हमारे सामने बैठे हुये हैं, वही उस सरकार में थे और मैं स्वयं महराजगंज और फरेंदा के कुछ भूखमोड़ितों को यहां लाया था और उनको इस भवन के इस और उस दरवाजे पर बैठाया था। उसको यहां के प्रेस रिपोर्टर्स ने और यहां के सदस्यों तथा कर्मचारियों ने देखा था जो हजारों की तादाद में यहां काम करते हैं और सभी ने कबूल किया था कि वास्तव में वहां की खाद्य स्थिति विषम है। उसको सम्हालने के लिये जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाय, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार तभी कुछ करने पर उतारू हुई कि जब १५ दिन तक शिब्बन लाल सक्सेना जी को अनशन करना पड़ा, उसके बाद कुमारप्पा जी यहां आये और उन्होंने अनशन तुड़वाया और उनकी जांच का कुछ परिणाम निकला। उस समय ४ करोड़ रुपया इस सरकार ने खर्च किया, तमाम ए० पी० शाप्स खुलवाईं और तमाम दूसरी तरह की कार्यवाही की।

मैंने अभी पिछले सप्ताह महराजगंज और फरेंदा तहसील के मध्यभाग और कुछ और हिस्सों का दौरा किया है, मैंने लोगों के चेहरे देखे हैं। यहां पश्चिमी जिलों के जब कुछ मित्र मिलते हैं तो वह पूंछते हैं कि क्या दरअसल जो कहा जाता है कि भुखमरी हो रही है वह सही है? और तो और, हमारे भावुक मित्र श्री दीपंकर जी को भी इतमिनान नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि चौधरी चरणसिंह जी ने वहां १५ जुलाई को जाकर हम लोगों के जले पर जो नमक छिड़का है वह मैं समझता हूं कि कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनका दौरा सड़क के किनारे के गांवों से हो कर रखा जहां कि पानी के नल लगे हुये थे और जहां के लोगों को गल्ला देकर और कुछ को तकावी दे कर तैयार कर लिया गया था। ऐसे गांवों में घूम कर जो उनका आइडिया बना, जहां कि एक सप्ताह पहले ही सारा इंतजाम कर लिया गया था, उसकी बिना पर ही वह यह कह सके कि वहां तो अकाल पड़ ही नहीं सकता. . . . .

श्री चरणसिंह--आप की इजाजत से मैं माननीय मित्र को एक बात बतला देना चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम भी एक सप्ताह पहले नहीं बना था। कुल चार दिन पहले प्रोग्राम बना था इसलिये उनको कहने में कुछ एग्जेजरेशन जरूर मालूम पड़ता है।

श्री मदन पांडेय--अगर चार दिन पहले भी बना तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये इतना समय काफी था इस तरह के इंतजाम करने के लिये ; लेकिन मैं इस विषय पर नहीं जाता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि १५ जुलाई को मैंने आपका भाषण वहां सुना था और उसके बाद मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि हम उन पूर्वी जिलों में नहीं थे जहां कि हम माननीय मंत्री जी को ले जाना चाहते थे, बल्कि वह कोई दूसरे पूर्वी जिले थे। माननीय मंत्री जी जिन पूर्वी जिलों का सपना हमको दिखा रहे थे, वह कोई और ही थे। आपने फरमाया कि कोई जमाना था जब अकाल पड़ सकता था और लोग भूखों मर सकते थे लेकिन आज जब कि आवागमन के साधन इतने तेज हो चुके हैं, जब कि हम एक जगह से दूसरी जगह जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज से अनाज गिरा सकते हैं, तब अकाल की बात करना एक अतिरंजन करना है और कहा--जिस समय हम अखबारों में यह पढ़ते थे तो हम लोग यह, महसूस करते थे कि हमको सड़कों के रास्ते रुके हुये मिलेंगे और हमको चलने नहीं दिया जायगा, लेकिन जब उन्होंने यह कहा 'कि हमारे रास्ते साफ हैं' मैं उस वक्त के एक शब्द को भी कहना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था। हमने जब उनसे यह कहा कि हम सड़क से चल कर आपको साथ ले जाकर यह दिखलाना चाहते हैं कि गांव के लोगों की क्या स्थिति है ? उस समय आपने बड़े तपाक से उत्तर दिया था और कहा था कि आप 'स्टेज' करा देंगे। मैं उस 'स्टेज' शब्द को आज भी नहीं भूलूंगा। आप हमको यहां पर बजट पर बहस करने के लिये महीनों बुला कर बैठाते हैं, और मंत्रियों की तनख्वाह १,१०० रु० हो गयी, इस पर बहस के लिये समय लगाते हैं, लेकिन हम खाद्य मन्त्री जी और माल मंत्री जी को आव्हान करते हैं कि आप हमारे साथ चलिये और उन स्थानों पर चलिये जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं। आपने तो अपने प्रोग्राम की तैयारी के लिये ४ दिन लिये और हम एक मिनट भी अपने प्रोग्राम के लिये नहीं लेना चाहते हैं। आप वहां चल कर देखिये कि अकाल की कैसी स्थिति है और आप उन लोगों की स्थिति को स्वयं अपनी आंखों से देखिये। उनकी दशा ऐसी ही है जिस प्रकार से १५ दिन तक न खाये हुये आदमी की होती है और यही दशा आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। यहां पर वहां से २,१ आदमी खाद्य स्थिति पर बहस को सुनकर आये हुये हैं। यदि उन लोगों को खाद्यमंत्री जी के सामने पेश किया जाय तो यह कहा जायगा कि बीमारों को यहां पर लाया गया है। लेकिन अगर आपके राज्य में बीमार इस तरह से अस्पतालों से बाहर रहते हैं तो आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और जगह-जगह स्कीम चला रहे हैं उससे गरीब आदमियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अगर आपके राज्य में बीमारों को दवा नहीं मिलती है तो फिर लोग कैसे जिन्दा रह सकते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि असल में वहां पर क्या हो रहा है। हमारे पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी ने आंकड़ों से उत्तर दिया। परन्तु खाद्यस्थिति को जटिल तो आपके मन्त्रियों ने स्वयं स्वीकार किया है। जिस दिन १५ तारीख को माननीय माल मंत्री ने गोरखपुर में भाषण दिया, उसी दिन बनारस में माननीय कमलापति त्रिपाठी ने उसके विपरीत भाषण दिया। जिस समय माल मंत्री जी हमको अन्डमन जाने का उपदेश दे रहे थे, उस समय माननीय कमलापति जी ने बनारस में कहा था कि खाद्य समस्या विकट है और इसका हल होना चाहिये।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रान्त की खाद्य स्थिति पर विवाद शुरू हुआ है वह इस आदरणीय सदन के लिये नया नहीं है। गत ५, ६ वर्षों से साल में एक दिन इसके ऊपर विवाद होता रहता है और विभिन्न मतों द्वारा उसके सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किये जाते हैं। माननीय अन्न मंत्री जी ने जो कुछ इस सम्बन्ध में आंकड़े बतलाये कि वहां की खाद्य स्थिति को मीट करने के लिये दुकानें खोल रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं अपने माल मन्त्री जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने जुलाई के महीने में खाद्य स्थिति को देखने के लिये पूर्वी जिलों का दौरा किया था। मालगुजारी और तकावी की छूट या स्थगन के जो उन्होंने आदेश दिये हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई

देता हूं और माननीय अन्न मंत्री जी को भी उनकी अन्न-व्यवस्था के लिये बधाई देता हूं। लेकिन अब हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं रह गया है कि हम अधिक बधाई दे सकें।

५, ६ वर्षों से हमारे प्रदेश की खाद्यस्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है और इसके कारणों में, जो बाढ़ और सूखा भी है, जाना गया होगा। हम कब तक गल्ले की दूकान पर बैठे हुये लोगों को अन्न देते रहेंगे? जैसा मदन पांडेय जी ने बताया, आधा तोला अन्न हर व्यक्ति के हिस्से में आने से कैसे काम चल सकता है? हमारी सरकार के लिये लाजिमी है कि इसके लिये एक परमानेन्ट स्कीम निकाले कि खाद्य-स्थिति किस प्रकार हल हो सकती है।

बाढ़ की समस्या के बारे में गत कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि कोई उपाय होगा लेकिन बाढ़ आने पर सरकार से सुनने में आता है कि सेन्टर से रुपया न मिलने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती है। जिन खेतों में बाढ़ के कारण क्षति होती है यदि उनमें अन्न पैदा होता रहता तो कमी नहीं होती। परन्तु कुछ थोड़े से गांव ऊंचे करने, रास्ते एक गांव से दूसरे में जाने के लिये बनने के सिवा कुछ नहीं हुआ है।

हमको बार-बार यह कहना कि हमें अन्न और कपड़ा दो, हिकारत सी नजर आती है क्योंकि लोग यह कहेंगे कि पूरब के लोग हमेशा यही मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्थायी रक्षा का उपाय किया जाय जिससे हमारे खेतों में अन्न पैदा हो। जूट का विभाग गोरखपुर में है लेकिन उससे एक मुट्ठी जूट भी उत्पादन नहीं हो सका। क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े आये हैं कि वहां जूट हो ही नहीं सकता है? वहां सिर्फ इंसपेक्टर होने से कोई लाभ नहीं हुआ है। पहले बर्मा, रंगून और सिंगापुर में जाकर हमारे लोग रुपया कमा कर भेजते थे जिससे लोग कुछ खरीदकर अपना पेट भरते थे। लेकिन वह रास्ता भी बन्द हो गया है। सदन में जब बहस होती है तो कुछ सरकार की ओर से भी आंकड़े पेश हुआ करते हैं कि जो मेरे पास था मैंने तुमको बांट दिया और अधिक मैं क्या कर सकता हूं। इससे हमारी कठिनाई हल नहीं होती, कुछ स्थायी हल होना चाहिये।

गन्ने की खेती हमारे यहां होती है। अन्न मंत्री जी हमारे यहां गये थे। ३५,००० एकड़ जमीन में से १२,००० एकड़ का गन्ना पानी न मिलने से सूख गया है। बिजली के नलकूप और डीजल इंजिन भी पानी के लिये लगे, लेकिन बिजली का पूरा प्रबन्ध न होने के पहले वे इंजिन हटा दिये गये और पानी खेतों को नहीं मिल सका। इससे बहुत सारे खेत सूख गये हैं, यह सरकार की ओर से ही हुआ और किसी दूसरे तरीके से नहीं। आपको देखना चाहिये था कि कितने कुओं को बिजली दी जा सकती थी और अगर आपके कुएं तैयार हैं तथा काश्तकार डीजल एंजिन से चला कर अपना काम निकालता है तो क्या बुराई है। जहां और कोई साधन नहीं है वहां पर आपको पंपिंग प्लान्ट वगैरह लगा कर उनकी सहायता करनी चाहिये थी जिससे अन्न संकट का कुछ मुकाबला किया जा सकता। इसकी ओर सरकार को पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिये।

बराबर अन्न के बारे में हल्ला मचाना, व्यापारियों को मौका देना कि कभी भाव गिरायें और कभी बढ़ायें, इत्यादि से कुछ नहीं हो सकता। अन्न के बारे में किस तरह से हम उसको स्थायी रूप से हलकर सकते हैं, उसको हमें करने की जरूरत है। बाजार के भावों को देखकर यह अन्दाजा लगाना कि गोरखपुर की मंडियो में अन्न मिल जाता है और वहां की हालत अच्छी है, ठीक नहीं होगा। वहां की हालत कतई अच्छी नहीं है। जो हालत आप वहां बैठ कर विचार सकते हैं उससे कहीं ज्यादा खराब हालत वहां पर नजर आती है। आज कल वहां पर टेस्ट वर्क्स भी नहीं चल रहे हैं, और कोई सहायता कार्य भी नहीं चल रहा है, तो फिर वह गल्ला किस प्रकार से खरीदा जा सकता है। आजकल बरसात का जमाना है कोई टेस्ट वर्क भी नहीं चल सकता। केवल चरखे का काम हो सकता है लेकिन उससे भी सब लोगों को रोजी नहीं दी जा सकती।

[श्री केशव पांडेय]

इन शब्दों के साथ माननीय अन्न मंत्री और माल मंत्री से, जिन्हें मैंने बधाई दी है, प्रार्थना करता हूं कि वे अपने विभाग से कहें कि वे कुछ लिबरल होकर सहायता का नक्शा आपके सामने रक्खें और यह बतायें कि किस तरह से इस समस्या का स्थायी हल हो सकता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ कहने के पहले मैं माननीय खाद्यमंत्री जी को धन्यवाद इस बात पर अवश्य दूंगा कि उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे में जौनपुर आने का कष्ट किया। यह दूसरी बात है कि केवल दो घंटे के लिये ही वे प्लेटफार्म पर आकर बैठे और वहीं से उन्होंने उस समस्या का हल सुनने का प्रयत्न किया परन्तु फिर भी वे वहां गये उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। आदरणीय माल मंत्री शायद यह समझें कि जौनपुर आने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोगों को दर्शन देने का भी कष्ट नहीं किया, इसका मुझे खेद है ।

श्री चरणसिंह—मैं भी प्लेटफार्म पर बैठा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुझे इसकी सूचना नहीं थी नहीं तो अवश्य दर्शन करता। श्रीमन्, वास्तव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाद्य-समस्या एक बड़ी विकट समस्या है। न तो उस पर किसी पार्टी के आधार पर ही विचार होना चाहिये और न सरकार को ही उसे प्रेस्टिज का सवाल बनाना चाहिये। यह तो लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ वहां चलें, और जौनपुर जिले के जिन गांवों में मैं कहूं उनमें चलें, तो उनको वहां की सही स्थिति का पता चल सकता है। मुझे किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। यदि वे आज चलना चाहें, तो चल सकते हैं। पता नहीं माननीय खाद्य मंत्री जी ने इसी महीने की १८-१९ तारीख का काशी से निकलने वाला 'आज' समाचार-पत्र पढ़ा है या नहीं। जौनपुर में जुइली स्थान पर होने वाली भुखमरी का उसमें वर्णन है। श्रीमन्, उसके लिये मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिये मैं उसको पढ़ कर सुनाने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—समाचार-पत्र से यदि आप न पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मेरे पास उसके लिये शब्द नहीं है। स्थिति यह है कि आज उन घरों में खाने के लिये कुछ नहीं है। तहसीलदार जिस समय वहां के एक घर में गये तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था केवल दो चार महुए के बीज पड़े हुए थे। मनुष्य महुए सरीखे बीज तभी खाता है जब उसके पास खाने को कुछ रह नहीं जाता है। "विभुक्षितं किं न करोति पापम्," जब मानव भूख से त्रस्त हो, जब उसके पेट में अन्न का दाना न हो तो वह क्या नहीं कर सकता है? कौन पिता अपने चार-चार बच्चों को भूख से तड़पते हुए देख सकता है? श्रीमन्, जौनपुर नगर में ही पांच-या छै दिन हुए एक आदमी भूख से त्रस्त हो कर सड़क पर बेहोश पड़ा था जिसका वर्णन श्रीमन्, वहां के प्रमुख समाचार-पत्र में निकला था। उसको उठाकर वहां से हास्पिटल ले जाया गया, वहां के सिविल सर्जन महोदय ने जरूर इंजेक्शन लगाया, लेकिन हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो केवल एक बात उन्होंने कही कि वह भुखमरी की वजह से नहीं बल्कि एक्जास्टेंशन की वजह से वह बेहोश था। श्रीमन्, सोचने की बात है कि आखिर आदमी एक्जास्ट भी क्यों होता है? उसने कोई फावड़ा तो चलाया नहीं था, न उसने ईंटें तोड़ी थीं, न उसने पत्थर ही तोड़ा था, फिर कैसे एक्जास्ट हुआ? जबपेट में अन्न का दाना नहीं होगा तो आदमी की हालत आखिर होगी क्या? श्रीमन्, मैं जल्दी में चला आया और घर ही पर भूल आया हूं इस साल जो फसल पैदा हुई है वह ऐसी 'श्रंकेन" व "श्रीविल्ड" है जिसका नमूना मैं अपने यहां से लाया हूं। अगर कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो उनके घर पर भी मैं उस फसल को देखने के लिये भेज सकता हूं या वे मेरे यहां भी आकर देख सकते हैं। उस गल्ले को खाकर कोई भी आदमी आखिर कैसे जिन्दा रह सकता है?

जौनपुर के पास ही एक बुद्धपुर गांव है जिसकी जमीन बहुत ही अच्छी है, वह गोंएड़ किस्म की है। वहां के एक सज्जन के पास १२ बीघा जमीन है, श्रीमन्, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि १२ बीघे जमीन में केवल १२ पंसेरी ही अन्न पैदा हो सका है। हमारे मंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवायेंगे। श्रीमन्, मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि जौनपुर में २३३ पंचायती अदालतें हैं, हर पंचायती अदालत में एक-एक दूकान खुलवा दीजिये, लेकिन वहां बहुत कम दूकानें खोली गयी हैं। एक तो बहुत कम खोली ही गयी हैं और जो खोली भी गयी हैं वे बाजार के अन्दर ही खोली गयी हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण दूं कि जौनपुर में माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वहां सस्ते गल्ले की अधिक दूकानें खोली गयी हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वहां एक दूकान सस्ते गल्ले की, वहां के मुख्य गल्ले के बाजार में खोली गयी है, जहां पर कि थोक गल्ला बिकता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि वहां उस गल्ले को कौन खरीदेगा? सस्ते गल्ले की जिन लोगों को जरूरत है वहां तो दूकान ही नहीं है। इस संबंध में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने कुछ खास-खास आदमियों का पेट पालन करने के लिये वे दूकानें खोली गयी हैं। उस दूकान का गल्ला उठा कर वहीं के थोक बाजार में उसे फिर बेंच दिया जाता है और इस तरह से चोरबाजारी की जाती है। इसी तरह से बादशाहपुर बाजार में दूकान है। वहां ८,९ मील दूर के लोग आकर गल्ला कैसे ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि "आफ टेक" नहीं है, श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि ८,९ मील से पैदल चल कर कौन गल्ला लेने आवेगा। जब आदमी कमजोर हो जाता है, उसके अन्दर चलने की शक्ति व सामर्थ्य नहीं रहती है तो फिर वह कैसे उतनी दूर से गल्ला लेने के लिये आ सकता है। श्रीमन्, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोगों की क्रयशक्ति भी कम हो गयी है। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वे गल्ला होने पर भी उसे खरीद सकें।

माननीय मंत्री महोदय से मैंने स्वयं कहा कि आप टेस्ट वर्क खोलें तो उन्होंने जौनपुर प्लेटफार्म पर ही मुझसे कहा था कि लोग काम करने नहीं आते हैं। अगर मैं गलत कुछ कहूं तो उसे माननीय मंत्री जी सही कर देंगे। इस पर मैंने कहा था कि जब आप ५ आने देते हैं तो फिर कौन काम करने आयेगा। जरा सोचने की बात है कि एक आदमी ५ आने पर दिन भर काम करे तो वह किस तरह से अपना तथा अपने घर वालों का उसमें पेट भर सकता है? कहा जाता है कि १७ वें लुई के राजमहल को उसकी प्रजा ने भूख से त्रस्त होकर घेर लिया था और उससे रोटी की मांग की थी। क्या वही स्थिति वे देखना चाहते हैं? क्या वे समय रहते उस स्थिति में सुधार करने की चेष्टा नहीं करना चाहते? यह तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि हमारी सरकार के अन्दर जो रिपोर्ट्स का विश्वास होता है वह ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट्स का विश्वास होता है। मैं गोरखपुर के बारे में और कुछ दूसरे स्थानों के बारे में जानता हूं कि जिन गांवों के बारे में ब्यूरोक्रेसी की यह रिपोर्ट पहुंची है कि उन गांवों में केवल ४ आना या २ आना फसल में नुकसान हुआ है वहां के बारे में मैं जानता हूं कि वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर कहीं १४ आने और कहीं १० आने और कहीं-कहीं कुछ गांवों में १ रुपये तक नुकसान हुआ है। इसके माने यह हैं कि हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी की कोशिश रही है कि वह सरकार को ऐसी रिपोर्ट दे कि जिससे यहां सरकार में किसी को परेशानी और चिन्ता न पैदा हो और सब काम ठीक से चलता रहे और सब खुश बने रहें। परन्तु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस तरह से कब तक चीजों को देखती रहेगी? यह जो वास्तविकता है यह इतनी कटु है कि इसको बैठकर देखते रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अप्रैल के महीने में इसी सदन में यह मांग की गई थी कि पूर्वांचल में इस प्रदेश में जो भुखमरी है उसकी जांच कराई जाय और उसके लिये एक कमीशन बिठाया जाय। मैं

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब स्थिति इतनी नाजुक थी तो कमीशन क्यों नहीं बिठाया गया ? क्या कमीशन सरकार उस समय बिठायेगी जब यहां बंगाल की भुखमरी का इतिहास दोहराया जायगा ? केवल पूर्वांचल प्रदेश की ही यह समस्या नहीं है बल्कि गोरखपुर और गोंडे तक में ऐसी हालत है। मैं तो उधर के बैठने वाले माननीय मित्रों को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने मंत्रिमंडल बनने के समय तो बधाई की रस्म अदा की होगी लेकिन अब अपने भाषणों में उन्होंने वास्तविक खाद्य स्थिति का मंत्री जी को यहां परिचय कराया है, इसके लिये वे हमारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वास्तविकता से मुंह मोड़ना कष्टकर और आपत्तिजनक भी होता है। मुझे जिस समय बंगाल की भुखमरी का दृश्य खड़ा हो रहा था उस समय के बंगाल के समाचार याद हैं। वहां की बिगड़ती हुई दशा की ओर वहां के जन-कार्यकर्त्ताओं ने बराबर शासन के कार्यकर्त्ताओं का ध्यान दिलाया लेकिन वहां उस समय सभी शासनकर्ताओं की ओर से एक ही स्वर में एक ही बात कही गई कि वहां कोई भुखमरी नहीं है "एण्ड आल इज वेल इन दिस हैपी लैन्ड" लेकिन जब वहां पर लोग मरने लगे, एक दो की संख्या में नहीं बल्कि हजारों और लाखों की संख्या में तो कोई वहां वास्तविकता को नहीं छिपा सका और किसी की आंखों पर परदा नहीं डाला जा सका। अभी समय है, मसला यह ऐसा है कि कोई भी सरकार हो, सब में एक ही रक्त है, एक ही मांस हड्डी है, सब का एक ही देश और प्रदेश में जन्म हुआ है, एक ही समाज हमारा आप का है और उसके उत्थान के लिये उसकी रक्षा के लिये इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी अपने अपने ढंग से दोनों ही प्रयत्नशील हैं। हो सकता है कि अभी हमारे मंत्रिमंडल के सामने बंगाल जैसे दृश्य न आये हों लेकिन उस हालत के पहुंचने के पहले ही उसका उपाय किया जा सकता है। मैं निश्चय ही कहूंगा कि समस्या की उस भीषणता की कल्पना करने में सरकार असमर्थ हो रही है, अगर वह उस ओर सतर्क होती तो शायद आज इस डिबेट के करने की आवश्यकता ही न होती क्योंकि इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो उचित कदम सरकार को उठाने चाहिये थे वह अभी तक पूर्ण मात्रा में नहीं उठाये गये हैं।

उनके पास केवल गल्ले और दुकानों का ही अभाव नहीं है, बल्कि उनकी क्रय-शक्ति भी नहीं है कि जिससे वे गल्ला खरीद कर अपना जीवनोपार्जन कर सकें। इतना समय बीतने के बाद भी सरकार ने कोई वास्तविक दृष्टिकोण अपने सामने नहीं रखा है। उनकी आय को बढ़ाने के लिये और उनकी क्रय-शक्ति में वृद्धि करने का कोई भी उपाय नहीं सोचा गया है और कोई योजना नहीं है। यहां तक कि जो छूट दी जाती है वह भी जहां १४ आना और रुपया का नुकसान होता है वहां ४ आना दिखाया जाता है और वह कभी भी पर्याप्त नहीं होती। जहां पर छूट नहीं हुई है वहां पर भी वसूली की सख्ती आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। हमारे मित्र श्री अब्दुल रऊफ लारी के पास एक पत्र रखा है जिससे पता चलेगा कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी वसूलियां करते हैं।

मैं और सब छोड़े देता हूं। गोरखपुर के जिलाधीश महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि वसूली स्थगित होने के बाद जो समाचार आये उसके बाद भी हमने ४ लाख रुपया ज्यादा वसूल किया। यह किससे वसूल किया ? उन्हीं लोगों से जिनके पास खाने तक को नहीं है ? यह तब हुआ जब कि यह हुक्म हो गया था कि लगान की वसूली स्थगित की जाय। इसका मतलब यह है कि आज की ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में नहीं है और उसका परिणाम यह है कि मंत्रि महोदयों को आंख मूंद कर ब्यूरोक्रेसी का अनुसरण करना पड़ रहा है। यह स्थिति गलत है।

समय के अभाव से मैं और बातों पर तो न जा सकूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां आज प्रश्न मनुष्य के जीवन का है, यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। जीवन के प्रश्न का हल मानवता और अपनत्व के आधार पर किया जा सकेगा, दूसरे किसी आधार पर नहीं। अगर आज सरकार कान में तेल डाल कर नीरो की भांति बैठेगी कि जिस

समय रोम में आग लगी थी तो वह अपने ही कार्यों में मस्त था, अगर उस तरह का काम सरकार ने किया तो स्थिति भीषण होगी और उसका परिणाम बुरा होगा। अपनत्व के भाव से जीवन के रक्षण के लिये सब कुछ की बाजी लगा कर जो कुछ कर सकते हैं, करें। यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत अनुगृहीत हूं आपका कि आपने प्रदेश की अन्न समस्या पर मुझे भी बोलने का समय दिया। माननीय गेंदासिंह जी के भाषण को मैंने अक्षरशः सुना और गत ५ वर्षों से उनके विचार इस सदन को सुनने को मिलते रहे हैं। पूर्वी जिलों की अन्न समस्या, इस प्रदेश की अन्न समस्या इतनी नाजुक और गम्भीर विषय है जिस पर इस प्रदेश के रहने वाले माननीय सदस्यों को ही नहीं बल्कि जनता को भी हार्दिक हमदर्दी हो सकती है। इस प्रदेश के बाहर भी, इस देश के किसी कोने में भी अगर कोई भूख से मरता है तो उसके लिये सब की सद्भावना हो सकती है और जो भी हम लोगों से संभव हो सकता है करते हैं और करेंगे। दूसरे प्रदेशों के अन्न संकट के समय इस प्रदेश ने सहायता की। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बिहार के अकाल के संबंध में अपील की थी। उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसने हार्दिक मदद न की हो। लेकिन मैं माननीय गेंदासिंह जी की उन दलीलों का जवाब तो नहीं दे सकूंगा, थोड़े से समय में, जो उन्होंने सदन के सामने रखीं। उन्होंने कहा कि पूर्वी जिलों ने सन् १९२१ से लेकर आज तक देश सेवा की। मैं उनको और पूर्वी जिलों के सभी भाइयों को बधाई देता हूं जिन्होंने देश की सहायता में शुरू से लेकर आखिर तक काम किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने समय-समय पर पूर्वी जिलों का नारा लगाया और एक दफा यह भी कहा कि पश्चिमी जिलों के लोग अगर हमसे अलग हो जायं तो अच्छा है तो मैं गेंदासिंह जी की भावनाओं को जानता हूं और मैं यह देखता आया हूं कि जो पूर्वी जिलों की अवस्था है वह गरीबी से मरते हैं और पश्चिमी जिलों के लोगों के बारे में यह गलत धारणा लोगों में है कि वे मालदार हैं, वे लोग इस कारण मरते हैं। लोगों का ऐसा ख्याल बन चुका है कि पश्चिमी जिलों के लोग मालदार हैं।

मैं कहता हूं कि मेरे इलाके में दो वर्ष से बाढ़ और उसके बाद ओला पड़ा जिसके कारण एक छटांक भी अन्न और भूसा नहीं हुआ है। लेकिन पश्चिमी जिलों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जैसा पूर्वी जिलों की तरफ है। गत ५ साल का अनुभव यह बताता है कि जो ज्यादा शोर मचाता है वही ज्यादा बजट ले जाता है और मुझे ऐसा मालूम होता है कि पूर्वी जिलों की अन्न समस्या--मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा हुई--इस तरह से बढ़ती ही गई। माननीय गेंदासिंह जी जब अन्न संकट से मृत्यु के आंकड़े पेश करते हैं तब कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ने कितना रुपया, कितनी सहायता तकावी के रूप में, दवाई, टेस्ट वर्क इत्यादि के रूप में उन जिलों को दी। उन पर एक तरफा एक ऐसा चश्मा चढ़ चुका है, अब वह उतरना मुश्किल मालूम होता है। वह लीडर अपोजीशन रह चुके हैं। मैंने कई दफा उनसे जबानी भी बात की और उनसे कहा कि मैं भी अपने इलाके आपको दिखाना चाहता हूं, जो आप हमसे यह दावा करते हैं कि हम चल कर देखें आप के यहां और मैं तैयार हूं इस बात के लिये और मेरी हमदर्दी है उन लोगों से, प्रदेश का एक भी व्यक्ति अगर भूख से मरता है तो वह हमारे लिए, सरकार के लिए और जनता के लिये सब के लिये दुख की बात है, लेकिन गेंदासिंह जो ऐसे बुजुर्ग सदस्य ने कभी पश्चिमी जिलों का नाम नहीं लिया। कभी वह वहां की दुखभरी बातों को कहना भी नहीं चाहते। जिस तरह से जोम के साथ आज उन्होंने पूरब, पूरब की आवाज उठाई उससे मुझे विवश होना पड़ा कि मैं कुछ कहूं। मुझे यह कहने में भी और पूरब पश्चिम का सवाल उठाने में थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी हिचक भी होती है। आज जब हम ऐसे नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे संकटमय रास्ते से गुजर रहे हों, उस समय यह पूरब पश्चिम का सवाल हम उठायें, यह हमें शोभा नहीं देता है, लेकिन जब हम माननीय गेंदासिंह जी ऐसे आदमी से

[श्री रामचन्द्र विकल]

ऐसी बातें सुनते हैं जिनके लिये मेरे दिल में अगाध श्रद्धा रही है, वह श्रद्धा अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है इसलिये कि उन्होंने कभी हमारे जिलों का नाम नहीं लिया। जब हम उनसे ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें भी कुछ कहने के लिये विवश होना पड़ता है।

आज के बजट में कितना रुपया पश्चिमी जिलों के लिये है? आखिर आप के यहां आज भुखमरी की समस्या है, लेकिन सड़कों, ट्यूबवेलों, नहरों आदि की समस्या जो आपके यहां है वह हमारे यहां भी तो है। पानी के लिये हमारे यहां के किसान तरसते हैं लेकिन हमें पूर्वी भाइयों के द्वारा ही मालूम हुआ कि वहां किसान पानी नहीं ले रहे हैं, ट्यूबवेल इतने ज्यादा बन गए हैं कि कोई पानी लेने वाला नहीं है जब कि पश्चिम का किसान मर जाता है पानी के लिए। एक तरफ इतना रुपया व्यय किया जाता हो और जितना ही सरकार ने अधिक धन दिया उतना ही गेंदासिंह जी की पिपासा बढ़ती चली गई। उन्होंने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि सरकार ने इतना रुपया वहां व्यय किया उसके लिये सरकार को धन्यवाद करना चाहिये। यह उनका हाल है कि सरकार से तेल मिले तो कपड़े में ले लो। चाहे वह तेल निकल जाय और कपड़ा भी खराब हो जाय लेकिन यह भावना रही है कि सरकार के तेल को कपड़े में ले लो। और भी हमारे नेता लोग बोले, जनसंघ के नेता बोले, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से भूख-भूख अगर सब लोग चिल्लायेंगे तो इस देश की जनता का हाल क्या होगा।

मुझे मालूम है दिल्ली से एक टिकट कलेक्टर साहब चलते थे। वह जरा दूसरे ढंग के आदमी थे। सब स्टेशन मास्टरों ने आपस में मेल किया कि इनको ठीक करना है। तो जब वह टिकट कलेक्टर साहब गाजियाबाद में पहुंचे तो वहां के स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा--साहब आप तो बीमार मालूम पड़ते हैं। वहां से अगले स्टेशन पर पहुंचे तो वह तो सब आपस में मिले हुये थे, वहां भी स्टेशन मास्टर ने उनसे वैसे ही कहा। नतीजा यह हुआ कि अलीगढ़ तक पहुंचते-पहुंचते वह सचमुच बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ा। तो अभी तो सूखा का अन्न संकट है। सरकार को इस बात के लिये भी तैयार रहना चाहिये कि अभी दो दिन अगर कल और आज जैसी बारिश हो जाय तो बाढ़ से जो अन्न संकट होगा उसके लिए वह क्या करेगी, क्योंकि बाढ़ का, सूखे का, कोई मौसम ऐसा नहीं जब कि माननीय गेंदासिंह जी के पूर्वी जिलों में अन्न संकट न हो।

आखिर हमें जनता के बीच थोड़ा धैर्य, और साहस भी तो बनाये रखना चाहिये। वर्ना अगर हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, तो हमें तो जनतंत्र खतरे में दिखाई पड़ता है। जनता को हमें इतना कमजोर नहीं बनाना चाहिये। मैं माननीय गेंदासिंह जी को चुनौती देता हूं। हमारे यहां भी बाढ़ आयी और उसके बाद ओले पड़े, सरकार से जो कुछ मिला उसके लिये धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही साथ जनता ने यह कहा कि इससे ज्यादा सरकार के साधन और हैं ही नहीं। सरकार ने जो कुछ किया उससे ज्यादा वह नहीं कर सकती थी। बाकी आप लोगों को अपने सहारे खड़ा होना है। तो कहां से चारा गया? कहां से अन्न गया? सरकार से कितनी दवाई गई? इसको भी देख लीजिये और फिर इसके बावजूद भी लोग अधीर नहीं हुये। इसका कारण यह है कि हमारे पश्चिमी जिलों के लोग जनता में निराशा नहीं फैलाते, उनके जजबात के साथ खेलते नहीं। गरीबी में हम राणाप्रताप का उदाहरण देते हैं, उन्होंने किस तरह से गरीबी के दिन काटे थे? आखिर दूसरे मुल्क किस तरह से बने हैं। तो मैं बहुत अदब के साथ यह कहूंगा सरकार से कि इधर भी थोड़ा ध्यान वह दे और मैं माननीय गेंदासिंह से भी कहूंगा कि 'शाम के मुंह को देर तक रोया नहीं जाता है', लोग चुप हो कर बैठते हैं। मैं बहुत सख्त शब्दों में कहता हूं कि इस पूरब के हायबेले में पश्चिम को भुला दिया गया, तो हमारी जनता और हमको बहुत दुखी हो कर कहना पड़ता है कि हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर सरकार को समानरूप से रुपये का वितरण करना होगा। आबपाशी की ८ गुना दरें हम दें और हमारे लिये कुछ काम न हो, यह कहां तक मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं यह

कहना चाहता हूं कि चाहे अन्न समस्या हो या आर्थिक समस्या हो हमारे पश्चिमी जिलों को बिल्कुल न भुलाया जाय। जहां तक संकट का सवाल है उसमें हमारी हमदर्दी जनता के साथ है सरकार के द्वारा और प्राइवेट तौर पर भी।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने सदन के तमाम भाइयों का ध्यान पूर्वी यू० पी० की खाद्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ कहने के पहले, हमारे एक सदस्य विकल जी ने कुछ ऐसी समस्याओं को उठा दिया है, जिनके ऊपर भी कुछ थोड़े से अपने विचार व्यक्त कर देना आवश्यक हो जाता है।

पूर्वी यू० पी० की भूख समस्या इतनी जटिल हो गई है कि हमारे माननीय सदस्य अपने उस जिले में रहते हुए, जहां पर सुबह दोपहर व शाम तीनों वक्त गेहूं की रोटी व उर्द की दाल आसानी से मिल जाती है और रात को सोते वक्त आधा गिलास दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि आज पूर्वी यू० पी० में हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी बसते हैं जो जूठी पत्तलों के ऊपर कुत्तों और कौओं के साथ अपने पापी पेट की भूख मिटाने के लिये झगड़ा करते हैं। हमारी माताएं व बहनें अपनी अस्मत बेचकर अपनी पापी पेट की आग बुझा रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल न जाकर ईंट व बोझा ढोकर अपने पापी पेट की आग बुझा रहे हैं। मैं अपने साथ यह लेड़ई की जड़ लाया हूं। मैं माल मंत्री व खाद्य मंत्री के सामने इस जड़ को रख रहा हूं।

एक सदस्य--म्यूजियम में रखने के लिये लाये होंगे।

श्री पब्बरराम--यह म्यूजियम की चीज नहीं है। मैं माननीय सदस्य को दावत देता हूं चलें वह गाजीपुर, बस्ती और आजमगढ़ के अन्दर, वहां हजारों आदमी इसको खाकर रहते हैं। दो चार साल पहले सुअर इसको खाते थे, लेकिन आज हजारों की तादाद में लोग इसे खाकर जिन्दा रह रहे हैं। ७,८ दिन से पानी बरस जाने से अब यह जड़ भी नसीब नहीं हो रही है।

माननीय विकल जी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो सीरा उनके यहां मिलों में १२, १४ आने, १ रुपया या डेढ़ रुपया मन बिकता है वह गाजीपुर, बलिया में ६ रुपये से लेकर ८ रुपये मन तक बिक रहा है। मैं माननीय सदस्य को न्योता देता हूं कि अगर मेरी बातें सत्य न हों तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। अकेले गाजीपुर का मैं तखमीना पेश कर रहा हूं कि अक्तूबर के महीने से ले कर जून के महीने तक ७० हजार मन से लेकर १ लाख मन तक हर महीने में शीरा की खपत वहां है।

(इस समय ३ बज कर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिस शीरे को उनके जिले में आदमी को तो कौन कहे कुत्ते भी नहीं चाटते, उसको महीनों तक हमारे यहां के आदमी खा कर गुजारा करते हैं। आप को हैरत होगी, आप वहां स्टेशन पर चलें जहां पर शीरे के वैगन कटते हैं, वहां जो शीरा टपकता है उसे एक तरफ तो कुत्ते चाटते हैं और दूसरी तरफ बच्चे सड़क पर गिरे हुए उस शीरे को चाटते हैं। इस सदन में बैठ कर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में बैठकर पूर्व की इस अहम खाद्य समस्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पूरब व पश्चिम का सवाल उठा कर इसको उलझन में डाला गया तो मैं, आपके द्वारा, सदन से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम इंसानियत को खतरे में डाल रहे हैं।

यहीं तक नहीं, मैं आपके द्वारा इस सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने बस्ती जिले के ५० गांवों का सर्वे किया है और वह सर्वे माल मंत्री और खाद्य मंत्री के यहां हमने भेज भी दिया है। उस सर्वे में यह दिखलाया गया है कि एक स्तर पर एक गांव में एक औरत तीन रोज तक अपने बच्चों को खाना न दे सकने के कारण जब मजबूर

[श्री पब्बरराम]

हुई तो उसको छोड़ करके अपने घर से भाग गयी है, और हम चाहते हैं कि इसकी वास्तविक रूप में जांच की जाय । अगर ये बातें सत्य न हों तो जो भी कड़ा दंड हो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हम इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं ।

माननीय सदस्यों को आपके द्वारा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि आज पूर्वी यू० पी० की खाद्य समस्या चन्दरोजा समस्या नहीं है । सन् १९४८ की बाढ़ से लेकर ९ वर्षों से लगातार कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि , कभी बाढ़ इन तमाम चीजों से हमारे पूर्वी जिलों की समस्या उलझती चली जा रही है और बढ़ते हुए टैक्सों से, बढ़ते हुए खाद्य पदार्थों के मूल्य से, वहां की समस्या इतनी विषम हो गयी है कि कहा नहीं जा सकता । मैं अपने खाद्य मंत्री को आपके द्वारा यह चेतावनी देना चाहता हूं और सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि यू० पी० की समस्या दुकानों के बढ़ाने से हल नहीं होने वाली है । जनता की क्रय-शक्ति इतनी तेजी के साथ घटती चली जा रही है कि लोगों के सामने सवाल हो गया है कि अन्न किस तरह से खरीदें । जनता में खरीदने की शक्ति नहीं है । आप गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिये और जिस तरह से माननीय सदस्य गेंदा सिंह ने कहा है कि समस्या का एक ही हल है, मैं तो कहूंगा कि आप और बातों को छोड़ करके खास तौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जहां के लोगों ने समस्याओं को मजाक समझ रखा है और पूर्वी पश्चिमी जिलों का सवाल पैदा किया है, उन लोगों का कमीशन बैठा करके हम लोगों के साथ भेजिये । वह हमारे साथ चलें और दो घंटे, चार घंटे में सही हालत की जानकारी नहीं हो सकती है, महीनों वह अपना समय लगावें, एक-एक गांव को देखें कि कितने आदमी किस तरह से रहते हैं ।

गाजीपुर का हवाला देता हूं कि १२ लाख की आबादी है ।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप माननीय मित्र को मशविरा दें कि धीमी आवाज के साथ तकरीर करें तो सबके लिए अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री पब्बर राम से) अगर आप धीमी आवाज से बोलें तो भी सब को मालूम हो जायगा कि आप क्या कह रहे हैं ।

श्री पब्बरराम--मैं अकेले अपने जिले को ले रहा हूं । गाजीपुर जिले की आबादी १२ लाख की है । १२ लाख में मुश्किल से १ लाख आदमी काम में लगे हुए हैं, चाहे वह खेती में हों, चाहे नौकरी में हों, चाहे मजदूरी करते हों, चाहे आधी मजदूरी करते हों और उन १ लाख में से भी मुश्किल से ५० हजार ऐसे होंगे जो कि साल भर तक मुश्किल से अपना काम चला पाते हों । बाकी आदमी खुदा की राह पर पड़े हुए हैं । लोग कहते हैं कि लोग भूख से तड़पते हुए नजर नहीं आते हैं सड़क पर, तो यह तो मानव स्वभाव है और मानवता का तकाजा है कि भर सक आदमी मर नहीं पाता है । अगर थोड़ा भी भोजन चौथाई पेट भी मिलता रहे तो मनुष्य अपनी जिन्दगी को सालों तक खींच सकता है । जेलों में हमने देखा है और हमको अनुभव है कि किस तरह से २४ घंटों में लोगों को पाव-पाव भर दूध पिला कर डाक्टर महीनों चारपाई पर जिन्दा रखते थे । देखने में तो ऐसे लोग बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन उनके अन्दर की जो शक्ति है, जो जीवनी ताकत है वह बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही है ।

इस समस्या को मजाक में न लेकर अहम तरीके से देखा जाय और सहानुभूतिपूर्वक देखा जाय और उसका एक स्थायी हल निकाला जाय । सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि एक कमीशन बैठाया जाय, उसकी पूरे तौर पर जांच हो और सबसे प्रथम चीज भूख मिटाने से पहले यह है कि वहां की जो बेकारी की समस्या है, जो लोगों को काम देने की समस्या

है, औरतों को, बच्चों को, बेवाओं को, बुड्ढों को किस तरीके से हम काम दे करके उनको जिन्दा रख सकें, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाय और ८-९ वर्षों में जो हमारी ताकत घट गई है उसको देखा जाय और टैक्सों का भार जो हमारे किसानों के ऊपर है उसको घटाने की कोशिश की जाय ।

आखिर में मैं अपने माल मंत्री जी से कहूंगा। क्योंकि वे वहां गये थे और २-३ दिन उन्होंने पूर्वी जिलों में बिताये हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने चापलूसों और सरकारी अधिकारियों से घिरे रहने के बाद कितने गांव देखे हैं, स्वतंत्र तौर से किन गांवों में गये हैं, कितने किसानों की झोपड़ियों में गये हैं और कितने बेकार और कंगालों के घरों में गये हैं, जहां समस्या का हल सोचना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाजीपुर शहर में सन् १९४८ ई० में जो बाढ़ आई थी उसमें १७०० मकान गिरे थे और अभी तक १०० मकानों की भी मरम्मत नहीं हो पाई है और उसी तरह से खंडहर पड़े हुए हैं और १९५६ की बाढ़ में दो हजार मकान और गिरे हैं। गाजीपुर शहर की आबादी लगभग ३६,००० है, वहां ४,००० मकान ऐसे हैं जो खंडहर पड़े हुये हैं। १२ लाख के जिले की आबादी में एक भी उद्योग धंधा नहीं है जिसमें आदमी काम पा सकें, न कोई शुगर मिल है, न कोई कारखाना है। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

श्री सैयद अली जहीर---अफीम का कारखाना है, आप शायद भूल गये।

श्री पन्नारराम---जी हां, अफीम का कारखाना है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि अंग्रेजों के समय में जहां तीन हजार मजदूर काम करते थे वहां आज घटते-घटते केवल ६०० आदमी रह गये हैं और गाजीपुर में जहां हजारों लाखों आदमी अफीम की खेती में लगे रहा करते थे वहां आज घटते घटते एक भी किसान नहीं रह गया है जो अफीम की खेती करता हो ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के हल करने का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है कोई दलीय प्रश्न नहीं और हम सबका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि दिली सहयोग देकर इसको हल करने का प्रयत्न करें। यह मसला इस तरह से हल नहीं हुआ करता है कि कोई इस बात का प्रयत्न करे और विचार करे कि जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक मसला हल नहीं हो सकता। माननीय गेंदा सिंह जी इस बात को मानते हैं कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये और यह मसला राजनीति से ऊपर होना चाहिये, तभी यह हल हो सकता है। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि एक दल के बड़े नेता यह कहने के लिये तैयार हैं कि यह मसला तब तक हल नहीं हो सकता है जब तक कि राज्य की हुकूमत नहीं बदलती है। तब हमें यह मानना पड़ेगा कि लोग इस प्रश्न को राजनीति से ऊपर ले जाने के लिये तैयार नहीं हैं---राजनीति को इसमें घुसेड़ना चाहते हैं और दलीय प्रश्न बनाना चाहते हैं। अगर यह दलीय प्रश्न रहता है तो इसके हल करने में बड़ी दिक्कत होगी। हुकूमत के बदल जाने से मसला कैसे हल हो सकता है, बल्कि जो मुसीबतें और कठिनाइयां आती हैं उन पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिये। जब तक दैवी आपत्तियों पर विजय न प्राप्त कर ली जाय, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिये राजनीति से इसे अलग रखना होगा ।

जहां तक तथ्य का सवाल है इसका पता लगाना चाहें तो झगड़ा नहीं हो सकता है और तथ्य निश्चित हो सकते हैं। कठिनाई कहां है, तकलीफें कहां हैं और किस तरह से इनको हल करने की कोशिश की जाय ? माननीय गेंदासिंह जी ने इस बात के ऊपर कहा है और एक घंटे के व्याख्यान में टैक्नीकल प्वाइंट को ही हल करने की कोशिश की बजाय यह बताने के कि यह मसला कैसे हल हो सकता है, कहां पर कितनी सहायता की आवश्यकता है, और कितनी कमी है, वह इस बात की कोशिश करते हैं कि मर्ज कितना बड़ा है और कितना उसका प्रचार हो सकता है। क्या माननीय गेंदासिंह जी नहीं समझते कि अगर कोई मरीज है तो इस

[श्री जयराम वर्मा]

बात का प्रयत्न नहीं किया जाता कि बार-बार उससे यह कहा जाय कि तुम मरने के करीब हो गये और अब जिन्दा नहीं रह सकते । होना यह चाहिये कि उसकी दवा हो और उसके साथ उसको ढाढ़स दिलाया जाय कि तुम्हारा मर्ज बढ़ा नहीं है और तुम बिलकुल अच्छे हो जाओगे मरोगे नहीं । अगर हम लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि तुम्हारा मर्ज इतना बढ़ गया है कि हल के बाहर है, तब दूसरे लोगों का फर्ज हो जाता है, सरकार का भी फर्ज हो जाता है कि वह बतावे कि नहीं तुम्हारा मर्ज इतना लाइलाज नहीं है, काबू के अन्दर है और अच्छा हो जावेगा । अगर उसको यही बताने का प्रयत्न होगा कि तुम्हारा मर्ज लाइलाज है तो वह नाउम्मीद हो जावेगा । तो मैं चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी जरा ठंडे दिल से इस पर विचार करें कि इस तरह के प्रयत्न से लाभ होने के बजाय नुकसान ज्यादा होगा । जब एक तरफ से इस तरह की बातें होती हैं तो दूसरों का फर्ज होता है कि बतावें तुम्हारा मर्ज बढ़ नहीं गया है...

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय जयराम वर्मा से कहूंगा कि आप वही बात बार-बार दुहरा रहे हैं, कोई और बात कहें ।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने उसी चीज को दुहरा दिया ।

हमें इस मसले पर दलगत तरीके से ऊपर उठकर विचार करना है । इस मसले की दो तरह की दवायें हुआ करती हैं । एक तो इस वक्त जो कमी है उसको दूर करना और लोगों को अन्न पहुंचाना । यह कोशिश तो होनी चाहिये कि उनके पास काम हो जिससे उनका पेट भरे लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि दैवी आपत्ति के जमाने में जो फसल होती है उसको लापरवाही से न छोड़ दिया जाय । जहां इस बात की कोशिश हो कि लोगों को अन्न मिलें वहां इस बात का प्रयत्न होना आवश्यक है । इस वक्त एक बात हुई है कि बारिश देर से हुई । इसलिये एक दिक्कत तो यह पैदा हो गयी कि अगर बारिश रेगुलर न हुई, तो उस खड़ी फसल में कीड़े पैदा हो सकते हैं, और उससे जो अन्न पैदा होने वाला होगा, वह भी समाप्त हो जायगा इसलिये इस तरफ ध्यान जाना चाहिये । दूसरी बात चूंकि बारिश देर में हुई इसलिये देर में अन्न बोया गया और बारिश बराबर हो रही है, तो कहीं इतनी बारिश न हो जाय कि जो अन्न बोया हुआ है वह बढ़ ही न सके ।

इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये कि बजाय अन्न के ऐसी सहायता दी जाय जिससे फसल भी आगे बढ़े । इसकी एक ही दवा हो सकती है कि सिंदरी की खाद-एमोनियम सल्फेट-वहां पहुंचायी जाय ताकि फसल अच्छी हो सके । बड़े दुख की बात है कि 'एमोनियम सल्फेट' का दाम बढ़ गया है और इससे काश्तकारों के सामने एक और दिक्कत पैदा हो गई है कि वे उसको खरीद कर अपने खेतों में नहीं डाल सकते । इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार को ५० फीसदी सब्सीडी किसानों को इस खाद के लिये देनी चाहिये ताकि फसल खराब न होने पावे ।

जो कीड़े पैदा होंगे उसके लिये भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और उसका उपाय यह है किसानों में गेमेक्सीन का उपयोग बढ़ाया जाय । गेमेक्सीन को दो चार किसान मिल कर इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसका इस्तेमाल एक दो खेत में होने पर कोई खास फायदा भी नहीं होता । इसके लिये सरकार को यह इंतजाम करना चाहिये कि पूरे-पूरे गांव में गेमेक्सीन का इस्तेमाल हो । इसका प्रबन्ध सरकार की तरफ से ही किया जा सकता है और इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये ।

इसके अलावा मैं अपने जिले की तरफ भी सरकार का कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां की दो-तीन फसलें बरबाद हो चुकी हैं लेकिन पिछली बार उसकी गिनती बाढ़-पीड़ित जिलों में नहीं की गई और इसलिये लोगों को ऐसा खयाल होता है कि वहां उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है जितनी कि और दूसरे जिलों में है । मैं समझता हूं कि वहां की हालत बाढ़पीड़ित जिलों

से कम खराब नहीं है। यह खुशी की बात है कि अब सरकार का ध्यान उसकी तरफ भी गया है और वहां ८ लाख की आबादी के लिये १० गल्ले की दूकानें खोली गई हैं, लेकिन ८ लाख आदमियों के लिये केवल २० मन प्रति दूकान, रोजाना १० दूकानों पर गल्ला देना बहुत कम है। इससे कैसे काम चलेगा यह मैं समझ नहीं पाता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य समस्या एक अहम वाद-विवाद है और चूंकि बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं इसलिये सदन का समय आज आध घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे एतराज नहीं है कि आध घंटे का समय बढ़ जाय।

श्री उपाध्यक्ष--तो यह समझा जाय कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ गया।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं आपसे कुल १० मिनट का समय मांगता हूं। १० मिनट का समय आप के लिये बड़ी बात नहीं है और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप के नेता जी कह रहे हैं कि वह नहीं बोलेंगे। आप ही बोलिये।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं बीमार था, लेकिन आज इस बहस को सुनने के लिये आ गया हूं।

बजट पर बड़ी बहस हुई और बड़े आंकड़े पेश किये गये। मैं इस संबंध में थोड़ा ही कहना चाहता हूं। अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत भाई मेरे पुराने साथी हैं वह मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बूढ़ा हूं। हम लोगों को सदन की मान-मर्यादा कायम रखनी चाहिये लेकिन सदन को भी किसान और मजदूरों की मान-मर्यादा कायम रखनी चाहिये। दोनों चीजें होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप विषय पर आ जाइये, नहीं तो आपका समय इसमें ही समाप्त हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी--खाद्य समस्या का हल या तो यह सरकार करेगी और अगर यह सरकार नहीं करेगी, तो फिर जनता स्वयं कर लेगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं देखता हूं कि आप लाल टोपी की बहुत बात करते हैं। जिस प्रजातंत्र के अन्दर विरोधी पार्टी नहीं होगी और वह पार्टी ठीक और शुद्ध नहीं होगी, तो वह प्रजातंत्र दुनिया में खत्म हो जायगा और जिन्दा नहीं रह सकता और साथ ही जिस राज्य में विरोधीदल का मान नहीं होगा वह भी दुनिया में टिक नहीं सकता है।

आप कहते हैं कि लाल टोपी दिखाई देती है। मैं कहना चाहता हूं कि लाल टोपी देश की रक्षा करेगी। आपको मालूम है कि विदेशी रावण अभी जिन्दा है लेकिन जिस समय वह हमारे देश की तरफ अपनी उंगली उठायेगा तो यह विरोधी पार्टी अपना खून बहा देगी। लेकिन अब इस सरकार का रवैया दूसरा बन गया है। आपने देखा होगा कि गाड़ी चला करती है, जब लाइन टूट जाती है, तो वहां पर जो चपरासी होता है वह लाल झंडी दिखाता है। इसी तरह से इस सरकार की लाइन खराब हो गई है। उसके लिये हम यह लाल झंडी दिखा रहे हैं। जब कोई खतरा होता है तब लाल झंडी दिखाई जाती है।

मैं कहूंगा कि खाद्य समस्या का हल होना देश की सबसे जरूरी चीज है और हमारे प्रदेश के लिये बहुत बड़ी चीज है। इस सदन में मजदूर और किसानों के ४,६ मेम्बर ही आये होंगे। बहुत लोग यह नहीं जानते हैं कि गरीबों की कैसी हालत होती है। माघ के महीने में २,१ किसान हर दफा मर जाते हैं। वह इस जाड़े के मौसम में भी अपने खेत पर काम करता रहता है। किसान रात में खौर ओढ़ता है और अपने नीचे झोंरा बिछाता है उसको ऊपर से जाड़ा लगता है जो बी क्लास का किसान है। वह अपने नीचे दरी बिछाता

[श्री टीकाराम पुजारी]

है और ऊपर रजाई ओढ़ता है तो उसको नीचे से जाड़ा लगता है। गरीबों को जाड़ा ऊपर से लगता है और अमीर को जाड़ा नीचे से लगता है। गरीब आदमी के नीचे गरमी होती है और अमीर के ऊपर गरमी होती है। यहां पर जो किसान मजदूर तबके से आये होंगे उनको मालूम होगा कि हमारे देहात में १०० आदमियों में से २५ आदमी तो भोजन करते होंगे और ७५ आदमी ऐसे हैं जिनको केवल एक वक्त ही भोजन मिलता है जिसके लिये कहा जाता है कि हमारे यहां कल्याण हो रहा है।

एक चीज समाज कल्याण की मुझे बजट में मिली और वह यह कि बूढ़ों को वजीफा दिया जायगा। मैं भी खुश हुआ कि मुझे भी उसमें से कुछ मिलेगा।

दूसरी चीज मिली गूंगे और बहरों का इलाज। अब गूंगे और बहरों का इलाज आगरा में न होकर लखनऊ में होगा। आपने बजट में पढ़ा होगा कि गूंगे और बहरों का इलाज है। क्या इससे काम ठीक हो सकता है ? क्या यह काफी है ? किसान मजदूर तबाह हैं।

आपके यहां बाढ़ कहते हैं तो हमारे यहां गरकी कहते हैं। पछांह में गरकी कहते हैं। जिला मथुरा में देखिये, जिला आगरा में देखिये, कितने मकान बरबाद हो गये हैं। आप दाऊजी के आस-पास देखिये, एक ओर सरकार के आराम के स्थान बन रहे हैं और दूसरी ओर यह कल्याण हो रहा है। मरीज को सरकार दवा दे रही है लेकिन मरीज दबता चला जा रहा है। सरकार को कुछ नहीं मालूम है। अन्टशन्ट दवाई दी जा रही है। जो रोगी की दवा जानता है उसे बोलने नहीं देते हैं। जो रोग को नहीं समझता है उसे रोगी के पास भेजते हैं। जब तक किसान और मजदूरों के नुमाइन्दे चुनकर इस सदन में नहीं आवेंगे तब तक किसान मजदूर का भला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है।

एक बात मुझे और याद आ गई। वह है भ्रष्टाचार की। सब कहते हैं, भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार सब ठौर गन्दगी। यह गन्दगी क्यों है ? हमारा दिल गन्दा है इसलिये दुनिया गन्दी है। जेलखाने में देखिये तो गन्दगी। रोटियों में गन्दगी। सरकार में गन्दगी तो फिर सबमें गन्दगी। जहां सरकार उज्ज्वल होगी वहां गन्दगी नहीं होगी। पहले लोहे के तसले में सफाई थी, अब पीतल का तसला गन्दा है। जब बैल नहीं चलता है तो उसके लिये कोड़े की जरूरत होती है। विरोधी दल कोड़े का काम सरकार के लिये कभी-कभी करता है। वह सदा पूजने योग्य है। जहां विरोधी दल का पूजन होता है, वहां प्रजातंत्र फलता फूलता है। जहां विरोधी दल की निन्दा होती है वहां सरकार भी जिन्दा नहीं रह सकती है।

श्री चरणसिंह---यह कहा गया है कि पुराने जमाने में स्त्रियों की पूजा होती है।

श्री टीकाराम पुजारी---मैंने स्त्रियों की पूजा के लिये नहीं कहा। मेरठ में ज्यादा होती है, हमारे यहां नहीं होती है।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अहसानमन्द हूं कि आपने मुझे डिवेट में बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय गेंदासिंह जी का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर बोलने के लिये प्रेरणा दी है। आज पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर बहस चल रही है। केवल पहाड़ी जिलों का जिक्र श्री गेंदा सिंह जी ने किया है। माननीय गेंदासिंह जी ने पहाड़ी जिलों के प्रति जो हमदर्दी दिखायी उसके लिये पुनः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। पहाड़ी जिले कमी वाले जिले हैं और वहां की कमी पर पैचुअल कमी है। इस बात को सरकार भी कबूल करती है। पिछली बार जब खाद्य स्थिति पर बहस हुई थी तो खाद्य मंत्री जी ने यह कबूल किया था कि पहाड़ी जिले सदा से खाद्य के मामले में कमी वाले जिले हैं

और साल भर में केवल चार महीने के खाने भर को वहां पैदा होता है हालांकि मुझे शक है कि चार महीने भर को भी वहां पैदा होता है। यह समस्या वहां सनातन है। यह समस्या जो पूर्वी जिलों में पैदा हो गयी है कुदरती कारणों से है और बाढ़, सूखा आदि कैलेमिटीज के कारणों से है, लेकिन पहाड़ों में जो कमी है वह इन कारणों से नहीं है। अगर वहां प्रकृति साथ भी दे तो भी वहां पर डैफिसिट रहेगा ही। मैं इसको सौभाग्य का विषय नहीं समझता कि जहां ऐसी दर्दनाक स्थिति का वर्णन हो रहा हो उसमें अपने पहाड़ी जिलों को भी मैं शामिल कर दूं।

पहाड़ी जिलों की अपनी अलग समस्यायें हैं और प्लेंस की समस्याओं से भिन्न हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि पहाड़ी जिलों की समस्याओं को सही मानी में समझना पड़ेगा। वे समस्यायें क्या हैं, उनको पूरी तरह से छुआ तक नहीं गया। हालांकि सरकार की ओर से पूरे प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन पहाड़ी जिलों की समस्या को पूरे तौर से गौर नहीं किया गया।

पहाड़ी जिलों में चार जिले आते हैं— अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी जहां २५ लाख आदमी निवास करते हैं। वहां की ऐसी दयनीय दशा है कि अगर वहां का कोई परमानेंट हल नहीं निकाला गया तो ये पहाड़ी जिले इस प्रदेश और मुल्क के लिये हमेशा ही सर दर्द बने रहेंगे। श्रीमन्, जहां पहाड़ी जिलों की ऐसी दर्दनाक स्थिति है, वहां उसकी दूसरी शक्ल भी है। यह पर्वतीय जिले साधनों से परिपूर्ण हैं, वहां प्राकृतिक सौंदर्य है, सुन्दरता है, पवित्र स्थान है, बड़ी कीमती धातुयें होती हैं, बहुत सी नदियों के उद्गम स्थान हैं जिनके प्रवाह से बिजली पैदा की जा सकती है। वहां के बनों की लकड़ी को हम बहुत से कामों के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक कि इन पहाड़ी जिलों को उनकी विशेषताओं को रोशनी में नहीं देखा जायगा तब तक वे पहाड़ी जिले इस प्रदेश और देश के लिये सिर दर्द ही बने रहेंगे। इसलिये उनकी इस समस्या का हल निकालने की आवश्यकता है। अगर इस समस्या का कोई परमानेंट हल निकाला जाय जिसकी पूरी संभावना है, पूरे साधन मौजूद हैं, तो ये पर्वतीय जिले, आपके लिये, इस प्रदेश की सरकार के लिये, और सारे हिन्दुस्तान के लिये सिर दर्द के कारण या लायबलिटीज न रह कर एसेट का काम देंगे। महोदय, इस संबंध में मैंने पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और सिद्धांततः उन्होंने कबूल भी किया था कि पहाड़ों की विशेषता और उसकी विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुये वहां पर कोई इस प्रकार का इन्तजाम हो सकता है, इस पर सोचना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सरकार तक यह बात पहुंचा सकूं, इसके लिये जिन बातों को मैं कहता हूं, उसकी पुष्टि आप चाहें तो अपने विभागीय अध्यक्षों से भी करवा लीजिये। सब इस बात में एक मत होंगे कि पहाड़ों की विभिन्नता और उसकी पिकुलिअरिटी को देखते हुये वहां एक तरीका हो सकता है जिससे मुल्क का भी सिर दर्द दूर हो सकता है।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि इस सरकार की मातहती में, पिछली दफा भी खाद्य स्थिति पर डिबेट के वक्त मैंने निवेदन किया था कि आप इन पर्वतीय जिलों के लिये एक अलग ही मिनिस्टरी फार हिल एफियर्स (ministry for hill affairs) कायम कीजिये। मेरे इस सुझाव को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिद्धान्ततः कबूल भी किया। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं और आपके द्वारा इस सदन से भी निवेदन करता हूं कि इस स्थिति पर, इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक सोचें। और इस सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वह इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक सोचे तथा मेरे दिये हुये सुझाव पर गौर करें और कृपा करके उस पर अमल करें ताकि पहाड़ी जिलों में, जो वक्तन फवक्तन इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो जो स्थिति बहस करने लायक हो, उसी पर बहस हो। यह नहीं कि जो चीज बहस करने के लायक न हो उसको भी उसमें खींच लाया जाय। मेरी समझ में यह कोई हमारे लिये सौभाग्य की बात नहीं है कि जब इस तरह की कोई दर्दनाक स्थिति पर बहस हो रही हो तो उसी में हम पहाड़ी जिलों का भी जिक्र करना शुरू कर दें।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य समस्या पर विवाद को बड़े ध्यान से सुन रहा था और कई दिनों से इरादा बना रहा था, तैयारी भी कुछ कर रहा था, कुछ आंकड़े इकट्ठा कर रहा था कि इस विवाद में मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन आज हाउस में आने पर सभी इरादे एक तरह से खत्म हो गये। सारी बहस जो यहां होती रही है, यह सरकार बराबर दूसरे लोगों के बीच में एक ही लाइन पर चलती है, उसके लिये एक ही धारा बन गयी है। हम कहते हैं, माननीय सदस्य कहते हैं, जनता के लोग कहते हैं कि खाद्य समस्या बड़ी विकट है, लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। खाद्य मंत्री जी ने पिछली बार भी बयान दिया, अबकी बार भी बयान दिया, फिर माननीय माल मंत्री जी भी अपना बयान देंगे। वह बयान यह है कि २१ हजार टन गल्ला हमने दे दिया है। यह बात हमारी समझ में नहीं आयी। या तो मैंने गलत समझा ही हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा।

अभी मैं बंगाल फेमिन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जिसके पेज १२ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि "गल्ले का आधिक्य होते हुए भी किसी स्थान पर अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है।" दोनों बातें साथ-साथ चलनी चाहिये, एडिक्वेट सप्लाई और उसी के पैरेलेल परचेजिंग पावर। जब तक दोनों साथ-साथ नहीं रहेंगी, तब तक किसी भी संकट की स्थिति को नहीं सम्भाला जा सकता है। जब तक वहां की क्रय शक्ति और वहां बाहर से सप्लाई किये जाने वाले सामानों का सन्तुलन नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन यहां सारी बहस तो इसमें होती है कि ८७ मन पैदा किया या १५ मन पैदा किया या २१ हजार टन पैदा किया।

अभी जैसा कि मैंने बताया मैं मंत्री जी के आंकड़ों का हिसाब जोड़ रहा था और हिसाब लगा रहा था कि दो करोड़ भूखे लोगों के लिये २१ हजार टन गल्ला किस हिसाब से आता है। हिसाब जोड़ कर निकाला तो मालूम हुआ कि इस तरह से एक आदमी को एक माह में आप केवल १८ छटांक गल्ला दे पावेंगे। जब मैंने आगे इसका एक दिन का हिसाब लगा कर देखा तो माननीय सदस्य इसका हिसाब लगा सकते हैं, वह केवल आधी छटांक के करीब ही आता है। जब मैं यह हिसाब लगा रहा था तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि जिस तरह से स्त्रियां शनिवार को गंगा स्नान को जाती हैं तो वे एक छोटे से लोटे में गंगा जल लेकर लौटती हैं और रास्ते में जितनी भी ऊंची जगहें दिखायी देती हैं उन सब पर थोड़ा-थोड़ा सा जल छिड़कती जाती हैं। इसी तरह से सरकार का यह गल्ले की सप्लाई का कार्य चलता है। इतना तो जरूर होता है कि समाचार पत्रों में निकल जाता है कि सरकार ने इस प्रकार से प्रदेश की खाद्य समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि इस प्रकार के प्रयत्न से समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है ?

अभी मैं सोच रहा था कि हमारे लिये या दूसरे माननीय सदस्यों के लिये जो इन दरिद्र इलाकों से आते हैं उनके लिये बोलना तो सम्मान के विपरीत है, जहां इस बात पर झगड़ा हो, या दरिद्रता की चर्चा हो, किसी ऐसी चीज का विवाद हो, या ऐसी कोई समस्या हो, वहां पर तमाम दलबन्दी से ऊपर उठ कर सोचने की आवश्यकता होती है, वहां पर पूर्व और पश्चिम के मसले को उठा कर सारे सवाल को ही एक अजीब शक्ल दे दी जाती है। हमारे भाई पब्बरराम जी अभी बोल रहे थे, उस वक्त जिस तरह से लोग उनकी बात सुन कर हंस रहे थे, मैं क्षमा किया जाऊं, कुछ सदस्य उनकी बात का मजाक सा उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे क्षमा करें कि इस चीज को, ऐसे नाजुक समय पर, जबकि हजारों आदमी के मरने जीने और भूख का सवाल है, इस तरह की चीज को इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, समाज भले ही क्षमा कर दे। मैं कोई आवेश में यह बात नहीं कहता, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब तक चीजों के समझने के लिये कोई दृष्टिकोण पैदा नहीं है तब तक आंकड़े देने से या वस्तुस्थिति समझाने से कोई लाभ नहीं है। तमाम बातें यहां बहस की बात बनकर रह जाती हैं।

मुझे तो अजीब सी बात लगती है कि खाने-पीने के सवाल पर इस तरह की एक दिन भी बहस हो, खाने बिना कोई मरता है, कोई उस पर कहता है कि गल्ले की कमी नहीं है, कोई

कहता है कि है तो, लेकिन जरा-जरा है। कोई कहता है समस्या को बिना वजह तूल दे रहे हैं, चादर उढ़ा रहे हैं, सत्य; पर मैं तो कहता हूं कि इस समय मैं खास कर खाद्य समस्या पर जब हालत ऐसी हो तो डिबेट करना, मुझे क्षमा करें यह सदन के सम्मान के बमूजिब भी नहीं है कि इस पर यहां वाद-विवाद हो कि यह खाद्य समस्या है भी या नहीं।

माननीय माल मंत्री जी ने जो सुझाव रखा है, मैं मानता हूं कि भोजन की समस्या के समाधान के लिये और सब को जीवित रखने के लिये यह प्रश्न विचारणीय है लेकिन जब ऐसी भयावह स्थिति हो तो अंडमन की बात अखबारों में निकलती है, किसी पत्रकार ने व्यंग-चित्र लिखा, मैंने देखा कि ऐसे समय में इस प्रकार का सुझाव कोई सामयिक और उचित सुझाव नहीं है। मैं माननीय माल मंत्री जी को ही नहीं कहता, व्यक्तिगत केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, यह तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन, ऐसे समय पर अंडमन की राय देने वाली सरकार स्वयं ही अंडमन और फारमूसा को जाती है, ऐसा इतिहास हमें बताता है।

आज इस समस्या पर बहुत गम्भीरता से विचार होना चाहिये। बंगाल फेमीन कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि वहां का अकाल किन-किन परिस्थितियों में पड़ा था, वहां कई साल पहले से गल्ला नहीं था। इसी तरह से हमारे पूर्वी क्षेत्र में पिछले कई साल से अन्न की कमी रही है और सरकार की रिपोर्ट से ही माननीय गेंदासिंह जी ने इसे साबित कर दिया है।

बाढ़ की विभीषिका, दूसरे प्रकार के संकट, आबादी का अधिक होना, बहुत सारे सवाल मिल करके एक अजीब परिस्थिति पैदा किये हैं। कई सालों के अकाल और अन्य विषम परिस्थितियों ने लोगों की क्रय शक्ति को नष्टप्राय कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस मामले पर विचार करने का वातावरण इस आदरणीय सदन में यह हो, मेरी समझ में नहीं आता। फिर भी अपनी बात कहने का मौका है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं, वहां के बहुत से माननीय सदस्य हैं। एक स्टेशन पर मैं एक दिन सीयर के बाजार में गया, वहां १५ दिन में केवल ३२९ ड्रम सीरा बिका। सीरे की दूकान पर एक तरफ टूटे-फूटे बर्तन लिये नर कंकाल और दूसरी तरफ मक्खियों और कुत्तों का समूह टूटा हुआ था। उस छोटे से बाजार में इतने शीरे का बिक जाना, इसके बाद भी खाने पर बहस की बात, यह कैसा मजाक है। मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वह चलें और देखें, खासकर उन सदस्यों से कहूंगा जो उन जिलों के रहने वाले नहीं हैं, उनके लिये यह बड़प्पन की बात होगी कि इस मामले पर मजाक न बनाया जाय।

मैं माननीय विकल जी का भाषण सुन रहा था। मैं यह कहूंगा जो इस सूबे को गौरव प्रदान है कि यहां रीजनलिज्म की बात नहीं है उसको खाद्य समस्या के सिलसिले में उठाना उचित सा प्रतीत नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि इससे तो यही अच्छा है कि लोगों को भूखों मरने दिया जाय लेकिन रीजनलिज्म की बात न लाइये इस सदन में।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस फूड डिबेट में कुछ कहने से पहले एक नम्र निवेदन सदन के सम्मानित सदस्यों से यह करना है कि जो तरीका आज तक भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपनाया था "डिवाइड ऐन्ड रूल" वह तरीका इस प्रदेश में न अपनाया जाय और पूर्व-पश्चिम का बखेड़ा खड़ा करके लोगों का गला न घोंटा जाय। अभी माननीय विकल जी ने यह सवाल उठाया था। यह सही है कि आज पूर्व की स्थिति जो कुछ भी हो हमको पूर्व का नाम न लेकर के कमी वाला क्षेत्र कहना चाहिये था। लेकिन अगर पूर्व का क्षेत्र कह दिया जाय तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर पश्चिम में कोई भाई दुखी है तो हम उसके लिये सहानुभूति नहीं रखते हैं, हम उसके लिये अपना खून नहीं बहा सकते हैं। अगर हमारे प्रदेश के लोग अपने नेता की अपील पर बिहार के लिये जन लड़ा सकते हैं, चन्दा इकट्ठा कर सकते है, कपड़ा भेज सकते हैं, तो अपने क्षेत्र के किसी भी गांव के लिये खून भी बहा सकते हैं। तो पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र का बटवारा करके आपस में विरोध पैदा करना ठीक नहीं है।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

खाद्य समस्या पर बहस चल रही है। मैं आपके द्वारा खाद्य मंत्री जी, का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ सामान लेकर आदमी आये हुए हैं अगर वे चाहें तो ७५ नम्बर के कमरे में मुआयना करा सकते हैं अपने किसी भी डाक्टर से कि उनके पेट में कितने दिन से कितना अन्न गया है और खाद्य वस्तुयें कितनी गई हैं। हमारे यहां कोइली की रोटी, आम की गुठली के आटे की रोटी गरीब आदमी पीस-पीस कर खा रहे हैं। उसी का कुछ सामान आटे की शक्ल में और कोइली की शक्ल में आया हुआ है। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसको देखें और कृपा करके इस नियत से देखें कि अगर उनका गल्ला वहां काफी बट रहा है, काफी तादाद में लोग अच्छा अन्न पा रहे हैं, तो वह क्या पागल हो गये हैं जो यह खा रहे हैं। अगर वह पागल हो गये हैं तो उसका भी इन्तजाम करें कि अच्छे गल्ले को छोड़कर यह सड़ी गली चीजें खा रहे हैं, जिनको कि मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदयों के कुत्ते भी नहीं खायेंगे, वह अपने नौकरों तक को, अपने जानवरों तक को यह नहीं खाने देंगे। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के इन जिलों के बहुत से आदमी इसी पर जी रहे हैं, और एक वक्त, दो वक्त नहीं, महीने में ८० परसेंट, ७५ परसेंट दिन इसी पर गुजर कर रहे हैं।

एक चीज और मेरे पास है। यह है सन् १९५२ का अमृत, जिस पर सन् ५२ में लोग जी रहे थे—महुआ और मटर। यह सड़ा महुआ है जो कि मवेशियों को भी नहीं दिया जा सकता और इसे आदमी खा रहे हैं। सन् ५२ में इसने अमृत का काम किया था उस क्षेत्र में और बहुत से लोग इस पर जी रहे थे। यह अब फिर शुरू हो रहा है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि अगर मंत्री लोग यहां बैठे-बैठे आंकड़े बनाते रहें और अपने अधिकारियों के आंकड़ों पर भरोसा करके बैठ रहें, तो सन् ५२ की भुखमरी फिर आयेगी और फिर इस सरकार का और भी रुपया खर्च होगा। ४ करोड़ रुपया सरकार का सन् ५२ में बर्बाद हुआ। इसी वजह से क्योंकि जब सब लोग ऐसी-ऐसी चीजें खा-खाकर बीमार पड़ गये और तरह-तरह की बीमारियां फैल गईं तो फिर इतना सारा रुपया खर्च करना पड़ा।

यह साखू का फल है। कल जब मैं लक्ष्मीपुर के बाजार में मीटिंग कर रहा था तो वहां एक लड़का भूंजे की तरह इसे खाता हुआ मिला। मैं उसे यहां ले आया हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसके पेट की जांच करा लें, चाहे एनीमा से या चाहे जिस तरह से हो सके, कल शाम के खाने के अलावा जो मैंने उसे खिलाया है उसके पेट में यही सब चीजें निकलती हैं या कुछ और निकलता है, तो क्या यही माननीय मंत्री जी का इन्तजाम है? उन्होंने कह दिया कि इतनी दूकानें बढ़ा दी हैं, सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हुई हैं और पलड रिलीफ की दूकानें खुली हुई हैं।

मैं अधिक तो नहीं कह सकता अपने क्षेत्र के आंकड़े आपको दे सकता हूं, वही आंकड़े जो मुझे उनके अधिकारियों से ही मिले हैं। २१ अदालती पंचायतें हमारे क्षेत्र में हैं जिसमें ४ दूकाने हैं तहसील के आंकड़ों से और ५ दूकानें हैं सप्लाई डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन अगर इसकी और तह में देखा जाय तो एक और बढ़िया चीज मिलेगी जो उनके सारे मुहकमों में भरी हुई है कि कागज पर तो गवर्नमेंट दिखला देती है, लेकिन असल में व्यवहार में वैसा नहीं होता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि माननीय मंत्री, उपमंत्री और ये लोग तो बंधे हुये हैं अधिकारियों के जरिये से, उनके आगे पीछे कलेक्टर और एस० पी० रहते हैं, लेकिन हमारे सदस्यगण इसको जरूर देखेंगे। वह देखते होंगे कि जो सैंक्शन यहां से होता है, जो रुपया रखा जाता है क्या उसका सही-सही इस्तेमाल होता है? मैं इन दूकानों का विवरण बता देना चाहता हूं। वहां पर ठेकेदार ऐसा है कि जिसने सारे अधिकारियों को अपने कब्जे में कर रखा है, उसका नाम है विभूति। पार साल और तिउरिस साल नौ दूकानें उसके नाम थीं। फिर जब बहुत शोर

मचा तो उसने अब क्या काम किया है कि अपने नौकर-चाकर, मुनीम, गुमाश्तों के नाम से ये दूकानें ले ली हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आदमी मेरे साथ चले, मैं यह दिखला सकता हूं कि इन पांच जगहों में कुल २५ परसेंट सामान बिकता है और बाकी जगहों में एक छटांक माल नहीं जाता है। जो कुछ रुपया आप दे रहे हैं, वह एक वर्ग विशेष के लिये जा रहा है, गरीबों के लिये नहीं जा रहा है।

श्रीमन्, मेरे पास माल मंत्री के लिये ज्यादा मसाला तो नहीं है, लेकिन उनका जो एलान था कि हमने छूट दे दी है, तो छूट कब दी गई ? ४ तारीख को यहां एलान हुआ और १३ तारीख तक जाकर मैं पता लगाता रहा कि कहां छूट दी गई ? छूट आपने दी है कब, जब पूरी वसूलियाबी हो गई है। गरीबों से मार-मार के वसूली की गई है। सिर्फ बड़े लोगों का लगान बाकी रह गया था। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे पता लगा कर देखें कि लगान बाकी है या नहीं और उसमें छूट हुई है या नहीं।

श्री चरणसिंह--आपके जरिये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वे गरीब मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे और जनाब के इल्म में वे वारदातें आईं तो उन्होंने सिवा इस तकरीर के पहले मुझे कोई खत लिखा और शिकायत की और मुझ तक भेजने की तकलीफ गवारा की, अगर नहीं तो क्यों नहीं की ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी--जी हां, मैंने लिख कर पूरी चीजें आपके अधिकारियों के पास भेज दी थीं। आपको इसलिये नहीं लिखा कि पहले अधिकारियों से ही अगर काम हो जाय तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रह जाती थी। उन सब चीजों को लेकर अब मैं आया हूं और मेरे पास रसीदें हैं कि किस-किस तरह से रुपया वसूल हुआ है। रुपया ज्यादा लिया गया और रसीद कम की दी गई। माननीय मंत्री जी अगर उन दरख्वास्तों को देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बैठ करके मुझे एक मानसिक दुख हुआ जब मैंने यह देखा कि इस सदन में उत्तर प्रदेश के विधायक बैठे हैं और वे एक अराष्ट्रीय प्रश्न पूर्व व पश्चिम का उठा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ। हमने गुजरात और महाराष्ट्र और बम्बई व गुजरात के प्रश्नों को देखा है। ये सब अराष्ट्रीय प्रवृति के घोतक हैं। श्रीमन्, आप देखें कि रहने वाला चाहे बंगाल का हो या पंजाब का, पूर्व का हो या पश्चिम का, वह है तो हमारे देश का ही। यदि वह भूखों मरता है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा की भावना होनी चाहिये। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिये इसके बारे में हमें इस सदन में सोचना होगा।

श्रीमन् जी, जब हम पूरे देश के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या हम अपने प्रान्त की समस्याओं के बारे में नहीं सोच सकते ? जहां हम पूरे राष्ट्र की दुहाई देते हैं कि अगर एक व्यक्ति पर भी आपत्ति आये तो हम अपना खून बहा देंगे, तो हमारे इन पूर्वी जिलों में हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश में पश्चिम और पूर्व का प्रश्न नहीं होना चाहिये। हमारे सामने एक ही प्रश्न होना चाहिये कि हम इस प्रदेश के रहने वाले हैं और उन सबके दुख व जीवन-मरण में हम सबका हाथ बटाना कर्त्तव्य है। यही एक दृष्टिकोण हमारे सामने होना चाहिये।

इस तरफ से जो भूख से मरने वालों के आंकड़े रक्खे गये यह हमारी सरकार के लिये शर्म की बात है। मैं नहीं जानता कि सरकारी आंकड़े क्या हैं, लेकिन अपने जिले मैनपुरी के बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन साल से वहां बराबर बाढ़ें आ रही हैं। पिछले साल ओला पड़ा जिससे बड़ा नुकसान हुआ। सवालों के जवाब में सरकार की ओर से बतलाया गया कि १९ जिलों में नुक्सान हुआ उनमें मैनपुरी जिला नहीं

[श्री मलिखान सिंह]

है । मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार हिसाब लगाया गया कि इतना नुक्सान हुआ । मैं श्रीमन्, मौके पर देखता हूं कि लेखपाल रिपोर्ट देता है कि फलां तहसील में फलां-फलां हलके में इतना नुक्सान हुआ है, लेकिन तहसीलदार उससे कहता है कि ८ आने से कम नुक्सान दिखाओ नहीं तो लगान में छूट देनी पड़ेगी । लेखपाल तहसीलदार के नीचे होता है और उस समय उसे मजबूर हो कर कम नुक्सान दिखाना पड़ता है।

श्रीमन्, यह भी देखा गया है कि नदी के किनारे जिस किसान का खेत होता है और बाढ़ आती है तो उसका वह खेत नष्ट हो जाता है । उस समय वहां के कर्मचारी उस गांव के नुकसान की वैल्यु इस तरह से लगाते हैं कि वह पूरे गांव को लेते हैं कि कितना नुक्सान हुआ है । एक हार अगर ऊंचा है और एक नहलार में होगा तो रिपोर्ट दोनों हारों को मिलाकर देंगे कि ५० परसेंट नुक्सान हुआ है । क्या उन्होंने कभी इस तरह की व्यवस्था की कि जो नहलार था, जहां का किसान मर रहा है उसकी पूरी खेती का कितना नुक्सान हुआ ? आज क्या स्थिति है ? आज जाड़े की जो फस्ल थी, वह किसान ने चने का साग और आलू खा कर के व्यतीत की फिर ओला पड़ गया, इस तरह से परेशानी हो रही है। श्रीमन्, ऐसे ही मैनपुरी में करीमगंज, अंजनी, रसमेर, सलेमपुर, जुन्हासा, खेतूपुरा, लहरा आदि ऐसे गांव हैं जहां सेंट परसेंट नुक्सान हुआ है और यहां गोंडा और तीन-चार जिले ऐसे दिखाये गये कि उनके एक क्षेत्र में नुक्सान हुआ है, लेकिन मैनपुरी के अन्दर जहां इतना नुक्सान हुआ है कर्मचारियों ने रिपोर्ट तक नहीं दी। मैं किस आधार पर सरकार की रिपोर्ट आंकूं और किस आधार पर समझूं कि सरकार की रिपोर्ट सच है या गलत है ?

सरकार को एक प्रभावी कदम उठाना होगा चाहे वह पूरब की समस्या हो या पश्चिम की। कुछ पूरब के व्यक्ति लेकर, कुछ पश्चिम के लेकर सरकार एक कमेटी निर्धारित करे और वह कमेटी हर जिले, हर गांव की रिपोर्ट दे कि किस-किस गांव में क्या स्थिति है। तब हमारे सामने पूरे प्रान्त का हाल आयेगा और फिर जो व्यवस्था की जायगी वह वास्तविक होगी ।

हमारी सरकार केवल उन्हीं आंकड़ों पर निश्चित रहती है जो नौकरशाही द्वारा दिये जाते हैं । अगर वे प्रजातंत्र को मानते हैं तो चुने हुए नुमाइंदों की बात मानिये और यदि आप नौकरशाही में विश्वास करते हैं तो नौकरों की बात मानिये । आखिर आप किस की बात मानेंगे मेरी समझ में नहीं आता । हर कांस्टीटूएंसी का हर एक प्रतिनिधि अपने-अपने यहां के क्षेत्र की बात रखता है उस पर विचार क्यों नहीं होता ?

यहां पर हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा कि इसको एक राजनैतिक रटंट नहीं लेना चाहिये । मैं कहता हूं कि कोई भी भूखों मर रहा हो चाहे कांग्रेसी हो चाहे जनसंघी हो चाहे सोशलिस्ट हो चाहे पी० एस० पी० का हो उसके प्रति सबकी हमदर्दी होनी चाहिये । वह राष्ट्र का है । अगर मरेगा तो राष्ट्र का अपमान है । इसलिए सरकार का अपमान होगा । हमें बड़े गौरव से इस बात को कहना चाहिये कि चाहे किधर का भी हो ऐसा एक भी व्यक्ति न मिल सके जो भूखा मर रहा हो तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

श्रीमन्, चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, किसान का जीवन एक विचित्र जीवन होता है । उसके जीवन का भी ठिकाना नहीं होता । पानी पड़ रहा है, खेत में किसान काम कर रहा है, एक सांप निकलता है और उसको काट लेता है । तो उसकी कोई सेफ्टी नहीं है । सर्विस करने वालों की तो सेफ्टी हो सकती है, किसान की प्राकृतिक प्रकोपों के कारण कोई सेफ्टी नहीं । जब तक हम कोई प्रभावी कदम न उठावें, तब तक यही करें कि किसान की फसल को जो नुक्सान हो जाय उतने लगान की छूट दें । लेकिन यह नहीं हो सकता । कारण ? जो मैनुअल मैनपुरी में जिलाधीश के द्वारा पिछले साल किसानों के प्रदर्शन पर दिखाया गया उसमें लिखा है कि ६० परसेंट नुकसान हुआ हो तो हम मुल्तवी कर सकते

हैं। श्रीमन्, इस फसल में लगान मुल्तवी कर दिया जाय तो अगली में वह इजाफा हो कर लगेगा। क्या होगी उस काश्तकार की स्थिति ? जिस काश्तकार के यहां खाने के लिए गल्ला नहीं, जिसके यहां खर्च करने के लिए पैसा नहीं, वह अगली फसल में पिछला रुपया भी दे ?

श्रीमन्, यहां मैं कोआपरेटिव की वसूली के बारे में भी कहता हूं। कोआपरेटिव मैनुअल में लिखा हुआ है कि जब तक १२ आना या १४ आना नुक्सान न हो तब तक वसूली मुल्तवी नहीं की जा सकती। यह सहकारिता का उदाहरण है। मैंने कोआपरेटिव स्टोर पर जाकर देखा कि जहां सेंट परसेंट नुक्सान हुआ है वहां कोआपरेटिव की वसूली जब्रिया हो रही है, लगान की वसूली जब्रिया हो रही है। इस किस्म की समस्याएं हमारे सामने पैदा होती हैं। जब १२-१४ आने नुक्सान होगा, तब उसमें यह कर दिया गया है कि हम पैसे के रूप में गल्ला ले लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि १२ आने नुक्सान हो जाय तो किसान के पास पैसा कहां से आयेगा जिसके जरिये गल्ला दिया जा सके।

तो आज हमें सोचना होगा कि यह पूरे प्रांत का सवाल है, चाहे पूर्व का हो चाहे पश्चिम का हो, जिस जगह पर नुक्सान हुआ है उन सबके लिए एक साथ इस सदन में सोचना है कि किस तरह से अपने प्रदेश को भुखमरी से बचा सकते हैं और जो समस्या है उसके लिये प्रभावशाली कदम उठाया जाय। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह संभल कर आगे कदम उठाये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय त्रिलोकीसिंह जी आप ४-३५ तक यानी १५ मिनट भाषण करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने खाद्य समस्या पर वाद-विवाद करने के लिये आज का पूरा दिन नियत किया, वहां मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी की सेवा में बहुत अदब से यह गुजारिश करूंगा कि राजनीति का सबक सीखने, इस आदरणीय सदन में हम लोग नहीं आये हैं। आज से ३५ साल पहले विद्यार्थी की हैसियत से हमने सीखा था। मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये मेरा स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि शुरू की तकरीर में, मंत्री जी इस बात का संदेह या शुबह जाहिर करेंगे कि लोग राजनीति न लायें।

मैं अधिक न कह कर इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो खाद्य समस्या पूर्वी जिलों में है उसका समाधान, उसका हल, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यह कि जहां अन्न की कमी है, उस क्षेत्र में अन्न पहुंचाने की कोशिश की जाय जो मुनासिब दामों पर वहां के लोगों को हासिल हो। दूसरे श्रीमन्, जो सरकार के करने की बात है, जहां अनाज की पैदावार में कमी हुई है, चाहे बाढ़ के कारण हुई हो चाहे ओले से हुई हो, चाहे वह माह के महीने में वक्त के पहले तेज हवा से हुई हो, वहां मुनासिब छूट दी जाय।

श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी की सेवा में मैं केवल एक जिल गोरखपुर के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। गोरखपुर की आबादी २२ लाख आदमियों की है और वहां एक आदमी पर आधी एकड़ कल्टीवेटेड लैंड है। गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस और बस्ती इन जिलों में ६० प्रतिशत पैदावार खरीफ की है, धान की है, बाजरा और ज्वार की है। मुख्य पैदावार कुआरी धान, अगहनी धान, या कोदों है और ४० फीसदी रबी की फसल है। सरकारी आंकड़े देखने से गोरखपुर की खाने-पीने की औसत पैदावार ५ लाख टन होती है इसमें मैंने अरहर की दाल को छोड़ दिया है क्योंकि वह सीरियल्स में नहीं आती है। माननीय माल मंत्री जी ने स्वयं माना है कि ५५-५६ में वहां की फसल बर्बाद हुई और छूट देनी पड़ी। माल मंत्री ने यह भी माना है कि ५६-५७ में फसल बर्बाद

[श्री त्रिलोकीसिंह]

हुई और छूट देनी पड़ी और इतना और माना है कि सन् ५६ की जो अगहनी फसल थी उसमें भी उनको वहां छूट देनी पड़ी। माननीय माल मंत्री यह भी मानते हैं कि १३६४ में रबी की फसल में भी ८ आने का नुक्सान इन दोनों में हुआ है। इन सारे आंकड़ों को यदि जोड़ लिया जाय तो गोरखपुर जिसकी ५ लाख टन की पैदावार गल्ले की है उसमें से डेढ़ लाख भी नहीं रह जाता। यह साढ़े ३ लाख टन की कमी हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिये माननीय खाद्य मंत्री ने क्या व्यवस्था की? केवल २१ हजार टन ९ जिलों में भेजना जबकि ३५ हजार टन की केवल अकेले गोरखपुर जिले में कमी है। यही हाल देवरिया का है, यही हाल बस्ती का है और यही हाल आजमगढ़ का है। लेकिन इस पर मैं बाद में निवेदन करूंगा।

माननीय माल मंत्री ने चार आने और छः आने की छूट दे दी। यह मान कर छूट दी है कि ८ आने का औसत नुकसान हुआ है। क्या माल मंत्री जी को यह नहीं मालूम है कि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ जिलों की पैदावार का ११ आना खरीफ की फसल का है और खरीफ की फसल को वह मानते हैं कि सैलाब से नुकसान हुआ है और उन्होंने छूट भी दी है। इसलिये जब रबी की फसल जो महज २ लाख टन होती थी, उसके लिये वे आधे का नुकसान खुद मानते हैं, तो १ लाख टन वहां पैदा हुआ है और जरूरत है ढाई लाख टन की, तो यह डेढ़ लाख टन की कमी कहां से पूरी होगी?

मुझे बड़ा दुख है कि आज छूट देने के जो कानून हैं वही पुराने हैं। सैलाब से तो नुकसान देखा जा सकता है, ओले से नुकसान हो तो जाकर खेत का मुआयना किया जा सकता है, लेकिन अगर हवा चलने से अनाज पतला पड़ जाय या बिलकुल सूख जाय तो उसकी जांच के लिये माल विभाग के पास क्या जरिया है? कोई नहीं, बस अन्दाज पर छोड़ दिया।

फेमिन कोड में और रेवेन्यु मैनुअल में लिखा हुआ है कि जहां कहीं इस प्रकार की कमी की गुंजाइश पैदा हो तो कलेक्टर का यह कर्त्तव्य है कि वह उससे सजग हो जाय और उसका उपचार करे। क्या मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रबी की फसल में बर्बादी हुई है, उसकी छूट के लिये अहकामात यहां सचिवालय से किस महीने में जारी हुये। वहां के कलेक्टर ने किस महीने में यह रिपोर्ट दी। मार्च के महीने में यह रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी कि गेहूं की फसल में इतना नुकसान हुआ है और उसी समय क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट भी हो जाने चाहिये थे। लेकिन हुक्म कब निकलता है—मई के शुरू हफ्ते में, और दूसरा हुक्म निकलता है मई के आखिरी हफ्ते में जब कि कोई उपाय नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि घर के अन्दर जाकर उस किसान के बखार में जहां अनाज रखा है हाथ में लेकर गेहूं के दाने और चने के दाने से मुकाबला करें कि कितना कम है। आज भी ११ साल स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, इस युग में माल विभाग के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि हवा चल जाने से जो अनाज पतला पड़ जाय उससे कितना नुकसान होता है इसकी जांच हो सके।

कहा यह जाता है कि विरोध में होने के कारण इधर वाले इस प्रकार बातें करते हैं। मुझे दुख है कि यहां पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्खिन का सवाल उठाया गया है। मैं कहता हूं कि यह २ करोड़ आदमियों के रोटी का सवाल है। क्या हम इस बात पर गौर करें कि यह पूर्व और पश्चिम का सवाल है? माननीय खाद्य मंत्री ने अपने बयान में जिक्र किया है कि वहां ९ जिलों में मुस्तकिलतौर पर अन्नाभाव है और उसको दूर करने के लिये कोशिश ऐसी जरूर होनी चाहिये कि वह दूर हो सके।

प्लान पीरियड में १४६० ट्यूबवेल्स इन १२ जिलों में बनेंगे। यानी एक जिले में लगभग १२१ ट्यूबवेल बनेंगे। जितनी आवश्यकता है उसका १०० वां हिस्सा भी यह ट्यूब वेल सींच नहीं सकते लेकिन किताब में लिख गया कि इतना प्रोडक्शन बढ़ गया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने इस फैसले को बदलें। उन्होंने जो ८ आना नुकसान का फैसला सचिवालय में बैठ कर कर्मचारियों और कलेक्टरों की मीटिंग लखनऊ में बुला कर कर दिया है वह सही नहीं है। हकीकत दूसरी है। इसमें जिद करने से फायदा नहीं। वहां के किसानों की हालत को देखें और खासकर इस बात को, इन तीन बातों को ध्यान में रखें कि यह इलाका मुस्तकिल तौर पर डैफिसिट इलाका है, कई बार बरबादी यहां आ चुकी है और यह तीसरी बार फिर बरबाद हुआ है। इसलिये वहां पर विशेष रियायत की आवश्यकता है। लेकिन आज हम उस रियासत को करने की भावना में कमी पाते हैं। मैं किसी की नियत पर कभी हमला नहीं करना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि नियत पर हमला करना गलत है। सरकार की भावना आज इस तरह की नहीं है कि जो वहां मुसीबतजदा लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रियायत दी जाय। टेस्ट वर्क चल रहे हैं उनमें ४ आना, ६ आना और ८ आना मजदूरी दी जाती है। ६ आना औरतों को और ८ आना मर्दों को .....

श्री चरणसिंह—४ आना कैसे ?

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं श्री गेंदासिंह जी की सुनी हुई बात कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज से कोई गलतफहमी हो गई हो तो उस के लिये माफी चाहूंगा। मैंने अर्ज किया कि ४ आना, ६ आना और ८ आना टेस्ट वर्क्स में मजदूरी दी जाती है। टेस्ट वर्क इसलिये चलाये जाते हैं कि यह पता चल जाय कि वहां पर दुर्भिक्ष है या नहीं, लेकिन किसी टेस्ट वर्क को मुस्तकिल रूप दे दिया जाय ऐसा मैंने आज तक संसार के इतिहास में, फेमीन की हिस्ट्री में नहीं देखा। श्रीमन्, टेस्ट वर्क की मजदूरी क्या होती है ? वह तो मरदों को देते हैं, औरतों को देते हैं, बच्चों को देते हैं और जो काम नहीं करते हैं उनको भी देते हैं। यह हम लोग बच्चों से काम करा कर, उन से सड़क की मिट्टी ढुलवा कर चार आना मजदूरी देते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को, कांस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मानने वाले हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को कायम करना चाहते हैं। आज इस आदरणीय सदन का कौन माननीय सदस्य इस बात को बरदाश्त करेगा कि १२ बरस के बच्चे से मिट्टी ढुलवा कर उसको चार आना मजदूरी दी जाय ? यह बिलकुल अमानुषिक है, घोर निर्दयता है और इसलिये मैंने कहा कि यह मुसीबतजदा की मदद करने के लिये सरकार का पूरा रुख नहीं है।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय खाद्य मंत्री और माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप ने २१ हजार टन महीने का अनुमान लगाया है, यह बहुत कम है। ३३ हजार टन की कमी तो अकेले गोरखपुर जिले में है। मैं चाहूंगा कि जो आंकड़े मैंने पेश किये हैं उनके लिये आज नहीं तो कल, जब जहां कहीं हो मंत्री की कोठी पर या दफ्तर में बैठ कर, उनको समझने की आप कोशिश करें नहीं तो मुझे मेरी गलती बतलायें। मैं कहता हूं कि यह कमी २१ हजार टन से दूर नहीं हो सकती। इसके लिये और ज्यादा दूकानें खोलनी चाहियें।

माल मंत्री जी ने जो छूट दी है वह बहुत अच्छी बात है। पहले उन्होंने उन्हीं इलाकों को छूट दी जो सैलाबी थे। बाद को छूट उन इलाकों में हुई जहां कि सैलाब नहीं था। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह रेकरिंग स्केयरसिटी जो वहां कई साल से चलती आ रही है, उसको देखते हुये अगर हिसाब लगाया जाय तो वहां के रहने वालों के पास खाने के लिये एक हांडी भी अन्न नहीं होना चाहिये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर पुनः विचार करें।

९६ लाख वर्किंग डेज के लिये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक आज्ञा निकली थी उस के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उनमें से कितने दिन पूरे हो गये हैं और उनमें कितने मजदूरों को काम दिया जा चुका है। श्रीमन्, मैं इस सिलसिले में जानना चाहूंगा कि जहां कहीं

[श्री त्रिलोकीसिंह]

भी दुर्भिक्ष की दशा पैदा हो जाती है वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पी०डब्लू०डी० की एजेन्सी को इस काम में इस्तेमाल किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कितना रुपया इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पी०डब्लू०डी० को जिनका इस काम से खास वास्ता है, दिया गया है ? अगर कलेक्टर से माननीय माल मंत्री जी यह कहें कि आदमियों को काम दो, तो १४ दिन कलेक्टर को सोचने में लग जायेंगे कि क्या काम दिया जाय । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास सड़कें होती हैं और पी० डब्लू०डी० के पास भी सड़कें होती हैं और इमारत का काम भी होता है । उनका काम चलता रहता है । उन एजेन्सीज को इस्तेमाल करना एक अहमियत रखता है । उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है ? पिछले महीने जब से इस काम को शुरू किया गया, इस काम के लिये कितना रुपया पहुंचाया गया है ?

आप दुकान हजारों खोल दीजिये, लेकिन अगर उन गरीबों के पास पैसा नहीं है, अन्न के लिये वे खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ ? ऐसा काम कीजिये जिससे उनके लिये अन्न खरीदने का जरिया मुमकिन हो सके । ग्रेचुटस रिलीफ से रुपया पहुंचाकर भी कुछ लोगों की दशा को सुधारने की जरूरत है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये यह कहना चाहता हूं कि यह गेहूं की बाल (गेहूं की बाल दिखाकर) देख ली जाय कि इसके अन्दर कितना अन्न है ।

*श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अर्थात् इस नये सदन में हमारे सूबे के कुछ इलाके की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सबसे पहली बहस है । पिछले सदन में इस विषय पर प्रायः हर वर्ष बहस हो चुकी है, परन्तु इस नये सदन में यह पहला मौका है । मैं या मेरे दूसरे सहयोगी गवर्नमेन्ट की तरफ से जिन बातों को कई बार दोहरा चुके हैं उनमें मुझको क्योंकि यह नया सदन है कुछ थोड़ी सी बातें दोहरानी होंगी, किन्तु समस्या वही है पुरानी और उसका समाधान भी एक ही है, इसलिये उनको दोहराने की आवश्यकता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में काफी आवेश और जोश से काम लिया गया । यहां तक कि मेरे माननीय मित्र गेंदासिंह जी, जिनके नाम के साथ मैं एक संजीदगी के खयाल को वाबस्ता करता हूं, वह भी इस लालच से ऊपर नहीं उठ सके । परन्तु मेरी मजबूरी है और मेरी मजबूरी यह है कि अपने लोगों की खराब हालत को जानते हुये भी, मैं उनको भड़का नहीं सकता । मैं उनमें आत्मविश्वास का संचार करना चाहता हूं क्योंकि उनके सामने कोई काला चित्र खींचने से मुझको नफा होगा । यह मेरी मजबूरी है ।

अभी थोड़े दिन हुये मैं २ दिन के लिये गांवों में गया । मैं शहर में ही नहीं गया, बल्कि गांवों में भी गया और बीच गांव के मीटिंग हुई । यह मेरी मजबूरी उस वक्त थी और इस मजबूरी के कारण मैंने एक खतरा उठाया । मैं माननीय गेंदासिंह जी से, चाहे वह कितने ही संजीदा हों, जैसा कि हैं, कितने समझदार हैं, कम से कम जहां तक मेरी राय उनके मुताल्लिक है, यह आशा नहीं कर सकता । क्यों ? आखिर राजनीति से हम ऊपर नहीं उठ सकते । माननीय त्रिलोकी सिंह से मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी अली जहीर साहेब ने जिस वक्त यह कहा कि यह सवाल राजनीति से ऊपर हो तो कोई थर्ड क्लास का भी बच्चा यह ख्याल नहीं कर सकता कि अली जहीर साहेब उन्हें राजनीति सिखाने चले थे, बल्कि उनकी नम्र अपील थी कि इसमें मतभेद होना ही नहीं चाहिये और ठंढे दिल से गौर होना चाहिये । इसी तरह लोगों की तकलीफ दूर की जा सकती है । लेकिन इसके लिये तोड़-मरोड़ कर कहा गया कि अली जहीर साहेब उन्हें राजनीति सिखाने चले हैं और वह तो ३५ वर्ष पहले से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सीख चुके थे। यह तोड़ना मरोड़ना है। मैं जानता हूं कि गेंदासिंह जी भी इससे ऊपर नहीं उठ सके। मुझे कोई आशा नहीं थी कि मुझे गलत नहीं समझा जायगा या मुझे मिसरिप्रेजेन्ट नहीं किया जायगा। लेकिन मेरे साथियों को गेंदासिंह जी ने यह समझाने की कोशिश की कि राजस्व मंत्री की कुर्सी उनकी बदौलत है। मैं जानता हूं कि उनकी बदौलत है और जनता की बदौलत है। लेकिन मैंने जनता के हित में और अपनी आनेवाली पीढ़ियों के हित में उनको निराशा की बात नहीं बतलानी चाही थी और मैंने यह खतरा उठाया कि चाहे मुझे लोग मिस-अन्डर स्टैन्ड करें। उस आवेश और जोश के साथ तो मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं जैसा मेरे माननीय मित्रों ने किया। मैं तो ठंडे दिल के साथ इस सरकार ने जो कुछ किया है, जो इरादा रखती है और जो उसकी मजबूरियां हैं, उन्हें अर्ज करना चाहता हूं। केवल वाकयात कहना चाहता हूं shorn of all prejudice and sentiments मैं जोश या आवेश लाने की कोशिश नहीं करूंगा।

हमारे जनसंघ के नेता दुबेजी जबकि बजट की आम बहस में तकरीर फरमा रहे थे तो सूबे की पैदावार के आंकड़ों के बारे में फरमाया था कि सन् ४९–५० में यह पैदावार हुई, और ५५–५६ में यह हुई, और इतना रुपया कुंएं, ट्यूबवेल, नहर और आर्टिफीशियल फर्टीलाइजर में लगा और इतनी पैदावार होनी चाहिये थी। यह हिसाब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगा करता है कि इतना "रामैटीरियल" मशीन में झोंक दिया और इतना 'फिनिश्ड प्रोडेक्ट' निकल आया। लेकिन खेती में मौसम भी होता है। उन्होंने कहा कि क्या मौसम हमेशा ही खराब रहा, सिर्फ सन् ५५ में बाढ़ आई। आज दूसरा मौका था कहने का इसलिये आज उनकी तक़रीर के मुताबिक हर महीने बाढ़ आई है और हर छठे महीने सूखा पड़ा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैंने कहा कि ड्राट और बाढ़ एक ही साल आये।

श्री चरणसिंह—सिर्फ सन् ५४ को छोड़कर सूखा और बाढ़ हर साल हमारे सूबे में आये। सन् ५३ में गोमती में सन् १८८५ की बाढ़ से ऊंचा पानी था। सन् ५१–५२ में गोरखपुर और बनारस डिवीजन में सूखा पड़ा। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जैसा मौका हो वैसी बात। जब हममें से जिम्मेदार आदमी भी कहते हैं तो फिर सच्चाई कहां मिलेगी। खैर, मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि सन् ४९–५० से २,३ फसलों को छोड़कर प्रायः हर फसल हमारे सूबे के इलाकों की, और ५५–५६ में हमारे सूबे के बेशतर हिस्सों की, खराब हुई। उसे प्राकृतिक आपत्ति या कुछ भी कहिये जिन इलाकों में बराबर यह आपत्ति आती है, इसमें संदेह नहीं कि उनकी आर्थिक दशा खराब है; खराब नहीं, बहुत खराब है। न हमने इसको छिपाने की कोशिश की और न मैं छिपाना चाहता हूं। सन् ५५ में बहुत जबरदस्त मुसीबत आयी, फिर दूसरी मुसीबतें आयीं। ५६ का हवाला मैं इसलिये देना चाहता हूं कि पिछली मुसीबतों को नजरअन्दाज करके उसका नतीजा यह हुआ कि रबी की फसल खराब हुई जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। यह १३६४ फसली था जब कि हमारे यहां ६२ लाख एकड़ के रकबे में असर पड़ा और उन गांवों के ८६ लाख आदमियों पर उसका असर पड़ा जिनके लिये हमने २७५ लाख रुपया रिलीफ दिया जिसकी डिटेल मेरे पास हैं, कोई साहब जानना चाहेंगे तो उनको बता दूंगा और अगर वे मेरे कमरे में तकलीफ करेंगे तो उनको दे दूंगा, इस वक्त देरी होने की वजह से छोड़ देता हूं।

रेमीशन आफ लैन्ड रेवेन्यू हमने किया। रेमीशन और सस्पेंशन के जो प्रोपोजल थे वे लगभग १०० लाख रुपये के थे। पोस्टपोनमेंट इससे अलहदा रहा। उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि जब एक फसल खराब होती है तो मालगुजारी सस्पेंड की जाती है, लेकिन अगर अगली फसल भी खराब हो जाय तो जो सस्पेंशन का एमाउन्ट है, उसको रेमिट करना होगा। तो लगभग १०० लाख रुपया तो रेमीशन आफ लैन्ड रेवेन्यू हुआ। १३६४ खरीफ के पोस्टपोनमेंट की रकम अलहदा रही और वह भी ११ जिलों की थी न कि पूरे सूबे की। इन्हीं ११ जिलों

[श्री चरणसिंह]

को फूड सबसिडी ४ अप्रैल सन् ५२ तक दी गयी, २ रुपया ३ आना फी मन के हिसाब से वह २५ लाख रुपया थी। तकावी में जो सूद की दर में कमी की गयी वह पांव के बजाय साढ़े चार प्रतिशत की गयी, उसकी भी फिगर लाखों में होगी। अभी उसका हिसाब नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग मेटीरियल, क्लोदिंग तथा छोटी-मोटी और किस्म की सहायता भी की गयी। इस प्रकार से अनेक रूप से सहायता देकर लोगों की मुसीबत को दूर करने की कोशिश की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले भी इस सदन के मेम्बर थे, आपको भी याद होगा और जो माननीय सदस्य इस सदन के पहले मेम्बर थे उनको भी याद होगा कि जिस खूबी के साथ राज कर्मचारियों ने उन दिनों कार्य किया, चारों तरफ से उसकी दाद दी गयी। कोई शिकायत नहीं हुई। एक आध हो भी सकती है, मान लेता हूं कि जब इतने आदमियों ने काम किया तो उनमें १ या १० ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने गलती की हो। लेकिन उस वक्त सबने यह इकरार किया था कि उन लोगों ने निहायत मेहनत से काम किया और बहुत से लोगों ने तो अपनी जान को खतरे में डालकर काम किया। उसके बाद कोई बीमारी नहीं फैली, कोई असाधारण बात नहीं हुई। यह सब को जाहिर है कि बारिश देर से हुई और अक्टूबर में बाढ़ आयी। पानी भर जाने की वजह से फसल खराब हो गयी। ओला पड़ा, लेकिन ओला भी बहुत बड़े इलाके में नहीं पड़ता है इसलिये सारी तस्वीर उससे भी नहीं बिगड़ती परन्तु उसके बाद जो पछवा हवा चली और रस्ट लगी उससे पूरी फसल खराब हो गयी। जब बाढ़ आती है तो उसके बाद आम तौर पर बम्पर फसल होती है। पिछली बार सदन में भी मैंने इस बात को बताया था कि पनिया अकाल कभी नहीं पड़ता, आमतौर से सूखे का अकाल पड़ता है। आज हमें इस वक्त कितनी ही मुसीबत क्यों न मालूम होती हो लेकिन फसल कभी फेल नहीं हो सकती और बाज-बाज फसल अच्छी हो जाती है। इसलिये बावजूद पिछले वर्ष खरीफ की फसल, जिसमें रिलीफ दी, उतनी खराब नहीं हुई जितने का कि अन्देशा था, बल्कि ५५-५६ में सबसे ज्यादा फसल हुई। जहां तक मक्के की फसल का ताल्लुक था, मक्के की फसल ५४ की फसल से दुगुनी हुई और ५५ की फसल से कई गुनी हुई। ५५ में मक्के की फसल ज्यादा खराब हो गयी थी। जितनी फसल खराब होने का अन्देशा था और जितना नुकसान समझा गया, उतना रेमिशन कर दिया गया था। अगर मेरे इस कथन पर किसी माननीय मित्र को विश्वास न हो तो बहुत डिटेल में उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, अगर वे चाहें तो मैं उनके पास भेज दूंगा, मेरे पास वह इस वक्त भी मौजूद है। पिछले तीन सालों में यानी ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ में इन ११ जिलों के अन्दर चावल, ज्वार, बाजरे और मक्के की पैदावार कितनी हुई, उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--गोरखपुर में कितनी राइस हुई ?

श्री चरणसिंह--गोरखपुर का भी मैं बतला दूंगा। वाराणसी में ६४ हजार टन ५४-५५ में पैदावार हुई जबकि ५५-५६ में २३ हजार टन और ५६-५७ में ९० हजार टन। मिर्जापुर में ३८ हजार टन ५४-५५ में, ८३ हजार टन ५५-५६ में, ८१ हजार टन ५६-५७ में पैदावार हुई। जौनपुर में क्रमशः २० हजार टन, ५० हजार टन और ५१ हजार टन पैदावार हुई।

एक सदस्य--मक्के की पैदावार के आंकड़े मैं जानना चाहता हूं। मक्का बारिश की वजह से कम पैदा होता है और सूखे की वजह से ज्यादा होता है।

श्री चरणसिंह--पिछले साल भी मक्का की फसल पकने के बाद बारिश का क्या हुआ ? बारिश अक्तूबर तक चली। पिछले साल आप यहां तशरीफ नहीं रखते थे इसी से आपने तमाम सूबे के बारे में नहीं फरमाया।

गोरखपुर में सन् ५४–५५ में १,५६,८८१ टन, सन् ५५–५६ में १,८२,००० टन और सन् ५६–५७ में १,०६,००० टन की पैदावार हुई। वक्त ज्यादा लगेगा, इसलिये मैं और नहीं आंकड़े दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि किन्हीं जिलों में पहले साल से बारिश ज्यादा हुई और किसी में कम। जो अन्देशा था कि बहुत फसल बर्बाद होगी, वह बहुत नहीं थी। खैर, जो रेमिशन हो गया, वह तो हो गया। जब रेमिशन के बाद पोस्पोनमेंट हो गया, लिहाजा वह रेमिशन में कनवर्ट होगा ही। यह कहा गया है कि अच्छी फसल होने की रिपोर्ट थी लेकिन वह फसल खराब हो गयी। अब कहा यह जाता है कि अकाल पड़ गया था।

श्रीमन्, अकाल की पहचान तीन हैं। एक पहचान तो यह है कि जमीन की कीमत और जानवरों की कीमत कम हो जाय और उनका ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ जाय। जिन मित्रों को सन् ४३–४४ के बंगाल के अकाल की याद होगी, अगर उन्होंने उन दिनों के अखबारों को पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि अखबारों में खबरें आया करती थीं कि ५० रु० एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन बिकी। एक दफा तो यह खबर भी आयी थी कि १० रु० में एक एकड़ जमीन बेची गयी अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिये। बैनामे ज्यादा होते हैं, करोड़ों आदमी अपनी जमीन बेच डालते हैं। इसी तरह से मवेशियों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है और वे बहुत सस्ते दामों में बिकते हैं। तीसरी बात यह है कि भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। चौथी बात यह है कि बहुत से लोग अपने गांव छोड़-छोड़ कर हजारों लाखों की तादाद में शहरों में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर न उनके पास पैसा रहता है, न खाने को रहता है। सर्राफे की बिक्री भी बिलकुल बन्द हो जाती है बल्कि जेवरात की खरीदारी दूकानदारों के द्वारा शुरू हो जाती है। शादियां भी अकाल में टाल दी जाती हैं, सीमेंट की खरीदारी बन्द हो जाती है, तो यह सब पहचानें हैं अकाल की। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में अत्यन्त प्रसन्नता है कि इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हमारे इन ११ जिलों में नहीं देखे गये। हां, एक बात मैं कहना भूल गया वह यह कि ऐसी हालत में क्राइम बहुत बढ़ जाते हैं जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि वह हालत "व्हेन एवरी मैन एक्सटेंड्स हिज हैन्ड्स अगेन्स्ट हिज ब्रदर" अर्थात् जैसे कि हमारे यहां संस्कृत में कहा जाता है कि "भूखा क्या पाप नहीं करता"। हमारे पास पिछले साल के आंकड़े हैं कि इन ११ जिलों में महीनेवार कितने क्राइम्स हुये।

एक सदस्य––मैं पूछना चाहता हूं कि अगर क्राइम नहीं बढ़ रहे हैं तो पटने और गोरखपुर में पुलिस अधिकारियों की कांफ्रेंस किस बात की हो रही है।

श्री चरणसिंह––माननीय कमलापति जी से आप का मतलब होगा कि वह गोरखपुर गये हुये हैं, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं माने लेता हूं कि वह गये होंगे। लेकिन उन के जो प्रोडिसेसर थे जो अब मुख्य मंत्री हैं वह पहले होम मिनिस्टर थे, वे माननीय पालीवाल जी के जिले में वहां की क्राइम सिचुएशन के सिलसिले में गये थे वहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों से कांफ्रेंस की थी। इसलिये जैसा नतीजा माननीय मित्र निकाल रहे हैं कि माननीय त्रिपाठी जी गये हुये हैं तो वहां क्राइम बढ़ रहे हैं ऐसा नतीजा नहीं निकाला जा सकता और किसी ने नहीं निकाला था।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, कोई साहब लेना चाहें तो ले लें। इनमें से कोई भी सिम्पटम्स इन ११ जिलों में विद्यमान नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्पटम्स अब जरूर मौजूद हो गये हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, जैसे अब अखबारों में बयान खूब निकलते हैं, सत्याग्रह का जिक्र और धमकियां बहुत हैं जो कि नार्मल टाइम्स में नहीं होती थीं। यह हमारे कांग्रेस वाले मित्र भी इंसान हैं, चारों तरफ से हवा तरह-तरह की आती है, नये-नये झोंके आते हैं, आखिर उन्हें भी तो अपने एलेक्ट्रेट्स को सम्हालना है, उनकी मजबूरी हम जानते हैं . . . . .

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष--वह बैठना नहीं चाहते हैं तो आप बैठ जायं ।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, तो जब यह फसल खराब हो गई और हमने यह सुना जब ४ मई को हमारे पास कलेक्टरों की रिपोर्ट आई, श्री गेंदासिंह जी से भी मालूम हुआ, श्री तारकेश्वर पांडे से भी मालूम हुआ कि फसल को हवा खा गई, वैसे खेतों को देखने से तो ऐसा नहीं मालूम होता था, लेकिन यह सब सुन कर ४ मई को ही हमने यह अहकाम भेज दिये । माननीय त्रिलोकीसिंह जी कह रहे थे कि ४ मई को हुक्म भेजे रेन्डम सेम्पलिंग एक्सपेरीमेन्ट के लिये ऐसी बात नहीं है । हमने तो उस तारीख को यह हुक्म भेजे कि आपको यह फर्ज करना ही है कि ६ आने से ज्यादा पलड और ड्राफ्ट क्षेत्र में फसल नहीं हुई है, इससे ज्यादा नुकसान हुआ हो, तो वह ज्यादा दिखलाया जाय । हमने यह हिदायत दी कि छूट पलड एरिया के लिये तो हम मानते हैं क्योंकि पलड एफेक्टेड एरियाज थे, लिहाजा ६ आने से लेकर ८ आने तक जो नुकसान होता है नार्मली वह उसके ऐनटाइटिल्ड होंगे रिलीफ के । ६ आने पर पहले ऐनटाइटिल्ड नहीं होते थे, ८ आने पर होते थे । लेकिन जो पलड एफेक्टेड एरियाज थे वह ६ आने के नुकसान में भी ऐनटाइटिल्ड हो गये ।

जहां तक रेन्डम सेम्पलिंग की बात है, वह खड़ी फसल से होती है, और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की तरफ से होती है । एक हमारे बहुत रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट हैं, स्टेटिस्टीशियन उसके मातहत होते हैं, परगने में दर्जनों मातहत होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट मंगाई, तो ५ आने, ६ आने से ज्यादा नुकसान नहीं बैठता । कई जिलों के मुताल्लिक १९५५-५६ के अप्रैल में यह पूछा गया कि तुम्हारे हिसाब से कितना नुकसान बैठता था और अब कितना बैठा । उसका आर्डर हमें भेजने की जरूरत नहीं महसूस हुई । हां उन आर्डर्स का नतीजा यह हुआ कि ८७ लाख रु० के लैन्ड रेवेन्यू के रियलाइजेशन का सस्पेंशन हो गया । सस्पेंशन का ही कलेक्टर्स को अधिकार है और अब हम उनको यह लिखेंगे कि आपको इतना रेमिट करना है । प्रायः ऐसा मैं समझता हूं कि शायद सब को ही वह सस्पेंड करने के लिये लिखेंगे, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में फर्क हो सकता है । ८७ लाख रु० सस्पेंड कर दिया और पोस्पोन्ड लैन्ड रेवेन्यू की वसूलयाबी भी स्थगित कर दी, और जो मैंने कहा कि खरीफ १३६४ का रियलाइजेशन जो सस्पेंड था वह तो रेमिट हो जायगा और पोस्पोन्ड की भी वसूलयाबी बन्द हो जायगी तो पुराना ६९ लाख रु० लैन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन पोस्टपोन हुआ और नये का ८७ लाख रु० सस्पेंड हुआ । ५९ लाख रु० की तकावी का रियलाइजेशन सस्पेंड हुआ । और जहां तक कैनाल ड्यूज का सवाल है, ६ लाख का इसका भी सस्पेंशन हुआ ।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि मालगुजारी पीट-पीट कर वसूल हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, अब तक अगर पीट-पीट कर वसूल हो रही है तो मैं कैसे कहूं कि गेंदासिंह जी गलत कह रहे हैं, जरूर हो रही होगी । लेकिन एक बात अचरज की है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है । वह यह कि जबकि तिल का पहाड़ बना दिया जाता है तो अगर लोगों को पीट-पीट कर वसूलयाबी हो रही थी और बात-बात पर स्टेटमेंट और लैटर्स लिखे जा सकते हैं, तो कभी कोई शिकायत इस तरह की माननीय गेंदासिंह जी ने भेजी कि फलां-फलां गांव में फलां किसान को मुर्गा बना कर, या जूतों से मार कर मालगुजारी वसूल हुई ? वे तो गांव-गांव में घूमते हैं ।

मेरे मित्र जो गोरखपुर से आये हैं, अब्दुल रऊफ लारी साहब, वह कह रहे थे कि इतनी लिस्ट है । वे कहते हैं कि इस तरह का अन्याय हुआ है लेकिन इत्तफाक से उनके मुंह से एक लफ्ज निकला कि शायद एक अमीन ने ऐसा किया । मैंने जब यह दर्याफ्त किया कि आपने कोई शिकायत क्यों नहीं लिखी तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लिखा था । मैं १५ तारीख को गोरखपुर पहुंचा, लारी साहब मौजूद नहीं थे .....

श्री यशपाल सिंह---प्वाइंट आफ आर्डर सर। सदन में कोई बात गलत कहना सदन की शान के खिलाफ है। यू०पी० गवर्नमेन्ट के पास कोई ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं है जो सही स्टेटिस्टिक्स इस बात की दे सके कि हवा चलने से, जिसका जिक्र मंत्री जी ने किया था, गेहूं का कितना नुकसान हुआ। दूसरे जो मंत्री जी ने कहा कि जमीन की बिक्री नहीं हुई, जो कि अकाल की अलामतों में से एक अलामत है, तो लोगों की क्रय शक्ति ही नहीं है जो जमीन खरीदें, और दूसरे गवर्नमेन्ट की लैन्ड रिफार्म पालिसी से कोई आदमी मुतमइन नहीं है .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय यशपाल सिंह जी आप शांत रहिये।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय यशपाल जी भी मजबूर हैं। एक बार उन्होंने भूख हड़ताल वगैरह का जिक्र करके जो पब्लिसिटी हासिल की तो उन्होंने यह समझा कि शायद मुताल्लिक और गैर-मुताल्लिक सभी बातें चलती हैं।

(श्री यशपाल सिंह के पुनः कुछ कहने का प्रयास करने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---देखिये यशपाल सिंह जी, मैं वाद-विवाद नहीं चाहता। अगर आप फिर खड़े हुये तो मुझे मजबूर होकर आप को सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय मदन पांडेय जी ने गोरखपुर की मीटिंग में एक अमीन की शिकायत की। मैंने सबको मौका दिया कि जिस किसी भी मित्र को यहां की स्केयर्सिटी प्राबलम के बारे में कुछ कहना हो, वह कहे। करीब १०० आदमी उस मीटिंग में रहे होंगे। और किसी ने कुछ नहीं कहा। माननीय मदन पांडेय जी उठे और उन्होंने आज जो यहां भुखमरी वगैरह का जिक्र किया और अपने नेता जी के आमरण अनशन वगैरह की पिक्चर आज खींची उसका एक लब्ज भी उन्होंने वहां नहीं कहा। सिर्फ एक ही बात कही कि मालगुजारी बड़े जुल्म के साथ वसूल की जा रही है। मैंने पूछा कि नाम बतलाइये तो उन्होंने एक अमीन का जिक्र किया। मैंने कलेक्टर से कहा कि आपने तहकीकात की? उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत आयी थी। फौरन उसकी तहकीकात मैंने की और उस अमीन की सर्विसेज टर्मिनेट कर दीं। तो सिर्फ यह एक शिकायत वहां मिली और .....

श्री मदन पांडेय---एक सेकेंड, अगर आप सुनें तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं .....

श्री चरणसिंह---आप तकरीर करेंगे तो मैं नहीं बैठता।

श्री मदन पांडेय---केवल ट्रांसफर किया गया है उसका.....

श्री चरणसिंह---मैं माननीय मदन पांडेय जी से कहूंगा कि उस वक्त तो केवल ट्रांसफर किया और उन्होंने यह कहा कि मैंने टर्मिनेशन की नोटिस दे दी है। यही बात है। माननीय केशव पांडेय मौजूद थे।

मैं अर्ज करूंगा कि केवल एक शिकायत, सिर्फ एक अमीन की उन्होंने की और अगर इसके अलावा और शिकायतें थीं तो या तो उन्हें उस वक्त मालूम नहीं था या फिर १५ जुलाई के बाद पैदा हुई होंगी। मालगुजारी की वसूलयाबी के बारे में सख्त आर्डर्स थे और यह हिदायत हमारी तरफ से थी कि जो लोग दे भी सकते हैं उनसे भी वसूल करने में कोर्यासिव प्रोसेस कम से कम इस्तेमाल किये जायं। पिछले साल १३६३ फसली में कुल ११,५७० कोर्यासिव प्रोसेस के केसेज थे और इस साल १३६४ फसली में खरीफ और रबी को मिलाकर कुल २८६३ केसेज कोर्यासिव प्रोसेस के हुये हैं। वारन्ट आफ अरेस्ट, वारन्ट आफ अटेचमेंट एन्ड वारन्ट आफ सेल यह तीन कोर्यासिव प्रोसेस कहलाते हैं। अभी जो मैंने आपको बतलाया उनसे यह मालूम पड़ेगा कि हमारे राज-कर्मचारियों ने मालगुजारी की वसूली में लोगों की तकलीफों का ख्याल किस कदर

[श्री चरणसिंह]

किया है। तो इससे बेहतर कोई सफाई और नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात का भी कोई सबूत नहीं हो सकता, चाहे वह माननीय गेंदासिंह जी हों, चाहे कोई हों, कि सबके साथ अन्याय हो रहा है, जूते पड़ रहे हैं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। जब कोई शिकायत ही न आवे, और मैं यह कहता हूं कि जब जूते पड़ रहे थे और मार पड़ रही थी तो उस वक्त अगर आपकी शिकायत आ जाती तो टेलीग्राफकली उसकी इंक्वायरी होती और हुई है। अगर शिकायत नहीं आयी है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी गलत कहते हैं, मगर यह जरूर कहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी के इनफार्मेन्ट्स गलत कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी मेरे सहयोगी ने आपके जरिये सदन को बतलाया कि २ हजार के करीब दूकानें चल रही हैं, माननीय गौरीशंकर राय जी अपने को न रोक सके, वह हिसाब उन्होंने फैला दिया सब पर। वह डेढ़ छटांक या एक तोला कितना बैठा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्या सब लोगों को गल्ले की जरूरत है? जिनको जरूरत है, क्या उनको भी जरूरी है कि उन्हीं शाप्स से लें और वे मार्केट से नहीं ले सकते हैं यह तो हम यह फर्ज कर लेते हैं कि हर आदमी गल्लाविहीन है और इतना लाचार हो चुका है कि सिवा फेयर प्राइस शाप और फ्लड रिलीफ शाप के कहीं नहीं जा सकता। इस हिसाब के फैलाने से क्या होगा? अगर यह हिसाब फैलाना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि साढ़े ६ करोड़ की आबादी इस प्रदेश की है और ९० करोड़ की हमारी आमदनी है और सेंटर से जो मिल जाता है उसे मिला कर १ अरब ८ करोड़ का हमारा बजट होता है। वैसे सूबे की आमदनी ९० करोड़ ही है, उसको अगर हर एक आदमी में बांटा जाय तो १२,१३ रुपये फी कस आता है, तो उसमें हर आदमी को गल्ला, फीस की माफी, टेस्ट वर्क्स, फ्री मेडिसिन कहां से दी जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को माननीय त्रिलोकीसिंह व माननीय गेंदासिंह जी जानते हैं कि अपने सूबे की माली हालत क्या है। फिर वे या उनके साथी इस प्रकार का हिसाब लगा कर मुझ को बतलाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बात उनके मन में काम कर रही है? क्या विरोधी दल वही बात कहता है कि अगर वह कहीं यहां ट्रेजरी बेंचेज पर आ जाय तो वह अपने उन वायदों को, उस क्रिटिसिज्म को जो यहां करता है, उस पर अमल कर सके? अगर विरोधी दल ऐसा समझ कर यह सब कह रहा है तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह समझूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह और गेंदासिंह और यादवेन्द्रदत्त दुबे यह समझते हैं कि जब वे यहां बैठ जायेंगे तो वे इस तरह का इन्तजाम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मैं तो एक ही नतीजा निकालता हूं कि मेरे माननीय मित्रों ने यह उम्मीद छोड़ दी है कि कभी उनके ऊपर इस सूबे की जिम्मेदारी आयेगी। इसीलिये वे बेलग्राम एग्जेरेटेड बातें कहते हैं। यह सब चीजें हमको समझाने के लिये नहीं हैं, बल्कि ये चीजें और जगह के लिये हैं।

श्री झारखंडेराय—पूर्व में जाकर तो आपने बहुत जली कटी सुनाई।

श्री चरणसिंह—मैंने सही बातें कहीं, जली कटी नहीं। अखबारों में कुछ भी आप निकालते रहिये लेकिन जनता सच्ची बातें जानती है और इलेक्शन ने उसे साबित भी कर दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो फिर चलिये।

श्री चरणसिंह—इलेक्शन हो चुका और फिर होगा।

एक सदस्य—वह तो आपको मालूम भी हो गया होगा।

श्री चरणसिंह—मुझे मालूम है और नतीजा भी मुझे मालूम है। मुझे यह भी मालूम है कि १४४ आदमियों की ५० पार्टियां हैं। ४६ आदमियों की एक पार्टी और बाकी एक-एक, दो-दो

की पचास पार्टियां। इससे यह नतीजा निकलता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी कुछ गलतियों से लोग नाराज हैं। इसका यह नतीजा नहीं निकलता कि जनाब के गले में माला डाल कर यहां बैठाना चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह—गल्ती तो आपने मानी।

श्री चरणसिंह—मैंने कभी नहीं कहा कि गल्ती नहीं होगी। जो काम करता है वही गल्ती करेगा, जो घर बैठ जायगा उससे गलतियां क्या होंगी।

श्री गेंदासिंह—मिजाज इसीलिये बिगड़ा हुआ है।

श्री चरण सिंह—जरा ठहरिये और सब्र से सुनिये।

मेरे एक माननीय मित्र ने शरह का जिक्र किया कि मेरठ में १६ रुपये ६ आने और वाराणसी में १६ रुपये गेहूं का भाव सरकार ने बतलाया। मुझे नहीं मालूम गेंदासिंह जी ने इसका क्रिटिसिज्म करते हुये क्या कहा, लेकिन यह फैक्ट है कि जो प्राइसेज की लेटेस्ट पोजीसन थी वह यह कि १६ रुपये १२ आने मेरठ में, वाराणसी में १६ रुपये और गोरखपुर में साढ़े १८ रुपये मन पिछले साल भी और इस साल भी साढ़े १८ रुपये प्राइस रही। जुलाई के पहले हफ्ते में १६ रुपया ४ आना और आखिरी हफ्ते में १६ रु०१२ आना और ५६ में जुलाई में एवरेज व्हीट प्राइस १५ रुपये १३ आना ७ पाई थी और अब १६ रुपये ७ पैसे है। इससे यह मालूम होता है कि न वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, और कम से कम वाराणसी में फैमिन नहीं है चाहे कोई और बात हो। कम से कम भुखमरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मित्र होने के नाते एक मशविरा दूंगा कि भुखमरी के बजाय और कोई लफ्ज भिड़ाने की कोशिश करें। भुखमरी के माने होते हैं, 'डेथ बाई स्टार्वेशन', यह गलत है। गल्ले की कमी या भूख या और कोई भूख वह नाम रख दें, लेकिन ये प्राइसेज यह साबित करती हैं कि भुखमरी नहीं है।

हां, यह सवाल हो सकता है कि साहब, १६ रुपया मन ही सही, १४ रुपया मन सही, जब पैसा नहीं होगा तो लोग कहां से खरीदेंगे? यह बात बजा है, लेकिन पैसे के मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह भी पिक्चर ऐसी डार्क नहीं है। मालूम होता है कि मेरे माननीय मित्र काले कमरे में काले कपड़े पहिनकर चले गये और काले कलम से काली रोशनाई उठा ली और सिवाय कालिख के उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उनके जिले के फ़ैक्टरियों के आंकड़े कि ५५–५६ में कितना गन्ना पैदा हुआ था और ५६–५७ में कितना गन्ना पैदा हुआ, मौजूद हैं। वह लेखपाल और उस नालायक अमीन और नायब तहसीलदार के नहीं हैं। फैक्टरियों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। तो ५५–५६ में जितना गन्ना पैदा हुआ था देवरिया में, उससे कई परसेंट ज्यादा वहां पैदा हुआ, गोरखपुर में, बस्ती में, गोंडा और बहराइच में जहां-जहां ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में फैक्टरीज हैं, सब में यही नहीं कि ज्यादा पैदा हुआ बल्कि फैक्टरियां ज्यादा मुद्दत तक चली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से, एक मिनट लगेगा टेबिल निकालने में, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। क्योंकि वह बड़ा इंस्ट्रक्टिव है और साबित करता है कि परचेजिंग पावर है। ऐसी नहीं है, जितनी होनी चाहिये, जितना हमारा सपना है, उतनी नहीं है, जितनी के लिये हम वर्क कर रहे हैं, उतनी नहीं है। ५५–५६ में बढ़ी है।

श्री गेंदासिंह—सरकार, एकरेज भी कुछ बढ़ाया?

श्री चरणसिंह—एकरेज और परचेजिंग की कैपेसिटी का क्या वास्ता? मेरे पास बस्ती की हर फैक्ट्री की 'डेट आफ स्टार्ट' और 'डेट आफ क्लोजर' मौजूद हैं। खलीलाबाद की मिसाल के तौर पर, मैं सुनाता हूं कि ३० नवम्बर, १९५५ को शुरू हुई थी और २५ मार्च, १९५६ को बन्द हुई। अबकी बार ३१ अक्तूबर को शुरू हुई एक महीने पहले और खत्म होती है १० अप्रैल को यानी १६ दिन बाद। तो महीने भर पहले क्रशिंग स्टार्ट किया और

[श्री चरणसिंह]

१६ दिन बाद तक चलता रहा है। प्रायः हर एक फैक्ट्री की यही फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर विश्वास न हो तो मैं उनको दिखा सकता हूं और अगर यह वादा करें कि इससे फायदा उठायेंगे तो नकल भी दे सकता हूं। उनके जिले की फिगर्स मेरे पास अलग हैं और २१ सफे का कलेक्टर ने लेटर लिखा था। मैंने कहा कि देवरिया ज्यादा तंग करेगा, इसलिये ज्यादा डिटेल रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब रहा यह ९६ लाख मैन डेज वर्क या ८७ लाख मैन डेज वर्क। इसके बारे में यह है कि इन तीन महीनों से फ्लड डिवीजन और पी० डब्ल्यू० डी० में २४ लाख मेन डेज का काम हो चुका है। तफसील मेरे पास मौजूद है जो साहब देखना चाहे दफ्तर में तशरीफ ले आयें। यदि कोई नेता देखना चाहेंगे तो हाजिर हो जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टैस्ट वर्क की जरूरत पड़ सकती है। देवरिया में जरूरत पड़ी हुई है, हमेशा से पड़ी हुई है और बारहों महीने से पड़ी हुई है। आजमगढ़ में भी आठ टेस्ट वर्क्स जारी हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोट किया है कि माननीय गेंदासिंह जी कह रहे थे कि टैस्ट वर्क्स में मजदूरी चार आने दी जाती है। उनके मन में ६ आने और आठ आने भी रही होगी। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कहा। शायद त्रिलोकीसिंह जी ने चार आने कहने पर फुलस्टाप कर दिया था। माननीय दुबे जी ने पांच आने बताई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुबे जी से शिकायत है। गेंदासिंह जी से तो मुझे इसलिये शिकायत नहीं है, क्योंकि वह पुराने आदमी हैं और उनको नई बात सीखने में मुश्किल हो सकती है लेकिन माननीय दुबे जी का तो 'जस्ट स्टार्ट' है, उनको ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये और चाहिये कि वह "फैक्ट्स ऐंड फीगर्स" के साथ तैयार होकर आयें। जब जनसंघ के नेता कहते हैं कि टैस्ट वर्क की मजदूरी पांच आने है तो फिर मैं कैसे यकीन करूं कि जो बात वह जौनपुर के बारे में कहेंगे वह सही होगी या सारी स्टेट के बाबत बतलायेंगे वह सही होगी। जबकि टैस्ट वर्क और वैजेज के बारे में मालूमात नहीं है और क्रिटिसिज्म करने के लिये खड़े हो जाते हैं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वह पूरे 'फैक्ट्स ऐंड फीगर्स' के साथ आयें तो मुझे और मेरे साथियो को भी आसानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, टैस्ट वर्क होने चाहिये तो उसके लिये आर्डर है लेकिन अब बरसात हो गई है इसलिये उनसे कोई फायदा नहीं है। अधिकतर इनमें तो मिट्टी इधर से उठाकर उधर डाल दी जाती है। पुरुष मिट्टी खोदते हैं और स्त्री, बच्चे उठाकर उधर डाल देते हैं। इसमें जो पैसा खर्च होता है और वह किसी काम नहीं आता है इसलिये बिल्कुल मजबूर न हो जायं तब तक टैस्ट वर्क्स शुरू नहीं करने चाहिये। इनमें एक खराबी यह भी है कि एक आदमी को अगर दूसरी जगह डेढ़ रुपया भी मिलता हो तब भी वह वहां न जाकर आठ आने में ही फंस जाता है। मजदूरी कम तो है, लेकिन इसमें उसूल यह रखा गया है कि नजदीक से नजदीक बाजार में पुरुष स्त्री और बच्चे के लिये सस्ते से सस्ता गल्ला १८,१४ और १२ छटांक जितने पैसे में आ सकता हो उतनी मजदूरी दी जाय ताकि कोई आदमी भूखा न मरने पाये। मैं समझता हूं कि आठ आने में २२ छटांक आ सकता है, इसी तरह से १८ और १६ छटांक भी आ सकता है। इसलिये इस हिसाब से यह कम नहीं है। पूरी वेजेज अगर देनी हो तो काम भी "पब्लिक बेनीफिट" का होना चाहिये। जब "पब्लिक बैनीफिट" के काम के लिये ही पैसा नहीं है, तब कहां से पैसा आये? इसलिये लामुहाला वेजेज कम रहेंगी, वह पूरी नहीं हो सकती हैं। कौन नहीं जानता है कि यह पूरी नहीं हैं, बल्कि कम हैं, लेकिन क्या किया जाय। इसलिये इसको समझाने की क्या कोशिश की जाय। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने बड़ी "इंजर्ड जस्टिस" के साथ कहा कि बच्चों से सड़कें खुदवाई जा रही हैं। १४ वर्ष से नीचे का बच्चा नहीं है और मैं समझता हूं कांस्टीट्यूसन में इसकी कहीं मनाही नहीं है और मैं जानता हूं यह भी कि उनसे खुदवाया नहीं जाता, बल्कि सर पर टोकरी रखकर मिट्टी फेंक दें, इतना सा काम लिया जाता है और वह भी ११० क्यूबिक फीट से ज्यादा नहीं

होता । यह सब सिर्फ इसलिये कि वे कमावें और गल्ला खरीद लें बजाय इसके कि हम उनको चैरिटी दें और इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगे।

इसके साथ ही १ लाख ९२ हजार रुपया गरीब आदमियों को मुफ्त बांटने के लिय दिया। हमारे यहां से आर्डर्स निकल चुके हैं कि जो लोग इंडिजेंट डेस्टीट्यूट्स हैं उनको फेहरिस्त तैयार कर लो। माननीय गंगाप्रसाद सिंह जी और रामलछण राय जी हों, तो उनके सामने बलिया के एस० डी० ओ० ने कहा था कि उनकी फेहरिस्त तैयार है और आजमगढ़ के कलेक्टर ने भी कहा था कि उनकी फेहरिस्त तैयार है। हमने आर्डर्स दुहरा दिये हैं कि कम से कम फिलहाल १ महीने के लिये इन लोगों में जो इंडिजेंट हैं, डिसएबिल्ड हैं, नाकाबिल ह, बहुत बूढ़े हैं, असहाय हैं, या किसी और तरीके से मजबूर हैं, खुद नहीं कमा सकते और टेस्ट वर्क्स पर जा नहीं सकते, उनको मुफ्त राशन दिया जाय और राशन कार्ड्स जारी कर दिये जायं, उनके नाम कम से कम फार दि प्रेजेंट एक महीने के लिये और आगे जरूरत हो तो ज्यादा भी बढ़ाया जाय। अभी कुछ दिन हुये हमने ये आर्डर्स जारी कर दिये।

इसके अलावा तकावी दी ही जाती है। तकावी पर तीन महीने के लिये १५ लाख ९ हजार रुपये तकसीम हो चुके हैं और बाकी जो है वह भी वक्त आने पर दी जायगी। जो फसल जहां बो दी गई थी मसलन बस्ती के कुछ हिस्से में खलीलाबाद से गोरखपुर तक का हिस्सा मैंने देखा था उसमें फसल बोई नहीं थी, रसड़ा में फसल बोई नहीं गयी थी और आजमगढ़ के बहुत बड़े हिस्से में फसल बोई नहीं गयी थी लेकिन इन सब हिस्सों के कुछ रकबों में कुछ फसल बोई गई, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में कुछ बारिश हो चुकी थी, और परमात्मा करे वह फसलें अच्छी फलें, अच्छा अन्न पैदा करें। लेकिन अब तक तो सूखे का डर था और इसी का डर मुझको सबसे ज्यादा था। अब फ्लड की बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन फ्लड इतना नुक्सानदेह नहीं है जितना सूखा होता है।

अब मैं, माननीय अली जहीर साहब की जो शिकायत है कि उन्होंने कहा कि यह चीज पालिटिक्स से दूर रहनी चाहिए। उनकी तो यह दरख्वास्त थी, लेकिन वह दरख्वास्त भी उस दरबार से नामंजूर हो गई। कैसे हो गई नामंजूर वह बात, उसकी बाबत मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह कही जा रही है कि मैं कहता हूं कि लोगों तुम अंडमान चले जाओ। अगर पायनियर की रिपोर्ट्स से ऐसा जाहिर हो होता था कि मैं लोगों को अंडमान भेजने में देश का भला समझता हूं, तो कम से कम पायनियर में जो कंट्रेडिक्शन मैंने दिया था, उसके बाद तो यह न रिपोर्ट किया गया होता। उसके बावजूद रिपोर्ट किया गया तो मैं कहता हूं कि "इट इज पालिटिक्स ऐंड नथिंग बट पालिटिक्स"। मैंने कभी नहीं कहा कि लोग अंडमान चले जायं।

श्री झारखंडेराय---क्या आपने कभी नहीं कहा कि आपको लाशें कहीं बिछी हुई नहीं दिखाई पड़ीं?

श्री चरणसिंह---मैंने नहीं कहा कि लाशें बिछी हुई नहीं दिखाई दीं। मैं उसका जवाब देने वाला हूं। वह जो बात पालिटिक्स वाली है उसके लिये मैंने ८, ९ प्वाइन्ट्स लिखे हैं। उनका जवाब दूंगा।

श्रीमन्, अब मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि हाउस का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय और पौने ६ तक यह हाउस चले।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, यह हाउस पौने ६ तक चलेगा।

श्री चरणसिंह---तो उस समय मैंने गोरखपुर में यह कहा था कि टैस्ट वर्क्स हो जायं, ज्यादा हो जायं और हर इलाके में हो जायं, हर पंचायती अदालत में एक हो जाय। वह सोल्यूशन नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। बजाय इसके कि अपने घर के दरवाजे पर आदमी

[श्री चरण सिंह]

८ आने कमाये वह १ रुपये ८ आने जाकर हैदराबाद और दूसरी जगह कमावें तो वह ज्यादा बेहतर है। यह बड़ा चौड़ा देश है, कहीं भी मजदूरी के लिये आदमी को चला जाना चाहिये बजाय आठ आने अपने घर पर कमाने के।

श्री गेंदासिंह--गोरखपुर से भी पूछा होता।

श्री चरणसिंह--मैंने यह कभी नहीं कहा कि गोरखपुर से लोग बाहर नहीं गये हैं। मैंने यह कहा कि टेस्ट वर्क के बजाय जहां भी मजदूरी मिल सकती है और जो लोग बाहर जा सकते हैं उनको बाहर जाकर काम करना चाहिये और मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। छोटी-मोटी बातों में वे सरकार से मुखापेक्षी हो जायं, इसके बजाय उनको चाहिये कि वे अपने पैरों पर खड़े हों, और अपनी तरफ देखें। मुझे उनसे यही कहना है। बजाय इसके कि निश्चिन्त बैठें कि हर जगह हर काम के लिये सरकार है, हमको स्वावलम्बी होना चाहिये। यह ठीक है और इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज के लिये मौजूद है और किसी आदमी को वह भूखों नहीं मरने देगी, लेकिन मैं लोगों से यह कहूंगा कि वह अपने में स्वावलम्बन का भाव पैदा करें। यह गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। इस भावना से मैंने वह बात कही थी। मैंने इसलिये यह कहा था कि घर से निकल कर कहीं भी रोजी मिल जाय उसे ले लेना चाहिये। उसके बाद मैं जिक्र करूं गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक स्कीम का। उनका एक लेटर है २१ सितम्बर १९५५ का, पांच छः लाइन का है जिसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"FROM.

SRI S. BANERJI, I. A. S.,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

SIR,

I AM directed to say that under the Five-Year Plan Development and Colonization Scheme of the Andamans, about 4,000 families (20,000 persons) are to be settled in the Andamans. So far about 1,257 families from the States of West Bengal, Madras, Travancore-Kochin and Bombay (Gujrat) have been settled in the Andaman Islands. The Government of India would be glad to know whether the Government of Uttar Pradesh are interested in sending agriculturist families for permanent settlement in the Andaman Islands. Copy of a brief note on the scheme as well as a leaflet giving general information about these details are enclosed for information."

मेरे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बगैर मुझसे पूछे इसको कलेक्टरों के पास भेज दिया। मुझ से पूछने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कलेक्टरों से पूछा कि क्या आप के यहां से कोई लोग जाना चाहते हैं। उनके आये हुये लेटर्स मौजूद हैं। कलेक्टर गोरखपुर डिवीजन ने कहा कि हमारे यहां तो लखीमपुर खीरी में जो एक स्कीम बनी थी उसके लिये भी हमने कोशिश की थी और उसमें हमको कोई कामयाबी नहीं हुई, अंडमान कौन जाना चाहेगा। वहां जाने के लिये तो कोई तैयार नहीं है। मैंने इसीलिये कहा कि अंडमान हो या और कोई जगह हो, वह है तो हमारे देश का हिस्सा ही। अपनी हालत सुधारने के लिये जहां भी जरूरत हो हमको जाना चाहिये। हममें इंटर प्राईजिंग स्प्रिट आनी चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि अंग्रेज कौम अपने छोटे से टापू से बाहर निकली और यहां ७,००० मील दूर आकर दो सौ बर्ष हम पर राज्य किया और आज उनका साम्राज्य दुनिया भर में फैला है।

मैंने यह भी कहा था कि उसी दिन से हमारा अधःपतन शुरू हुआ जिस दिन से हमारी सीमायें इधर अटक और उधर कटक तक निश्चित की गईं। मैं लोगों के अन्दर आत्म-विश्वास की एक भावना भरना चाहता हूं। इसीलिये मैंने यह बात कही थी। इस बात को जानते हुये कि २,००० या १,००० फैमिली चले जाने से हमारी समस्या का हल होने वाला नहीं है, उसका तो इलाज ही और है। इस के अलावा जब कलेक्टर के पास से वह जवाब आया तो मैंने खुद गोरखपुर के हर एम० एल० ए० को एक पर्सनल खत लिखा। उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। उसमें लिखा था कि इस तरह की एक स्कीम अंडमन की है। मैं आप से डिस्कस करना चाहता हूं। आप, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, उनको इसके लिये तैयार करायें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास एक मित्र भी नहीं आया। कांग्रेस वाले भले ही यह समझते होंगे कि हमारा मिनिस्टर है, वह सम्हाल लेगा लेकिन माननीय गेंदासिंह जी भी तशरीफ नहीं लाये।

माननीय गेंदासिंह जी ने तकरीर की और कहा कि हमने कौन सा पाप किया जिससे अंडमन जायें। मैं इसको पालिटिक्स कहता हूं। उन्होंने कहा कि ऐ देवरिया और गोरखपुर वालो तुमको यह सरकार मुजरिम समझती है और इसी से कालापानी तुमको भेज रही है। मैं इसको पालिटिक्स समझता हूं।

दूसरी बात यह कही गयी कि मिनिस्टर ने यह कहा कि बैगरी मत करो। मैंने यह कहा था कि हर चीज के लिये गवर्नमेंट की तरफ न देखो। जितनी भी हमदर्दी आजमगढ़ के लिये कोई महसूस करता होगा उससे कम हमदर्दी मेरे दिल में नहीं है। अगर ज्यादा नहीं तो कम हरगिज नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा था कि बैगरी खत्म हो गयी। मैं तो यह चाहता हूं कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। जिस तरह से चीन में दोनों पार्टीज के बीच में वहां की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो गयी है, उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि वे बहादुर बनें और सम्पन्न हों। सबको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब समय ठीक हो जायगा तो यह मुसीबत दूर हो जायगी। इस वास्ते मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने सड़कों पर लाश से भरी हुई गाड़ी को नहीं देखा। जो मदन पांडेय जी ने कहा वही मैंने कहा था। जितनी मीटिंग वहां पर हुई बस्ती से लेकर गोरखपुर तक करीब ४ मीटिंग में एड्रेस कर चुका था। खलीलाबाद के अलावा ३ मीटिंग और हुईं। उन हर एक में मैंने कहा था कि जिस किसी को कुछ कहना हो वह आये। तो सिवाय यह कहने के कि साहब यहां पर कुछ दुकानें और खोल दी जायं और कुछ नहीं कहा। यह नहीं कहा कि मिनिस्टर साहब, हम यहां पर भूखों मरे जा रहे हैं या मरणासन्न हैं। एक आदमी ने भी इस तरह की बात मुझसे नहीं कही। तो मैंने यह कहा था कि अखबारों में पढ़ने से तो यह मालूम होता था कि प्रलय हो जायगा और यहां पर अकाल पड़ चुका है, परन्तु भुखमरी के बिना न कोई स्टेटमेंट पूरा होता है और न कोई आर्टिकिल ही लिखा जाता है।

श्री झारखंडेराय--आप के आंकड़ों से मालूम होता है कि पिछले २ महीने में हालत अच्छी हुई है?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ के लिये तो ऐसा ही है। इन २ महीनों में वैसी ही हालत रही है। अगर हम १२ बजे किसी घड़ी में चाभी भर दें तो उस घड़ी की रफ्तार २ बजे भी वही रहेगी और ११ बजकर ५९ मिनट तक भी वही रफ्तार रहेगी। शायद यह मेरे सहयोगी ने कहा था कि अभी २,३ महीने का गल्ला है। जो परेशानी पहले वहां पर पैदा हुई थी उससे अब ज्यादा परेशानी नहीं है। जैसा कि हमेशा का तजुर्बा है हमारे उन जिलों में अगस्त और सितम्बर में ज्यादा परेशानी होती है। अब उतनी परेशानी नहीं है जितनी कि मई और जून में थी। वह परेशानी अगस्त और जून में हो सकती है, इसलिये हमने डैस्टीच्यूट्स की हेल्प के लिये आर्डर जारी कर दिये हैं और अधिक अनाज का स्टोर भी कर दिया है।

[श्री चरण सिंह]

एक बात कही एक भाई ने कि साहब ९५ फीसदी लोगों के पास गल्ला नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि महीने दो महीने से नहीं है या १०, ५ दिन से नहीं है या साल भर से नहीं है? उन्होंने कहा "हां"। तो मैंने कहा कि यह है अतिशयोक्ति। ९५ परसेन्ट के पास अगर साल भर से या १५ दिन से भी गल्ला नहीं होता तो बहुत से लोगों की मौत हो जातीं। अब भी मैं यही कहता हूं। गल्ला कम है तो ८ छटांक वाले को ७ छटांक और ७ छटांक वाले को ६ छटांक खाकर गुजर करनी चाहिये।

गैस्ट्रोएनटाइटिस और हैजे की बात कही गयी।

Death by starvation has moved one step further. It has reached tillers and other people through cholera and gastroenteritis.

एक कदम उन्होंने उधर को हटा दिया। जितनी बातें 'डैथ बाई स्टार्वेशन' की सामने लाई गईं, एक भी साबित नहीं हुई। इसलिये अब बीमारी का सहारा लिया गया। कानपुर जिले में ३८७ आदमी गैस्ट्रोएनटाइटिस और हैजे से मरे, आजमगढ़ में मरे हैं ३८४, लखनऊ शहर में १३६, परतापगढ़ जिले में ४१२, रायबरेली में ३६७ और उन्नाव में २२९ आदमी मरे हैं। अब माननीय खजानसिंह खड़े होते और वहां भुखमरी की तकरीर सुनाते तो मैं सुनता, लेकिन रायबरेली, उन्नाव, परतापगढ़, कानपुर और लखनऊ में भुखमरी की खबर नहीं है, तो फिर यहां किस तरह से इन बीमारियों से इतनी मौतें हुई हैं? बांदा में ५४७ हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ से बाज-बाज जिलों में ज्यादा मरे हैं। तो मेरा निवेदन माननीय गेंदासिंह जी से है कि यदि अन्न की कमी है तो उसके लिये लड़ो और कोशिश करो। वह ५ साल से एम० एल० ए० हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यह मामला चौथा है जिसके लिये मैं कहता हूं पालिटिक्स है और कुछ नहीं है।

पांचवीं बात मदन पांडेय जी की रपीच है। उन्होंने यहां भुखमरी के बारे में और किसी हिस्टारिक अनशन के बारे में फ़रमाया। मुझे यह भी मालूम है कि बड़ा लम्बा पूरा सफ़ा अखबारों में निकला। उसमें यह था कि अगर डेढ़ करोड़ रुपया रबी के बीज के लिये नहीं दिया जायगा तो चप्पा भर जमीन नहीं बोई जायगी। हमने डेढ़ करोड़ तो क्या, वही १०, १५ लाख जो हर साल देते रहे हैं, वही रुपया दिया और नतीजा सुन कर आप हैरान होंगे कि जहां वह कहते थे कि चप्पा भर जमीन नहीं बोई जायगी वहां चप्पा भर जमीन बगैर बोये नहीं रही। ऐसे हैं हिस्टारीकल फास्ट्स और हिस्टारीकल स्टेटमेंट्स। जनाब ने फरमाया कि वहां पर बहुत ही ज्यादा भुखमरी है, लेकिन जब वहां गया तो एक अमीन की ही शिकायत की। जब ये यहां बातें बढ़ा कर कहते हैं तो मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पालिटिक्स है।

एक बात माननीय गेंदासिंह जी या माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कही कि अली जहीर या चरण सिंह या यह गवर्नमेंट निकम्मी है और इसमें मौलिकता और कल्पना शक्ति का अभाव है या काबिलियत भी नहीं है। यह मैं मान सकता हूं, लेकिन यह कहा जाय कि यह मसलों का हल करना ही नहीं चाहते, कहना गलत है। हम चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ हो, लोग मर जायं, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र से यह कहूंगा कि वह लेनिन का वह स्टेटमेंट याद कर लें कि भगवान करे हमारी अक्ल ऐसी ही बन जाय, लोग मर जायं, तो आप को आने का मौका मिल जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब 'एक्सटेंशन आफ लास' की बड़ी मजेदार बात और रह गयी। उसके लिये ५ मिनट और दे दिये जायं तो अच्छा हो। तो उन्होंने 'लास' बताया कि १२ आने से १६ आने तक है। लेकिन यह बात जून में नहीं थी। जैसे-जैसे असेम्बली का वक्त आता गया 'लास' की तादाद बढ़ती गयी। उपाध्यक्ष महोदय, नुक्सान पहले ८ आने था, फिर बढ़ कर १० आने हो गया और धीरे-धीरे अब बढ़ कर १४ और १६ आना तक हो गया है। और यह इस उम्मीद से कहा जाता है कि अगर ८ आना लास कहेंगे तो छूट ६ आना ही मिलेगी,

लेकिन पहले उनको मालूम था कि ८ आना कहेंगे तो ८ आना ही मिल जायगी। छूट जो दी जाती है वह इस प्रकार से दी जाती है कि ८ आना से १० तक ६ आना, १० आना से १२ आना तक १० आना और बारह आना से ऊपर १६ आना। (माननीय गेंदासिंह जी के कुछ कहने पर) उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है। २ जून, सन् १९५७ की जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देवरिया की एक चिट्ठी है जिसको मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :— वे जिलाधीश देवरिया को लिखते हैं—"सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार रबी की फसल का अनुमान लगाने का अवसर आपको पुनः मिला है। हम आपके इस कार्य में सहायता करना चाहते हैं। सरकारी अनुमान और हम लोगों के अनुमान में काफी अन्तर है इसलिये पार्टी ने यह निश्चय किया है कि रैंडम सैंपलिंग के आधार पर रबी के फसल का सर्वेक्षण किया जाय। कृपा कर के आप उन गांवों की सूची हमें भेज दें जिन गांवों में आप के अधिकारियों द्वारा रैंडम सैंपलिंग का कार्य हो रहा है और साथ ही तहसील के अधिकारियों को निर्देश भी कर दें कि वे सर्वेक्षण कार्य में हमें हर प्रकार की सुविधा प्रदान करें और हमारे साथ रह कर स्वयं निरीक्षण भी करें।

हमारा अनुमान है कि किसी भी गांव में आठ आने से कम फसल का नुक्सान नहीं हुआ है। यदि आप के पास ऐसे गांवों की सूची हो जिनमें आठ आने से कम नुक्सान हुआ है तो उनकी सूची हमें भेज दें। इसके लिये हम विशेष आभारी होंगे। ६ जून तक आप हमें पत्रोत्तर देने की कृपा करें। हमारा कार्य ७ जून से प्रारंभ हो जायगा।

हस्ताक्षर,
श्री आनन्देश्वर प्रसाद सिंह,
मंत्री,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया।"

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो कहा गया कि ८ आने, १० आने का ही नुक्सान हुआ है, चूंकि उनको मालूम था कि ८ आने कहने से ८ आने की छूट मिल जायगी लेकिन जब मालूम हुआ कि कायदे के अनुसार ८ आने से १० आने नुक्सान में भी ६ आने की ही छूट मिलती है तो अब कहा जाने लगा कि १२ आने, १४ आने और १६ आने का नुक्सान हुआ है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह पोलिटिक्स है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने अपने मित्रों को सजेशन दे रखा है कि रेवेन्यू मिनिस्टर को कुर्सी से नीचे निकाल दें। मैं तैयार हूं, मुझे इसका कोई मोह नहीं है, बिलकुल मोह नहीं है। जिस वक्त भी मुझे पता लग जायगा कि मैं निकम्मा हो गया हूं और इनका मेरे अन्दर विश्वास नहीं है तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। इसमें भी मेजारिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप एक तिहाई, एक चौथाई को ही जिस दिन तैयार कर देंगे, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, आप तैयार तो करें। मेरी समझ में नहीं आया कि श्री गेंदासिंह जी ने एक बात कैसे कह दी कि साहब गवर्नमेंट बिलकुल निकम्मी है। ठीक है, हम निकम्मे हो सकते हैं, हम लोगों को मारना चाहते हैं, हमें उनके लिये कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह, माननीय गेंदासिंह, माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे तथा माननीय झारखंडे राय तथा उनके सहयोगियों ने कोई अपील फंड के लिये निकाली है? बम्बई और कलकत्ते में जाकर रुपया इकट्ठा किया है या लखनऊ में ही घर-घर झोली लेकर गये हैं? गवर्नमेंट तो उनकी है ही नहीं, वह तो कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन जब जनता से हमारी बनिस्बत उनको ज्यादा मुहब्बत है तो उन्होंने कोई अपील फंड जमा करने के लिये निकाली है, या इसके लिये कहीं बाहर गये हैं या अखबारों में ही इसके लिये कोई बयान निकाला है? मैंने तो कहीं भी उनके काम करने की चर्चा नहीं सुनी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं कहता हूं कि जितना जोर सत्याग्रह करने में और गवर्नमेंट को गालियां देने में लगाया गया है अगर उससे आधा भी जोर लगा कर लोगों को पैदावार बढ़ाने के लिये कहा जाता तो उनकी ज्यादा सेवा होती। लेकिन यह उनकी सेवा नहीं है, बल्कि यह तो उनकी डिससर्विस है।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय खत्म हो गया।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट में ही खत्म करता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सी बातें कही गयी हैं, मगर उसका इलाज क्या बतलाया ? जितना नुक्सान हुआ है, उतना रेमिशन तो हम देंगे ही। अगर मेरे मित्र कहें कि मत दो तो भी हम देंगे क्योंकि ऐसा हमारा फर्ज है, वह तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन, आप ने क्या सोल्यूशन बतलाया ? मेरे मित्र माफ करेंगे, मालगुजारी देवरिया जिले में १५ रुपया प्रति फेमिली पड़ती है जब कि आमदनी ७५० रु० प्रति फैमिली पड़ती है रूरल एरियाज में। एक फ़ेमिली में ५ मेम्बर होते हैं। फी आदमी पर १५० रु० पड़ता है इस तरह से ७५० हुआ। इसमें लैंडलैस भी शामिल हैं। इस तरह से ६०० रुपया उसकी आमदनी होती है। इस तरह से जहां पर ६०० रुपया आमदनी है, वहां पर ३० रुपया सालाना मालगुजारी पड़ती है। यह कहा जाता है कि मालगुजारी माफ कर दो। अगर हम सारी मालगुजारी माफ भी कर दें तो भी उनकी कोई पैदावार नहीं बढ़ जायगी। वे मालदार नहीं हो जायेंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपये का नुक्सान हो जायगा। बूंद-बूंद करके हमारा घड़ा भरता है।

यहां पर कमीशन की बात भी कही गयी कि आप वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कमीशन में रख दीजिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह पोलिटिक्स है। मैं कहता हूं कि इसमें वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात लाने की क्या जरूरत थी। आपको समस्या भी मालूम है और उसका समाधान भी मालूम है। यह भी कहा गया कि वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बहुत पैट्रियाटिक रहा है। यह कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी कि कौन पैट्रियाटिक है और कौन नहीं है या यह कि वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का कमीशन बैठे। कौन ऐसा नहीं है जिसको हम उठाना नहीं चाहते हैं, खुदा के लिये हजारों बात कहो, लेकिन यह बात न कहो कि पश्चिमी जिले वालों का कमीशन बिठा दो, पच्छिमी जिले वालों ने कुर्बानी की है या पूर्वी जिलों के मजदूर ही कुर्बानी करना जानते हैं, वह सारे हिन्दुस्तान के मजदूर कुर्बानी करना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई कटु शब्द निकल गया हो तो माननीय मित्र मुझे क्षमा करें। साथ ही मैं, आखिर में सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन होगा गवर्नमेंट कोई भी कसर अपने लोगों की खिदमत करने में उठा नहीं रखेगी।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
२९ जुलाई, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

तालिका

Statement showing additional. Cane Price Position for 1953-54 as it stood on January 15, 1957.

Serial number	Name of Mill	Amount of additional Cane Price for the years 1953-54			
		Total dues due against Mill	Total amount paid by the Mill	Balance still lying unrealized with the Mills	
		Rs. a. p.	Rs. a. p.		
1	Simbhaoli ..	.. 5,53,161 4 3	5,53,161 4 3	Nil.	
2	Modinagar	.. 2,32,431 2 6	2,32,430 12 3	Rs.0-6-3.	
3	Jaswant ..	.. 1,83,500 2 0	1,82,500 2 0	Nil.	
4	Daurala ..	.. 1,94,917 11 9	2,04,285 4 3	Rs.9,367-8-6 (paid in excess during season @ annas 4 per md.)	
5	Sakotitanda	.. 97,275 7 3	1,04,720 15 6	Ditto. Rs.67,445-8-3 has been adjusted from the cane price for 1954-55.	
6	Bijnor ..	.. 1,63,585 15 3	1,63,585 15 3	Nil.	
7	Seohara ..	.. 1,61,584 7 0	1,61,584 7 0	Nil.	
8	Amroha ..	.. 2,40,931 2 9	2,40,931 2 9	Nil	
9	Bilari ..	.. 1,29,266 7 3	1,16,951 7 0	Rs.12,315-0-3 (failed to pay as the growerwise list not complete due to difference in rates).	
10	Sardarnagar	.. 19,931 1 9	19,931 1 9	Nil.	
11	Khatauli ..	.. 2,52,569 3 6	2,52,569 3 6	Nil.	
12	Mansurpur	.. 2,59,576 2 6	2,59,576 2 6	Nil.	
13	Rohana ..	.. 2,25,959 13 6	2,25,959 13 6	Nil.	
14	Shamli ..	.. 89,451 5 0	89,451 5 0	Nil.	
15	Lhaksar ..	.. 5,79,988 4 9	5,79,988 4 9	Nil.	
16	Deoband ..	.. 4,48,636 15 9	4,48,636 15 9	Nil.	
	Total	.. 37,72,766 10 9	38,37,264 5 0	Paid in excess Rs.76, 13-0-9	
				Balance Rs.12,315-6-6. Excess realized Rs. 64,497-10-3	
			38,37,246 5 0		
	Excess realized	..	66,4,497 10 3		
		..	37,72,766 10 9		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८७ पर ।)

लखनऊ स्थित गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की दूकानों का लाभ हानि लेखा सन् १९५२ से सन् १९५७ तक निम्नलिखित था :

दूकान का नाम	वर्ष	लाभ	हानि
		रुपया	रुपया
१—हजरतगंज	१९५२–५३	६,९७२	..
शो रूम	१९५३–५४	९,१४९	..
	१९५४–५५	११,५५४	..
	१९५५–५६	९,८३९	..
	१९५६–५७	७,७४६	..
२—अमीनाबाद			
शो रूम	१९५२–५३	६३१	..
	१९५३–५४	६९०	..
	१९५४–५५	७,४४२	..
	१९५५–५६	..	३२७
	१९५६–५७	३३१	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८७ एल० ए०—१९५७—७९६ ।